लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 34 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXXIV contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupee

विषय सूची CONTENTS

अंक 24—गुरुवार, 13 दिसंबर, 1973/22 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 24—*Thursday, December* 13, 1973/*Agrahayana* 22, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn .	1
463 भट्ठे तथा पत्थर की खानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत लाना	Coverage of Brick kilns and stone quarries under EPF Act	1–3
464 सेना के ठेकेदारों द्वारा रसोई के सामान और निर्माण सामग्री की कम सप्लाई	Short supply of mess Items and construction material by Army Contracters. . . .	3
465 बंगला देश में भारतीय मिशनों में काम कर रहे भारतीय अधिकारी	Indian Officers working in Indian Missions in Bangladesh . .	3–5
466 तस्करी की गतिविधियों मे राजनयिकों का हात होना	Involvement of Diplomats in Smuggling Activity . .	5–6
467 इस्पात के लिये बयाना जमा करना	Diposits of Earnest money for steel	6–7
468 रामपुर, शिमला मे रक्षा उद्देश्यों के लिये कृषि भूमि का अर्जन	Acquisition of Agricultural Land for Defence purposes in Rampur, Simla . . .	7–8
469 कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत मैसर्स टी० एस० हरिहरन के मामले में दिया गया निर्णय	Judgement of M/s T.S. Hariharan under EPF scheme .	8–
471 न्यूयार्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास के आप्रवास विभाग द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार के बारे में शिकायतें	Complaints of Impolite Behaviour meted out by Immigration Department of Indian Consulate in New York . .	10
473 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का बंद किया जाना	Winding up of HSL . .	10–12

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

*अता० प्र० संख्या *S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
474	चित्तूर सहकारी चीनी कारखाने के कर्मचारियों को बोनस Bonus to Employees of Chittoor Cooperative Sugar Factory	12–13
475	इस्पात के आवंटन संबंधी नीति Policy governing Allocation of steel	13–15
477	सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा पाकिस्तानियों को उकसाने का कथित आरोप Alleged Inciting of Pakistanis through Cultural programmes	15–16

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
470	मैंगनीज अयस्क का निर्यात Export of Manganese Ore	16
472	रूस और ग्रेट ब्रिटन के साथ भारत के राजनयिक संबंधों पर अरब-इस्राईल युद्ध का प्रभाव Effect of Arab Israel Conflict on India's Diplomatic Relations with Russia and Great Britain	17
476	भूमिहिन श्रमिकों के कल्याण के लिये धन जुटाने हेतु उपकर लगाना Cess to raise Fund for Welfare of Landless Labourers	17
478	कोयले का मूल्य निर्धारित करना Fixation of Coal Price	17
479	बिजुरी खान का पुन: खोला जाना Reopening of Bijuri Mine	17–18
480	उपदान और बोनस भुगतान संबंधी अधिनियमों का भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ पर लागू होना Application of payment of Gratuity and Bonus Acts to Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry	18
481	राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन का 24 वां सत्र 24th Session of State Labour Ministers Conference	18–19
482	श्री ब्रेजनेव के भारत आगमन से पूर्व रुस के अधिकारियों के साथ बातचीत Discussions with Soviet Officials prior to Mr. Brezhnev's visit to India	19

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4552	टेल्को लिमिटेड द्वारा स्क्रेप की नीलामी Telco Auction of Scrap	19–20
4553	एसिस्टेन्ट सिविलियन स्टाफ आफिसर्स के पद के लिये भर्ती का ढंग Mode of Recruitment of ACSO	20
4554	दक्षिण वियतनाम द्वारा भारत से सहायता मांगना Indian help sought by South Vietnam	20

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4555	भिलाई मिश्रधातु स्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Bhilai Alloy Steel Plant	20
4556	मध्य प्रदेश में क्रोमाइट की उपलब्धता	Availability of Chromite in M.P.	21
4557	मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरी का कम होना	Low Wages of Agricultural Labour in M.P.	21
4558	मध्य प्रदेश में इस्पात संयंत्र	Steel Plants in Madhya Pradesh	21
4559	भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन	Production in Bhilai Steel Plant	21–22
4560	भारत कोकिंग कोल के अधिकारियों के वतन	Salary of Officers of Bharat Coking Coal	22
4561	झिंगुरदाह कोयला खानों के मापक यंत्र का खराब हो जाना	Metering devices of Jhingurdah coal mines out of order	22–23
4562	कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला खानों के मालिकों को सरकार द्वारा हिसाब-किताब देना	Rendering of Accounts by Government to Owners of Coking and Non-Coking Coal Mines	23
4563	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी रेजीमेन्ट तैयार करना	Raising of Adivasi Regiment during Fifth Five Year Plan	24
4564	कोयला खानों में ठेकेदारी के आधार पर वैगन लोडर	Wagon Loaders in Coal Mines on Contract Basis	24
4565	सेना में आदिवासियों की भर्ती	Recruitment of Adivasis in Armed Forces	24
4566	दिल्ली में सर्दी के मौसम में कोयले की खपत	Coal Consumption of Delhi in Winter	25
4567	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित मुद्रण मशीनों की लागत	Cost of Printing machinery produced by HMT	25
4568	केरल राज्य में स्कूटरों का उत्पादन	Production of Scooters in Kerala	25–26
4569	कझाकुट्टम सैनिक स्कूल के कर्मचारियों से ज्ञापन	Representation from Employees of Kazhakkuttam Sainik School	26
4570	देश के स्कूलों में रक्षा अध्ययन आरंभ करना	Introduction of Defence Study in Schools of the Country	26
4571	बिलेट पुनर्वेलन मिलें	Billet re-rollers	26–27
4572	ज्वायंट साईफर ब्यूरो में उप निदेशक	Deputy Directors in Joint Cypher Bureau	27

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4573	रक्षा विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिये रोजगार कार्यालयों को भेजे गये मांग पत्र Requisition sent by Defence Deptt. to Employment Exchanges for Recruitment of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Candidates in Defence	27
4574	राज्य सरकारों को औद्योगिक प्रयोजनार्थ कोयला ले जाने वाले वैगनों का आवंटन Allotment of Coal Wagons to State Government for Industrial purposes	28
4576	कर्मचारी राज्य बीमा के लिये भावी आयोजना विषय समिति की सिफारिशें Recommendations of the Committee on Perspective Planning for Employees State Insurance	28–29
4577	नई दिल्ली स्थित फिलिपाइन्स दूतावास के दो अधिकारियों द्वारा अकबर होटल के "रुम सर्विस इन्चार्ज" के साथ किया गया कथित दुर्व्यवहार और उसे दी गई धमकी Alleged misbehaviour and threat by Two Officials of Philippines Embassy in New Delhi to Room Service Incharge of Akbar Hotel	30
4578	पुगा में भू-तापीय कूंओं का छिद्रण (ड्रिलिंग) Drilling of Geo-thermal wells at Puga	30
4579	रूसी नौसैनिक जहाजों को भारतीय पत्तनों का उपयोग करने की अनुमति Permission to Russian Naval Ships to use Indian Ports	30–31
4580	रूस द्वारा अविकसित देशों को दी जाने वाली आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता के बारे में चीन का विश्लेषण Chinese Analysis of Soviet Economic and other aids to undeveloped countries	31
4581	सिलचर-ऐजल राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण में भ्रष्टाचार Corruption in construction of Silchar Aijal National Highway	31–32
4582	वैगन निर्माण कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग Full utilisation of Wagon Units	32–33
4583	विद्युत कर्मचारियों के वेतन की पुनरीक्षण के लिये गठित समिति का प्रतिवेदन Report of Committee set up to Examine Wage Revision of Electricity Workers	33
4584	कृत्रिम रेशा मशीन के उत्पादन के लिये लाइसेंस दिया जाना Issue of Licence for Manufacture of Synthetic Fibre Machinery	33–34
4585	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कार्यालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को परेशान करना Harassment to Scheduled Caste Employees in DGS&D	34–35
4586	दूर तक मार करने वाला विमान Deep Strike Aircraft	35

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4587	इंडिया सप्लाई मिशन में प्रतिनियुक्ति पर सहायक	Assistants on Deputation to India Supply Mission	35
4588	अभियोजन के क्षेत्र में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार की निरीक्षक के रूप में भूमिका	Role of RPFC Bihar as Inspector in Prosecution Field	35–36
4589	भारत द्वारा अरब देशों को शस्त्रों की सप्लाई	Supply of Arms to Arabian Countries by India	36
4591	कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर	Rate of interest on Employees Provident Fund	36–37
4592	भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा ब्रिटेन की राजकुमारी को उपहार भेंट करना	Presentation on Gift to British Princess by Prime Minister of India	37
4593	अझीकल पत्तन, केरल के लिए बम्बई में बन रहा "ड्रेझर"	Dredger being built at Bombay for Azhikkal Port, Kerala	37–38
4594	मानवाधिकार आयोग में भारत का योगदान और उसकी भूमिका	India's Contribution and Participation in Human Rights Commission	38
4595	मेकेंजीज लिमिटेड, बम्बई के कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन	Memorandum on behalf of Workers of Mckenzies Ltd., Bombay	38–39
4596	बाढ़ के समय सहायता कार्य के लिये सेना एककों को प्रशिक्षण	Training to Army Units for performing Relief work during Floods	39
4597	कोर्बा ऐल्यूमिनियम परियोजना	Korba Aluminium Project	39
4598	ट्रैक्टर बनाने के लिये दिये गये लाइसेंस	Issue of Licences for manufacture of Tractors	39–40
4599	ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग एंड कम्पनी के अधिग्रहण के लिये टैक्समेको, कलकत्ता का आवेदन	Application by Texmaco, Calcutta for taking over of Britannia Engineernig and Co.	40
4600	छपाई मशीनें बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Printing Machinery Plant	41
4601	विदेश जाने वाले भारतीयों को पूर्ण सहयोग देने के बारे में भारतीय दूतावासों को निदेश जारी करना	Issue of Directives to Indian Embassies for all cooperation to Indian visitors abroad	41
4602	बोकारो स्टील लिमिटेड की मूलतः अनुमानित लागत	Original estimated expenditure on Bokaro	41
4603	भविष्य निधि की बचतों के मूल्यों में कमी	Erosion in value of P.F. Savings	42

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4604	दैतारी संयंत्र को मशीनरी की सप्लाई के लिये उड़ीसा खनन निगम द्वारा किया गया करार	Agreement signed by Orissa Mining Corporation for supply of machinery to Daitari Plant .	42–43
4605	बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, में कर्मचारी भविष्य निधि की 10,000 रुपये से अधिक की राशि की अदायगी न करने वाले संस्थान	Establishments in default of EPF above Rs. 10,000 in Bihar, Orissa and West Bengal .	43
4606	प्रभात तम्बाकू, फैक्टरी, मुझफ्फरपुर को और आर्थर बटलर एंड कम्पनी तथा मुजफ्फरपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू करना	Coverage of Prabhat Tobacco Factory, Muzaffarpur and contractors Employees of Arthur Butler and Company and Muzaffarpur Electric Supply Company under EPF Act, 1952	43
4607	सिंहभूम जिले में कांडरा स्थित शीश के कारखाने के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत लाना	Coverage of Employees of glass factory at Kandra, Singhbhum District under EPF Act . .	43–44
4608	सिंहभूम जिले में चीनी मिट्टी की खानों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करना	Covering of China Clay Mines in Singhbhum District under EPF Act	44
4609	केरल के क्विलोन और त्रिवेन्द्रम जिलों में बाढ़ से प्रभावित मछुआरों और भूमिहीन श्रमिकों की सहायता	Help to Flood Affected Fishermen and Landless Labourers in Quilon and Trivandrum Districts of Kerala . .	44
4610	दूतों (एन्वायज्) के रूप में नियुक्त न किये जाने पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों में क्षोभ	Frustration amongst IFS Officers over Appointment of non-IFS Persons as Envoys . .	44
4611	पंजाब को इस्पात के आवंटन में कमी	Decline in Steel Allocation to Punjab	45
4612	इंडियन आयरन एंड स्टील प्लांट में उठाई गिरी	Filferage in Indian Iron and Steel Plant	45
4613	एक अभ्रक बोर्ड की स्थापना करना	Setting up of a Mica Board	46
4614	मैसर्ज दरबशाह बी० करसेटजी एंड सन्स, बम्बई पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू करने संबंधी ज्ञापन	Memorandum regarding covering of M/s. Darabshaw B. Cursetjee and Sons, Bombay under EPF Act, 1952 . .	46

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4615	मशीनरी के निर्माण में सहयोग हेतु भारत और पोलैंड के संयुक्त आयोग की बैठक	Meeting of Joint Commission of India and Poland for Collaboration in Manufacturing machinery	46–47
4616	ई० पी० डी० पी० कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली में भूमि के किराये में कटौती	Cut in ground rent in EPDP colony, Kalkaji, New Delhi .	47
4617	कोयला खानों के सरकारी अधिकार में लिय जाने से पूर्व कोयला खान मालिकों द्वारा मशीनें गायब किया जाना	Removal of Machines by Coal Mines Owners before take over by Government . .	47
4618	त्रिपुरा में चाय बागानों द्वारा श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि के बकाया का जमा न कराया जाना	Non deposit of EPF arrears of workers by tea Plantations in Tripura	47–48
4619	त्रिपुरा में चाय बनाने वाली फैक्ट्रियां	Tea processing factories in Tripura	48
4620	त्रिपुरा के चाय बगानों के कर्मचारियों की दैनिक मजूरी	Daily Wages of Workers in Tea Plantation of Tripura . .	48
4621	त्रिपुरा के चाय बागान में कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Workers in Tea Estates in Tripura . .	48–49
4622	आदर्श गांवों का विकास	Development of Model Villages	47–49
4623	नियमित/अल्प सेवा कमीशनों में सिविल, मेकेनिकल और इलैक्ट्रीकल इंजीनियरों की भर्ती	Recruitment of Engineers-Civil Mechanical and Electrical in Regular/Short Service Commissions	49
4624	शौर्य पुरस्कार विजेताओं की सचित्र संक्षिप्त जीवनियों वाले प्रकाशन	Publication giving short Biographical Sketches with Photographs of Gallantry Award Winners	49
4625	प्रादेशिक कोयला खान प्राधिकरण कार्यालय का नागपुर से विलासपुर को स्थानान्तरण	Shift of Regional Coal Mine Authority Office from Nagpur to Bilaspur . . .	50
4626	हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज, पिंजोर में आन्दोलन	Stir in HMT, Pinjore . .	50
4627	भारत तथा अन्य विकासशील देशों में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत	Per Capita Steel Consumption in India vis-a-vis other developing countries . . .	50–52
4628	कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials	52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4629	नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग और लंदन में आप्रवास अधिकारियों द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार के बारे में शिकायतें	Complaints of Impolite behaviour meted out by British High Commission in New Delhi and Immigration Officer in London . . .	53
4630	नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से शिकायत	Complaint from Coir Board Employees	53
4631	बोकारो इस्पात संयंत्र को हुई हानि	Loss to Bokaro . . .	53–54
4632	क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय, बम्बई में अपर्याप्त कर्मचारी	Inadequacy of Staff in Regional Passport Office, Bombay .	54
4633	बोकारो इस्पात संयंत्र को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials to Bokaro Steel Plant .	54
4634	न्यूनतम मजूरी के संबंध में भारतीय श्रमिक सम्मेलन की सिफारिश	Recommendations of Indian Labour Conference on Minimum Wages . . .	54–55
4635	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का पुनर्गठन	Re-organisation of Public Sector Steel Plants . . .	55
4637	विदेशी मिशनों में नियुक्ति के लिये स्टेनोग्राफरों का चयन	Selection of Stenographers for Posting in Foreign Missions .	55
4638	दिल्ली के लघु उद्योगों में कच्चे लोहे और कोयले की कमी	Pig Iron & Coal shortage in Small Industries of Delhi .	56
4639	आयुध कारखानों की स्थापना	Setting up of Ordnance Factories	56
4640	रूस, चेकोस्लावाकिया और युगोस्लाविया द्वारा चिली में उनके हितों की देखरेख के लिये अनुरोध	Requests from Russia, Czechoslovakia and Yugoslavia to Look after their interests in Chile	56–57
4641	वाणिज्य वाहनों की कमी	Shortage of Commercial Vehicles	57
4642	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में भारतीय कर्मचारियों की तुलना में स्थानीय कर्मचारियों पर व्यय	Expenditure on Local Employees vis-a-vis India based Staff in Missions Abroad . . .	57
4643	अभ्रक खानों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Mica Mines .	57–58
4644	सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का सहयोग	Workers participation in Management of Heavy Industries in Public Sector . .	58
4645	भारी उद्योगों द्वारा किया गया पूंजी निवेश और उनके द्वारा कमाया गया लाभ	Investment and Profit Earned by Heavy Industries . .	58

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4646	नेशनल डिफेंस कालेज पर व्यय	Expenditure on National Defence College	59–60
4647	समान मजूरी नीति	Uniform Wage Policy	59
4648	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद के कर्मचारियों और कर्मचारी संघ द्वारा अभ्यावदन	Representation from HMT Workers and Staff Union, Hyderabad	59–60
4649	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबंधकों की मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक	Meeting of Management of HMT with Representatives of Recognised Union	60
4650	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स-5, हैदराबाद में उत्पादन में कमी	Decline in Production of HMT-V Hyderabad	60
4651	हथियारों के उत्पादन के लिये सरकार द्वारा चलाये जाने वाले संयंत्र	Plants Run by Government for Production of Arms	60–61
4652	प्राधिकृत व्यक्ति को आग्नेयास्त्र बेचना	Sale of Fire arms to authorised Persons	61
4653	भारत और बर्मा के बीच सीमा का रेखांकन	Demarcation of border between India and Burma	61–62
4654	मनीपुर रेजीमेंट स्थापित करना	Raising of Manipur Regiment	62
4655	मनीपुर में भूसर्वेक्षण	Geological Survey of Manipur	62–63
4656	गुजरात में इस्पात की कमी	Steel Shortage in Gujarat	63
4657	हाल में विदेश मंत्री द्वारा किये गये काबुल के दौरे के संबंध में पाकिस्तान द्वारा भिन्न उद्देश्यों का आरोप	Imputation of Motives by Pakistan to Foreign Ministers Recent visit to Kabul	63
4658	पाक अधिकृत कश्मीर के नवयुवकों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाना	Training for Guerilla Warfare to Young Men of Pakistan Occupied Kashmir	63–64
4659	पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापितों के विचाराधीन दावे	Pending Claims of Displaced persons from West Pakistan	64
4660	परमाणु पोत का निर्माण	Manufacture of Nuclear Vessel	64
4661	सी० आई० ए० के नक्शे में भारतीय भूमि को चीन के क्षेत्राधिकार में दर्शाना	CIA Map showing Indian Territory as Chinese	64–65
4662	कोयले के अभाव के कारण त्रस्त कानपुर के उद्योग	Kanpur Industries affected by Coal Famine	65

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4663	दादरा और नगर हवेली को सप्लाई किया गया ढलवा लोहा तथा अलाइड ईस्पात	Pig Iron and Allied Steel Supplied to Dadra and Nagar Haveli 65
4665	दादरा और नागर हवेली को कोयले की सप्लाई	Coal Supply to Dadra and Nagar Haveli 65–66
4667	बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा भेजे गये क्रयादेशों को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा पूरा किया जाना	Execution of Orders placed by Bokaro Steel Limited by Heavy Engineering Corporation Ltd. 66
4668	भारी इंजीनियरिंग निगम द्वारा प्रोत्साहन योजनायें लागू करना	Introduction of Incentive Schemes by Heavy Engineering Corporation 66–67
4669	फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट का कार्य	Working of Foundry Forge Plant 67
4670	हैवी मशीन टूल्स प्लांट का कार्य	Working of Heavy Machine Tools Plant 68
4671	दिल्ली में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या	Registered Unemployed in Delhi 68–69
4672	पश्चिम बंगाल के लिये आबंटित रूस से इस्पात के बलित उत्पाद	Steel rolled products from USSR earmarked for West Bengal 70
4673	कोयला खनिकों के लिये अंतरिम वेतन वृद्धि	Interim Wage increase for coal Mines 70
4675	कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी	Minimum wage for Agricultural Labourers 70–71
4676	कृषकों को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel for Agriculturists 71
4677	बिहार में भारी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Heavy Industries in Bihar 71–72
4678	दार्जिलिंग में सीसे के निक्षेप	Lead Deposits in Darjeeling . 72
4680	बोकारो इस्पात संयंत्र का पहली धमन भट्टी का उत्पादन	Production of first blast furnace of Bokaro Steel Plant . . 72
4681	देहरादून स्थित इस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा प्रोटोटाइप उपकरण का विकास	Development of a prototype instrument by Instrument Research and Development Establishment at Dehradun . 73
4682	इस्पात तथा अलौह उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Steel and Non-ferrous Industries 73
4683	बड़े औद्योगिक गृहों में कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for employees in large Industrial Houses . . 73

अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4684	एल्यूमिनियम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Aluminium Industries	74
4685	मालंगतौली लौह अयस्क परियोजना	Malangtoli Iron Ore Project	74
4686	औद्योगिक संबंध परिषदों के गठन तथा मजदूर यूनियनों को मान्यता के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की शिफारिशें	Recommendations of NIC on forming of Industrial Relation Councils and recognition of Trade Unions	74
4687	छोटे ट्रैक्टर तथा 'टिलर' बनाने के लिये कारखाने लगाने हेतु लाइसेंस देना	Issue of Licences for Setting up Plants for Manufacture of Small Tractors and Tillers	75
4688	विदेश मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी	Temporary Employees in the Ministry of External Affairs	75
4689	बोकारो इस्पात संयंत्र के गोदाम से चुराया गया स्टनलस स्टील	Stainless Steel stolen from Bokaro Steel Plant Godown	75–76
4690	आस्ट्रेलिया स्थित भारत दूतावास में कार्य कर रहे भारतीय एवं विदेशी राष्ट्रिक	Indian and foreign nationals working in Indian Embassy in Australia	76
4691	ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावास में ारतीय और विदेशी नागरिको की संख्या	Number of Indian and Foreign Nationals in Indian High Commission, U.K.	76
4693	जम्मू में छात्र आन्दोलन के बारे में रेडियो पाकिस्तान द्वारा आंखों देखा हाल प्रसारित करना	Running Commentary by Radio Pakistan about student Agitation in Jammu	77
4694	इस्पात की रीरोलरों के लिये स्क्रैप की अनुपलब्धता	Non-availability of Scrap for Steel Rerollers	77
4695	मध्य पूर्व स्थित शांति सेना पर व्यय में भारत का अंशदान	India's share in expenditure on Peace Force in Middle East	77–78
4696	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड का उत्पादन	Production of Bharat Electronics Ltd.	78
4698	आपराधिक मामलो में अंतर्गस्त श्री अशोक सोलोमन को पासपोर्ट देना	Grant of Passports to Shri Ashok Solomon involved in Criminal cases	78–79
4699	रानीगंज और झरिया कोयला खानों के विभिन्न ग्रेडों में कोयले में मूल्य	Prices of coal of various grades of Raniganj and Jharia Coal Mines	79
4700	हिन्दी और अंग्रजी भाषाओं में आदेशों का जारी किया जाना	Issue of orders in Hindi and English Languages	80

अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4701	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें	Meetings of Official language implementations Committee .	80
4702	विदेश मंत्रालय में 'सामान्य आदेशों' को हिन्दी और अंग्रेजी में साथ साथ जारी करना	Issue of General Orders in Hindi and English Simultaneously in Ministry of External Affairs	80–81
4703	जस्ता अयस्क खानों का विकास तथा विस्ताह किया जाना	Setting up and Expansion of Zinc Ore Mines . . .	81
4704	भारत-फ्रांस संबंध	Indo French Relations . .	81–82
4705	फ्रांस द्वारा भारत को रक्षा उपकरण की सप्लाई	Supply of Defence Equipment to India by France . .	82
4706	सेना अधिकारियों को दिल के दौरो का पड़ना	Army Officers more Prone to Heart Attacks . . .	82
4707	लंदन में भारत ब्रिटिश वार्ता	Indo British Talks in London .	83
स्वगन प्रस्ताव के बारे में		Re. Adjournment Motion . .	83–84
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table .	84–85
साज्य सभा से संदेश		Messages from Rajya Sabha .	85
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति—		Committee on Public Undertakings—	
	42 वां प्रतिवदन प्रस्तुत किया गया	Forty-Second Report—Presented	85
सिएट टायर फैक्टरी, बम्बई में हड़ताल के बारे में वक्तव्य—		Statement Re. Strike in Ceat Tyre Factory, Bombay—	
	श्री बाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma . .	86
मंत्री द्वारा दी गई जानकारी में कथित गलती के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य—		Statement by Member Re. Alleged Inaccuracy in the Information given by the Minister—	86
	श्री ज्योतिमय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	86
नियम 377 के अंतर्गत मामले —		Matters under Rule 377—	
(एक)	रेलगाड़ियों का विलंब से चलना और अनेक रेलगाड़ियां का रद्द किया जाना ता	(i) Late Running and Suspension of a number of trains	89–90
(दो)	एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड की सम्पत्तियों की नीलामी	(ii) Auction of Properties of the Alcock Ashdown Company Ltd. . .	90–91

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
संविधान (32वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Thirty-second Amendment) Bill—	91
संयुक्त समिति को सौंपने के लिय प्रस्ताव—	Motion for reference to Joint Committee—	
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	92–95
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukherjee	95–96
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	97–98
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	98–99
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	99–100
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	100–101
श्री इ० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan	101
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	101–102
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	102–103
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque	103–104
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	104
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji	104
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	104
श्री पन्नालाल बारुपाल	Shri Panna Lal Barupal	105
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	105
भारत में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के जमा रुपयों के निपटाने के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Disposition of Rupee Accumulation in India by the U.S. Government—	108
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	108–110
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद के बारे में चर्चा	Discussion Re. Karnataka-Maharashtra Border Dispute—	110
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	110
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	110
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	110
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	110
कुमारी मणिबेन वी० पटेल	Kumari Maniben Vallabhbhai Patel	111
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	111
श्री सरजू पांडेय	Shri Sarjoo Pandey	111
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	111
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	111

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 13 दिसम्बर, 1973/22 अग्रहायण, 1895 (शक)
Thursday, December 13, 1973/Agrahayana 22, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण
MEMBERS SWORN

कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक महान नेता सरदार पटेल की पुत्री और प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठ्ठलभाई पटेल की भतीजी आज हमारे बीच है । मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उन्हें सभा की ओर से बधाई देता हूं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भट्ठे तथा पत्थर की खानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना

\+

*463. **श्री जगदीश नारायण मण्डल :**
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भट्ठ तथा पत्थर की खानों के बहुत से मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता के लाभ से वंचित रह जाते हैं क्योंकि दोनों ही उद्योग कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन उद्योगों को उक्त अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाने का है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ख) छतों और फर्शों के स्लैब, माप-पत्थर, स्मारकीय पत्थर और पच्चीकारी की चिप्पियां पैदा करने वाली पत्थर खानें 31-12-1965 से कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आती हैं ।

पत्थर-चिप्पियों, पत्थर सेटों और पत्थर गिट्टियों और बोल्डरों को पैदा करने वाली पत्थर खदानों अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। अधिनियम को ईंटों के भट्ठों पर लागू करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

Shri Jagdish Nararain Mandal: will the hon'ble Minister be pleased to state whether any such survey has been conducted in Bihar State or not ? If the survey has been conducted then may I know the number of employees who are deprived of the membership of the Provident Fund?

Shri Balgovind Verma : We do not have the information about a particular State but survey was conducted and we had received the Survey Report in 1960. It has been stated therein that the number of composite establishment manufucturing brides that have already been brought under the Act, is 51. Number of establishment engaged in the manufacturing of brides in 2085. Number of eligible employees eligible to be members of the Fund is 6930. Out of the esablishments employing the above employees, there is only one in which the Provident Fund benefits are available to workers.

Shri R. P. Yadav : May I know whether the hon'ble Minister is aware of the episode of Regional Provident Fund Commissioner? He was criticised in this House. As his lien was in Bihar Government, he was sent back to that state. He was then posted in Darbhanga as A.D.M. but was forced to retire.....

Mr. Speaker : Please ask the question.

Shri R. P. Yadav : In this connection, I would like to ask whether a decision will be taken that employees of any other Departments will not be appointed in this Department so that such incidents are not repeated ?

Shri Balgovind Verma : This is entirely a separate question. It is not related to the main question.

Mr. Speaker : It is out of the way.

Shri R. P. Yadav : It was discussed earlier in the House.

Mr. Speaker : You could raise this matter on some other occasion.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : भविष्य निधि अधिनियम के काम की सभा में और बाहर भी इसलिये निन्दा की जाती है कि अनेक मालिक अपने कर्मचारियों से अंशदान वसूल करके जमा नहीं करवाते। अत: क्या इसको अन्य उद्योगों पर लागू करने से पूर्व इन अनियमितताओं और कमियों को तुरन्त दूर किया जायेगा ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जैसा कि सभा को पता है, गत सत्र में हमने अधिनियम में कुछ संशोधन किये थे और उसमें कुछ कठोर उपबन्ध शामिल किये गय थे। यदि कोई उद्योग अधिनियम के उपबन्धों को लागू नहीं करता तो उस के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। यदि माननीय सदस्य को किसी ऐसे मामले का पता चले और वह हमें बताये तो हम अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

श्री हरिकिशोर सिंह : मंत्री महोदय के इस कथन की हमें सराहना करनी चाहिये कि इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जायेगा। परन्तु क्या मैं पूछ सकता हूं कि बिहार में ईंटों के ऐसे भट्ठों और पत्थर खानों की संख्या कितनी है जिनमें श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी भी नहीं दी जाती, भविष्य निधि के लाभों के बारे में तो क्या ही कहना ? क्या म पूछ सकता हूं कि श्रम मंत्रालय इन सभी केन्द्रीय अधिनियमों को, विशेषकर बिहार में लागू करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमारे पास प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में कोई अलग जान कारी नहीं है। हमारे पास समस्त भारत के बारे में जानकारी है। जहां तक न्यूनतम मजुरी का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ही

उचित कार्यवाही कर सकती है। यदि बिहार सरकार को तथ्यों से अवगत कराया जाये तो वह इस मामले की जांच करेंगे।

Short Supply of Mess Items and Construction Material by Army Contractors.

*464. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that due to unprecedented price rise after April, 1973 difficulties are being faced in getting mess items and construction material from the Army contractors;

(b) whether due to the cancellation of contracts or in absence of new contracts, Government may have to suffer heavy loss as a result of being forced to resort to 'risk purchase' system; and;

(c) the action being taken by Government in this regard?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defenc (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. Difficulties are being faced particularly in getting fresh supplies of meat, poultry and eggs.

(b) No, Sir. All extra expenditure incurred under the 'risk-purchase' clause is recoverable from the failing contractors.

(c) In case of repeated/continued failures by contractors, their contracts are rescinded and short-term agreements are concluded at the risk and expense of the contractors.

Shri R. V. Bade : These contracts were signed in the month of April and after that there has been unusual price rise. In this context, I would like to know whether the contractors had applied for the revision of the contracts?

Shri Vidya Charan Shukla : The applications must have been received but I do not have any information at present. These types of contracts are not given from here but our departmental officers *i.e.* our Area Commander is there in Jabalpur and it is for him to purchase fresh supplies and a decision has to be taken there. Even if an application is received, the decision will be taken by Jabalpur authorities.

Shri R. V. Bade : I would like to know the rise in prices sought by the contractors in their applications.

Shri Vidya Charan Shukla : It depends upon the prices raised in different areas because it is not necessary that rise in prices in Madras, Trivandrum, Assam or Pathankot may be similar. Therefore the place from where the report will be received, it will be examined at the same place and a decision taken.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय श्री जगजीवन राम ने आश्वासन दिया था कि जवान को अच्छी किस्म की खुराक उपलब्ध की जायगी। क्या सप्लाई न मिलने का खुराक की किस्म पर भी प्रभाव पड़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह संगत प्रश्न नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, नहीं।

बंगला देश में भारतीय मिशनों में काम कर रहे भारतीय अधिकारी

*465. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत सरकार के कितने अधिकारी बंगला देश सरकार के सलाहकार क रूप में काम कर रहे हैं ;

(ख) इन अधिकारियों के नाम तथा पद क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को कौन से विशेष कार्य सौंपे गये हैं; और

(ग) बंगला देश में स्थित विभिन्न भारतीय राजनयिक मिशनों में काम कर रहे कर्मचारियों, अधिकारियों तथा अन्य लोगों की पृथक्-पृथक् संख्या क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) आजकल भारत सरकार का कोई भी अधिकारी बंगला देश सरकार के परामर्शदाता के रूप में कार्य नहीं कर रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) **भारत का हाई कमीशन, ढाका :**

राजनयिक अधिकारी	27
गैर-राजनयिक अधिकारी (भारत-आस्थानी)	108
गैर-राजनयिक अधिकारी (स्थानीय अमला) . . .	49

भारत का सहायक हाई कमीशन चटगांव :

राजनयिक अधिकारी	2
गैर-राजनयिक अधिकारी (भारत-आस्थानी)	6
गैर-राजनयिक अधिकारी (स्थानीय अमला)	6

श्री ज्योतिर्मय बसु: अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले म आप का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि भाग (ख) में अधिकारियों के नाम, पदनाम और उनको सौंपे गय काम के बारे में भी पूछा गया था । उन्होंने अधिकारियों की कुल संख्या 198 बताई है जिनमें बंगला देश सरकार के सलाहकार के रूप में काम करने वालों का उल्लेख नहीं है । इस भाग का उत्तर नहीं दिया गया । यह सभा का अवमान है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय 'प्रश्न नहीं उठता' कैसे कह सकते हैं । आप इस पर विचार कीजिय ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने विचार किया है, परन्तु मैं समझ नहीं सका ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय सदस्य ने प्रश्न के भाग (क) में यह जानना चाहा था कि बंगला देश में कितने सलाहकार हैं और हमने बताया है कि कोई नहीं । इसलिये प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक होगा क्योंकि बंगला देश में कोई सलाहकार नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इन अधिकारियों के नाम और पदनाम जानना चाहता था । उन्होंने कहा कि बंगला देश में काम करने वाले भारतीय सरकार के राजनयिक और गैर-राजनयिक आदि अधिकारियों की कुल संख्या 198 है । उनमें से प्रत्येक को सौंपे गये काम के बारे में क्यों जानकारी नहीं दी जाती ?

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं समझता हूं कि वे इसका उत्तर नहीं देना चाहते । मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार और बंगला देश सरकार के बीच इस सम्बन्ध में कोई करार हुआ है और यदि हां, तो

उसका ब्यौरा क्या है ? क्या भारत सरकार ने बंगला देश में प्रतिनियुक्त अधिकारियों के लिये कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाये हैं और यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सख्ती से पालन किया जाता है या कभी-कभी उल्लंघन भी किया जाता है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : भारत सरकार और बंगला देश सरकार के मध्य ऐसा कोई करार नहीं हुआ है। सभा को भी मालूम है कि बंगला देश के साथ हमारे संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण हैं। हम गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से सहयोग कर रहे हैं। अभी तक हमें भारत से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिये बंगला देश से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि मैं अपने मुख्य उत्तर में पहले ही कह चुका हूं, बंगला देश में भारत सरकार का कोई भी सलाहकार काम नहीं कर रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बंगला देश जैसे छोटे देश में भारत सरकार के 198 अधिकारी काम कर रहे हैं। उस संदर्भ में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई निदेश जारी किया है कि इन अधिकारियों को ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे बंगला देश के अधिकारियों और लोगों में रोष पैदा हो जाये, क्योंकि वहां भारत-विरोधी भावनायें बढ़ती जा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निदेश जारी किया है अथवा नहीं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय मंत्री द्वारा लगाया गया आक्षेप पूर्णतया निराधार है... **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे इस टिप्पणी पर आपत्ति है...**(व्यवधान)**

श्री समर गुह : मुझे खेद है मेरे माननीय मित्र, श्री ज्योतिर्मय बसु को यह प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिये था। ऐसा करके श्री ज्योतिर्मय बसु ने न तो भारत और न ही बंगला देश के हित को सिद्ध किया है। हमारे बंगला देश अर्थात् बंगला देश के लोगों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं। बंगला देश के लोगों ने हमारी सेवाओं की सराहना की है। ऐसे मुट्ठी भर ही लोग हो सकते हैं जो भारत और बंगला देश के बीच संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु गत चुनावों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि बंगला देश के लोगों का भारी बहुमत भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं।

जहां तक वहां राजनयिक मिशन का संबंध है, मेरे विचार से ऐतिहासिक एवं मैत्री संबंधी कारनों से वहां अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। इनकी संख्या अधिक होनी चाहिय। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत और बंगला देश के बीच बेहतर संबंधों का निर्माण करने के लिये राजनयिक मिशन को शक्तिशाली बनाया जायेगा ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आगामी प्रश्न।

तस्करी की गतिविधियों में राजनयिकों का हाथ होना

+

*466. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हमारे देश में होने वाली तस्करी में राजनयिकों का हाथ होने से सम्बन्धित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार के सामने कभी-कभी ऐसा कोई मामला आ जाता है जिसका संबंध राजनयिक कोर के किसी सदस्य द्वारा अनधिकृत

आयात के प्रयत्न से होता है। ऐसे प्रत्येक मामले में सरकार ने इस तरह की कार्रवाई रोकने के लिए उपयुक्त कदम उदाए हैं।

श्री राम भगत पासवान : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विदेशी राजनयिकों का हाथ होने से सदैव स्थिति नाजुक एवं कठिन हो जाती है क्योंकि सामान्य पुलिस इस प्रकार के अपराध के साथ प्रभावी रूप से नहीं निपट सकती है ? अतः, मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थिति से नपटने के लिय सरकार का विचार कौन कौन से विशेष उपाय करने का है, क्योंकि हाल के वर्षों में संसार के सभी देशों, विशेषकर भारत में अपराध बढ़ते रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : कुछ मामले ऐसे हैं जहां कुछ राजनयिकों ने अनधिकृत माल का आयात किया है, किन्तु भारत में रह रहे राजनयिकों की संख्या को देखते हुये, ऐसे मामले बहुत ही कम हैं। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे देश में एक हजार से अधिक विदेशी राजनयिक हैं और इस प्रकार के मामले बहुत ही कम हैं। ऐसे मामले 10 या 15 होंगे। अतः, मामलों की यह संख्या खतरे का संकेत नहीं है।

जहां तक इसे रोकने के लिये हमारे सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही का संबंध है, इसे रोकने के लिये बहुत ही कड़े उपाय किये गये हैं और यह ब्यौरा देना सार्वजनिक हित में नहीं है कि कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी है, क्योंकि इससे कार्यवाहियों का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री ने बताया है कि ऐसे मामले 10 या 12 होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि किन किन देशों के राजनयिकों का इस तस्करी में हाथ था ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही कठिन प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं आप के प्रश्न का उत्तर यह कह कर दे दूं कि उन देशों के नाम बताना सार्वजनिक हित में नहीं है जिनके राजनयिकों का इसमें हाथ था।

प्रो० मधु दंडवते : माननीय मंत्री की इस बात के साथ सहमत होते हुये कि सार्वजनिक हित में नाम नहीं बताये जा सकते, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि कितने मामले ऐसे थे जिनमें वास्तव में अनधिकृत रूप से आयात किया गया, उनमें से कितने मामलों की जांच की गयी और कार्यवाही की गयी ? मैं उन के नाम नहीं जानना चाहता।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : सही सही सूचना उपलब्ध नहीं है, किन्तु मैं माननीय सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि जब इन मामलों को मेरी सूचना में लाया गया तो विदेश मंत्रालय द्वारा उचित कार्यवाही की गयी थी और संबंधित सरकारों द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी।

इस्पात के लिये बयाना जमा करना

+

*** 467. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**
श्री वयालार रवि :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने व्यक्तियों तथा फर्मों ने इस्पात के नियतन हेतु बयाना जमा कराया है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन में से कितनी जमा राशियों के मामलों में दो वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है और इस अवधि की समाप्ति पर कितने मामलों में ये राशियां लौटाई जा चुकी हैं और कितनी राशियां नहीं लौटाई गई हैं; और

(ग) इन्हें वापस न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली उठे—

अध्यक्ष महोदय : आप ने यह अनुमान कैसे लगा लिया कि सभा-पटल पर क्या रखा जायेगा ? उत्तर नहीं दिया गया है । सूचना प्राप्त किये बिना आप प्रश्न कैसे पूछेंगे ?

श्री आर० वी० बड़े : उद्योग भवन में उन्हें समस्त सूचना उपलब्ध हुयी है । 25,000 रुपया जमा कराया जा चुका है । मैंने मंत्री महोदय से सम्पर्क स्थापित किया था और उन्होंने कहा था कि यह मामला विचाराधीन है । अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उद्योग भवन से सूचना प्राप्त कर ली है ?

अध्यक्ष महोदय : आप ने यह एक अच्छा सुझाव दिया है कि यदि यह संगत हो तो उन्हें इस साधन से भी एकत्र करना चाहिये । श्री वयालार रवि यहां नहीं हैं । प्रश्न यह है कि चूंकि सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिये इसका अर्थ यह नहीं है कि सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने से वंचित किया जाय । अच्छा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह प्रश्न पुनः लिया जाये ।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद ।

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : यदि कोई विशेष प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं उसका उत्तर देने के लिये तयार हूं । किन्तु उन्होंने तो बहुत अधिक विवरण मांगे हैं । जैसा कि वह चाहते हैं मैं उन्हें एकत्र करने के लिये केवल समय ही मांग सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा । आगामी प्रश्न । श्री वीरभद्र सिंह ।

रामपुर, शिमला में रक्षा उद्देश्यों के लिये कृषि भूमि का अर्जन

*468. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले (भूतपूर्व जिला महासू) की रामपुर तहसील के झकरी गांव में निवास गृहों सहित कृषि भूमि का रक्षा उद्देश्यों के लिये अर्जन किया है ;

(ख) क्या बार-बार अभ्यावेदन करने पर भी प्रभावित व्यक्तियों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और तुरन्त मुआवजा देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ग्राम झकरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला में कुल मिलाकर 63.23 एकड़ (अर्थात 303 बीघा और 11 विस्वा) अधिग्रहित भूमि को प्राप्त करने की मंजूरी दी गयी है । इसमें से केवल 11 विस्वा के एक हिस्से को प्राप्त

किया गया है। 303 बीघा के शेष क्षेत्र को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो गयी है क्योंकि उस जमीन के स्वामित्व का दावा करने वाले व्यक्ति और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच उसके स्वत्व के बारे में एक विवाद हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडीकेचर में निर्णयाधीन है। इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन है।

(ख) और (ग) प्राप्त की जा चुकी 11 विस्वा जमीन का मुआवजा मंजूर कर दिया गया है। बाकी बची जमीन को ज्योंही विवाद का अदालत द्वारा फैसला हो जाने के बाद प्राप्त कर लिया जायेगा, उसके मुआवज की मंजूरी दे दी जायेगी।

श्री वीरभद्र सिंह : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर में स्पष्ट रूप से इस तथ्य ही उपेक्षा कर दी गयी है कि संबंधित भूमि का प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर ही नहीं पड़ा है, अपितु इसका प्रभाव कई व्यक्तियों, छोटे किसानों और हरिजनों पर भी पड़ा है, जो उस भूमि के काश्तकार हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि भूमि का अर्जन होने तक, संबंधित भूमि और घरों को किराये के आधार पर लिया गया और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सच है कि 6 रुपया प्रति बीघा की दर से किराये का भुगतान करने का निणय किया गया है जो कि बहुत ही कम है और मालिकों ने इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया है ? यदि ऐसी बात है, तो क्या सरकार इस किराये को बढ़ाने के लिये पग उठाएगी, ताकि यह अधिक न्यायपूर्ण तथा समान हो ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रथम भाग के संबंध में, मुझे उनके वक्तव्य के बारे संशय नही है। यह सच है कि एक भूमि मालिक उच्च न्यायालय में गया है। उसने सारा मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लाकर इस समस्त मामले को **न्यायाधीन** बना दिया है। अतः, यदि कई व्यक्ति भी इससे प्रभावित हुये हों और यदि एक सज्जन इसे न्यायालय के समक्ष ले जाता है, तो भी समूचा मामला **न्यायाधीन** हो जाता है। जब तक उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को निपटा नही दिया जाता, तब तक हम कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते। वास्तविक स्थिति यह है। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं निश्चय ही इस पर विचार करूँगा।

श्री वीरभद्र सिंह : इससे पूर्व मेरे प्रश्न के मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार, भूमि के स्वामित्व संबंधी एक विवाद के कारण भूमि के अर्जन को रोक दिया गया है। इन भूमि खंडों पर बने घरों के स्वामित्व के संबंध में कोई ऐसा विवाद नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि इस बीच सशस्त्र सेनाओं द्वारा कई घरों को गिराया जा चुका है। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अभी तक गिराये गये घरों के लिये कोई मुआवजा नही दिया गया है ? यदि ऐसी बात है, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की गयी है कि कम से कम उन घरों के लिये मुआवजा दे दिया जाये जिन्हें गिराया जा चुका है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अब जब कि हमारे ध्यान में यह बात लायी गयी है तो हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत मेसर्स टी० एस० हरिहरन के मामले में दिया गया निर्णय

*469. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत मेसर्स टी० एस० हरिहरन के मामले में दिये गये निर्णय से बहुत से मालिक लोग लाभ उठा रहे हैं और वे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की क्रियान्वित के लिए अस्थायी तथा दैनिक मंजूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को बीस की संख्या में सम्मिलित नहीं होने देते ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब दिया गया और इस मामले में अपील दायर न किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम की धारा 1(3) को स्पष्ट करने हेतु उसमें संशोधन करने का है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक को लाने के सम्बन्ध में संशय बताये गये हैं ।

(ख) और (ग) इस मामले में 1 अप्रैल, 1971 को अधिघोषित निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था । इसलिए, मामले में अपील दायर करने का प्रश्न नही उठा । निर्णय के ध्वनितार्थों की जांच के बाद सभी क्षत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को आवश्यक स्पष्टीकरण संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं । इस संदर्भ में अधिनियम को संशोधित करने के प्रश्न की छान-बीन की जा रही है ।

Shri Mohd. Jamilurrahman : Mr. Speaker, Sir this answer is very brief and completely unsatisfactory, I want to know from the Hon'ble Minister in the context of the answer given by him, whether any special instructions has been issued specially in regard to the temporary and dailyrated employees in the light of the Judgement given by the supreme court and if so, whether they are being followed? Whether the amount of Provident Fund is being deducted from the wages of temporary and daily rated employees and being deposited in their Provident Fund accounts?

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्रीमान जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय तथा अधिनियम के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्याख्या के संदर्भ में भविष्य निधि अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण जारी कर दिये गये हैं । मेरे पास जारी किये गये स्पष्टीकरणों की प्रतियां हैं यदि माननीय सदस्य चाहते है, तो मैं उन्हें उन स्पष्टीकरणों की प्रति दे सकता हूं जिन्हें निर्णय को देखते हुये जारी किया गया है ।

Shri Mohd. Jamilurrahman : Mr. Speaker, Sir; my question remains unanswered. The Hon'ble Minister has stated that the question of amending this Act is under consideration. Please see that the Judgement was pronounced on 1st April, 1971 and about two and half years have passed since then. I want to know how long this matter would remain under consideration? Can the Hon'ble Minister give any specific date indicating the particular session when the amendment to this Act would be brought?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस अधिनियम की परिधि तथा किन प्रकार के लोगों पर यह लागू होगा । इस सम्बन्ध में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में उठा था । चूंकि कुछ संदेह व्यक्त किये गये थे और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि इस मामले के संदर्भ में प्रत्येक मामले पर विचार करना होगा, इसलिये भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा निदेशों के रुप में कुछ स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : कृपया इस बात का उत्तर दीजिये कि क्या भविष्य निधि प्राधिकर को कोई निदेश दिया गया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : नैमित्तिक श्रम को अस्थायी कर्मचारियों के रूप में समझा जा सकता है या नहीं इस पर सर्वोच्च न्यायालय ते अपना निर्णय घोषित किया और उस निर्णय को देखते हुये स्पष्टीकरण दिये गये और निदेश भी जारी किये गये और किसी विशेष मामले में इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे अथवा नहीं, वह उस विशष मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है । में उस को देखे बिना उत्तर नहीं दे सकता । जहा तक इस अधिनियम के संशोधन का संबंध है, इस पर विचार किया गया है । इसके अतिरिक्त, इसकी परिधि के बारे में भी विचार करना होगा । अतः इसमें कुछ और समय लगेगा ।

न्यूयार्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास के आप्रवास विभाग द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार के बारे में शिकायतें

* 471. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में भारतीय वाणिज्यीक दूतावास के स्वागती और कुछ अन्य कर्मचारियों (विशेषतया आप्रवास विभाग के) के अभद्र व्यवहार के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) किस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) स्वागती के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन टलीफोन आपरेटर के खिलाफ एक शिकायत और आप्रवास अनुभाग के खिलाफ, जिसे कौंसली अनुभाग कहते हैं, कई शिकायतें मिली थी।

(ख) पिछले छह मास के दौरान मिशन को टेलीफोन आपरेटर के खिलाफ कठोर व्यवहार के लिए केवल एक लिखित शिकायत मिली है जिसका कारण यह पाया गया कि स्विच बोर्ड में मशीनी खराबी थी। जहां तक कौंसली अनुभाग का संबंध है, उसके खिलाफ कौंसली सेवा में विलम्ब की शिकायते ह। मिशन ने उसकी सेवाओं में सुधार के कदम उठाये ह।

श्री पीलू मोदी : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर और अधिक ध्यान दे और इस बात का प्रयत्न करें कि वाणिज्य दूतावास के स्वागती काउन्टर पर नम्रता का व्यवहार किया जाये। उस नम्रतापूर्ण उत्तर को ध्यान में रखते हुए, मैं अनपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहूंगा।

श्री स्वर्ण सिंह : म यह सुनिश्चित करने के लिये यथासम्भव प्रयास करूंगा कि वहां कर्मचारी नम्रता से व्यवहार करें और वे काउन्टर पर आने वाले सब व्यक्तियों, पुरुषों और महिलाओं से शिष्ट व्यवहार करें और अपना कार्य शीघ्रता से करें।

श्री जगन्नाथराव जोशी : कल पुर्जों की खराबी और अभद्र व्यवहार में क्या अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप क्या समझेंगे।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का बन्द किया जाना

* 473. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को बन्द करने के अपने पहले निर्णय पर पुनर्विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है। इस बारे में अन्तिम रुप से निर्णय अभी लिया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : हिन्दुस्तान स्टील को प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है और यह घाटा लगभग 223 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। क्या सरकार अब भी इसको पुनर्गठन करने का प्रयास कर रही है अथवा नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : हिन्दुस्तान स्टील एस० ए० आई० एल० कीं सहायक कम्पनी है। एस० ए० आई० एल० के गठन का अभिप्राय हिन्दुस्तान स्टील को एककों में विभाजित करना है जिससे प्रत्येक इस्पात संयंत्र, सब शक्तियां और दायित्व निर्धारित होने पर स्वायत्त रुप से काम कर सकें। संगठन का ऐसा गठन निर्माणाधीन है। लेकिन हिन्दुस्तान स्टील, जो एक मुख्य निकाय हैं, का मामला विचाराधीन है क्योंकि हमने अभी इस बात का पता लगाना है कि इसकी क्या भूमिका हो सकती है।

जहां तक इस्पात उद्योग में हानि का सम्बन्ध है, इसका पहला कारण इस्पात के उत्पादन में कमी है। दूसरा कारण भारत में उत्पादित इस्पात का बहुत कम मूल्य दिया जाता है। एक मामले में सुधार किया गया है, अन्य मामले में सुधार किया जा रहा है अर्थात् उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

श्री राम गोपाल रेड्डी : नियंत्रक कम्पनी का क्या बना? हम नियंत्रक कम्पनियों के बारे में अनेक बार चर्चा कर चुके हैं लेकिन मंत्री महोदय ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

श्री टी० ए० पाई : नियंत्रक कम्पनी का प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye : I want to know whether the Government is considering to disband the Hindusthan Steel because since its inception funds are being misappropriated there, instead of making profits on the investment made by the Governments? I want to know the amount of money wasted in it and the loss suffered by it?

श्री टी० ए० पाई : हिन्दुस्तान स्टील को 1972-73 तक कुल 250 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

Shri Madhu Limaye : What a praiseworthy work, they do ?

श्री टी० ए० पाई : इसमें सब संयंत्रों की संयंत्रवार हानि शामिल है। इसमें बट्टे खाते में डाला गया मूल्यह्रास भी शामिल है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नही हूं कि उक्त हानि दुर्विनियोजन के कारण हुई।

Shri Madhu Limaye : I have stated "Eating of the capital I have not said 'Misappropriation'.

श्री मधु दण्डवते : समस्त उद्योग को समाप्त कर दिया गया है।

श्री टी० ए० पाई : हानि का ब्यौरा इस प्रकार हैं :—भिलाई इस्पात संयंत्र को 1972–73 तक कुल 13 करोड़ रुपय से अधिक की हानि हुई। आशा है इस वर्ष इस हानि को पूरा कर दिया जायगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को सबसे अधिक हानि हुई है। यह हानि 157 करोड़ रुपये की है। रुरकेला इस्पात संयंत्र को 27 करोड़ रुपये और उर्वरक संयंत्र को 18 करोड़ रुपये और मिश्रधातु संयंत्र को 36 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

Shri Madhu Limaye : Has any plant earned profit?

श्री टी० ए० पाई : संयंत्रों को अभी लाभ होना है। आशा है इस वर्ष संयंत्रों की स्थिति में सुधार होगा।

श्री प्र ोध चन्द्र : माननीय मंत्री ने बताया है कि हानि के मुख्य कारण इस्पात के उत्पादन में कमी हो जाना और इस्पात के कम मूल्य निर्धारित किया जाना है। यदि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जैसी इस्पात कम्पनियां तथा अन्य कम्पनियां उसी निर्धारित मूल्य पर लाभ उठाती है, तो सरकारी उद्यमों के हानि में चलने के क्या कारण हैं ?

श्री टी० ए० पाई : टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी संयंत्र में सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों की तुलना में, जो बहुत बाद में आरम्भ किये गये हैं, पूंजी लागत बहुत कम है। टिस्को में उनकी तुलना में उत्पादन बहुत अधिक है। लेकिन ये तत्त्व टिस्कों में अधिक उत्पादन के लिये जिम्मेवार हैं। मुझे आशा है कि अब उत्पादन में वृद्धि के साथ, जैसाकि भिलाई संयंत्र ने संकेत दिया है, सरकारी क्षेत्र में स्थित संयंत्रों के निरन्तर हानि में चलने का कोई कारण नहीं है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार ने इन एककों का विकेन्द्रीकरण करने और उन्हें स्वायत्त बनाने के बारे में कोई ठोस निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसके मुख्य मार्गदर्शक सिद्धान्त क्या हैं और इस्पात संयंत्रों के विकेन्द्रीकरण में कितना समय लगेगा ?

श्री टी० ए० पाई : विकेन्द्रीकरण से ये एकक पृथक-पृथक लिमिटेड कम्पनी में विभक्त हो जायेंगे। खातों के समायोजना तथा हानि आदि के हस्तान्तरण के मामले हैं। इस सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही कार्यवाही की जा रही है। इस बीच उनकी सब गतिविधियों का समन्वय किया जा रहा है, और इन एककों के पृथक कम्पनियों के रुप में गठित किये जाने का मामला इनके कुशल कार्य में बाधक नहीं है।

Shri Jagannath Rao Joshi : I want to know whether the Steel plants suffer losses due to non-utilisation of their full capacity? If so, what are the reasons for not utilising them?

श्री टी० ए० पाई : प्रत्येक संयंत्र की संयंत्रवार कठिनाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है। बिजली की कमी और कोकिंग कोल की कम सप्लाई, जो पूरी क्षमता के उपयोग में बाधक हैं, को दूर किया जा रहा है। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान क्षमता का पूर्णतया उपयोग किया जाये क्योंकि अन्यथा अधिक विस्तार करने से कोई लाभ नहीं होगा।

चित्तुर सहकारी चीनी कारखानों के कर्मचारियों को बोनस

* 474. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तूर सहकारी चीनी कारखानें के प्रबन्धक इस वर्ष अपने कर्मचारियों को देय बोनस इस आधार पर न देने या कम मात्रा में देने का प्रयास कर रहे है कि पिछले वर्ष का पूरा बोनस, इसकी कुछ राशि भविष्य निधि में जमा करने के बजाय, उन्हें नकद दे दिया गया था; और

(ख) क्या सरकार इस बारे में वस्तुस्थिति का पता लगाएगी और कर्मचारियों को न्यायोचित बोनस दिलाना सुनिश्चित करेगी ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अधीन राज्य सरकार "समुचित सरकार" है। तथापि, उनसे सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या मंत्री महोदय इसके लिये तैयार है कि यदि राज्य स्तर पर उन कर्मचारियों की बोनस को अदा करने की वैध आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई तो वे इसके लिये जिम्मेवार होंगे ? यदि हां, तो उनका प्रबन्धकों द्वारा की

जा रही अनियमितताओं और अवैध कार्यवाही को रोकने के लिये अविलम्ब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का भार राज्य सरकारों पर है। हम राज्य सरकार के कार्य में अनावश्यक रुप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यदि कोई संस्थान कोई गलती करता है, और आवश्यक बोनस का भुगतान नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध कठोरता से कार्यवाही करनी पड़ेगी। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि 1972-73 में बोनस नकद दिया जायगा। यदि माननीय सदस्य को इस मामले में कुछ कहना है, तो वह राज्य सरकार से अनुरोध कर सकते हैं और उसकी प्रति हमें दे सकते हैं। तब हम इस बारे में कार्यवाही करेंगे।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों को उनके वैध बोनस से वंचित रखना उनकी श्रमिक विरोधी पद्धति तथा अनियमिताताओं का एक भाग है जिसकी शिकायत मंत्रालय से की गई है, जसाकि कर्मचारियों को सहकारी समितियों में शेयर लेने, उन्हें अपनी स्थानीय पंचायत आदि में भाग लेने तक से रोका जाता है और क्या प्रबन्धकों की इस कार्यवाही की ओर ध्यान दिया जायेगा और प्रबन्धकों की उन श्रमिक विरोधी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पर्याप्त कार्यवाही की जायगी ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जहा तक चित्तूर कारखाने का सम्बन्ध है, हमारे सी० एल० सी० अधिकारी इस मामले की ओर ध्यान दे रहे हैं और आशा है इसके परिणाम निकलेंगे।

इस्पात के आवंटन सम्बन्धी नीति

* 475. **श्री रधुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के लघु उद्योग क्षेत्र को इस्पात तथा इस्पात सामग्री आवंटित करने के लिए कोई नियम/विनियम/नीति निर्धारित की है?

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उक्त नीति के अन्तर्गत पंजाब को कितने इस्पात का आवंटन किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) लघु उद्योगों को इस्पात को सप्लाई विभिन्न राज्यों के लघु उद्योग निगमों कीमार्फत की जाती है। इस्पात का आवन्टन की गई मात्रा तिमाही विशष में उपलब्धि और स्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।

(ग) पंजाब लघु उद्योग निगम को पिछली दो तिमाहियों में किया गया आबंटन इस प्रकार है:—

जुलाई–सितम्बर, 73	10,887	टन
अक्टूबर–दिसम्बर, 73	11,078	टन

श्री रधुनन्दन लाल भाटिया : पंजाब में इस्पात की बिकट कमी को देखते हुए, जिसके परिणाम स्वरुप बटाला, अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में कारखाने बन्द हो गए हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब में छोटे कारखाने की आवश्यकता के मुकाबले कितने प्रतिशत सप्लाई की गई है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : मैं ठीक ठीक आंकड़े तो नहीं दे सकूंगा, इतना कह सकता हूं कि अक्तूबर, 1972-73 से पंजाब की ही मांग 9,6000 टन है और इसकी अपेक्षा सप्लाई इतनी अधिक नहीं है, एक ओर यह कहा जा सकता है कि यह मांग बहुत बढ़ी-चढ़ी है। तथापि इस बात की ओर न जा कर मैंने निर्णय किया है कि सभी राज्यों के लघु उद्योग निदेशकों की बैठक

लघु उद्योग के प्रभारी उपमंत्री की अध्यक्षता में बुला कर प्रत्येक राज्य को उचित नियतन किया जाए और लघु उद्योगों में प्राथमिकताएं भी निर्धारित की जा सकें और देश में उपलब्ध सीमित इस्पात में से उनकी आवश्यकता पूरी की जा सकें ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यद्यपि मने विशिष्ट प्रश्न पूछा था, फिर भी उसका विशिष्ट उत्तर नहीं मिला है । मुझे पता लगा है कि पंजाब को उसकी आवश्यकता का केवल 3 प्रतिशत इस्पात ही मिला है, क्या यह सच है ?

श्री टी० ए० पाई : मैं ठीक-ठीक तो नहीं बता सकता । हां, जैसा कि मैंने बताया है, एक वर्ष की 9,16,000 टन की मांग के बदले दो मास में 20,000 टन सप्लाई किया गया है । देश भर में छोटे कारखानों के बन्द होने के समाचार मिलने पर मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं कि अब की अपेक्षा अधिक युक्तियुक्त आधार पर उनकी मांगे यथासम्भव पूरी की जा सकें ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल के विपरित पंजाब को गत चार तिमाहियों में सप्लाई घटती रही है ?

श्री टी० ए० पाई : मेरे पास तुलनात्मक आंकड़ें तो नहीं हैं । हां कमी-बेशी कुछ टनों की ही होगी जैसे जुलाई, सितम्बर, 1973 में 10,887 टन और अक्तूबर-दिसम्बर, 1973 में 11078 टन इस्पात सप्लाई किया गया । मैं यह मान ही चुका हूं कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है और मैं यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार हूं कि यथासम्भव उनकी मांग पूरी की जाए ।

Shri Sarjoo Pandey : People are not happy over steel distribution and in U.P. in particular, many units have closed down, I want to know the quantity of steel supplied to U. P. so far and the steps proposed to be taken to remove the cause of such complaints :

Mr. Speaker : Where U.P. comes into that? It only relates to rules and regulations and policy.

Shri Sarjoo Pandey : The question pertains to the entire country, so I asked about U.P.

Mr. Speaker : Part (c) is regarding Punjab only. Please table a separate question about U.P.

Shri Sarjoo Pandey : Kindly allow it to be answered.

श्री टी० ए० पाई : मेरे विचार में उत्तर प्रदेश में शायद सभी कारखाने इस्पात की कमी से बन्द नहीं हुए है । तथापि, देशभर के लघु उद्योगों की समस्याओं पर विचार किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है ।

श्री एन० टोंबी सिंह : क्योंकि अनेक पिछड़े राज्यों में अभी लघु उद्योग लगाए जाते हैं, अतः क्या सरकार इस्पात के नियंत्रण में पूर्वोत्तर क्षेत्र का विशेष ध्यान रखेगी ?

श्री टी० ए० पाई : वर्तमान वर्गीकरण लघु उद्योगों के बारे में है परन्तु हमें देश के हित में अगे वरीयता के और वर्ग भी बनाने होंगे : अतः प्रत्येक राज्य सरकार फैसला करेगी कि किन उद्योगों को सहायता दी जाये और मुझे विश्वास है कि पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को भी जो इस शर्त को पूरा करगे इस कोटे के हकदार बनें ।

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या इस सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति भेदभावपूर्ण है जिस से अधिकांश इस्पात चट्ट को ही मिला है ? तो क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि पूरी नीति को बदल दिया जाएगा और क्या तकनीकी जानकारों को लघु उद्योग लगाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ।

श्री टी० ए० पाई : खेद है ऐसा आश्वासन नहीं दिया जा सकता। यदि वितरण दो लघु उद्योगों में असमान है तो मैं जांच करने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का भाग (क) नीति सम्बन्धी है और भाग (ग) पंजाब के बारे में, परन्तु मुझे कोई भेदभाव का दोषी न कहे इसलिए मैं अन्य राज्यों के बारे में भी प्रश्नों की अनुमति दे रहा हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : लघु उद्योगों की कुल मांग क्या है और उसके कितने प्रतिशत की पूर्ति की जाती है ?

श्री टी० ए० पाई : मैं यह आकड़ें नहीं दे सकूंगा।

Shri Buta Singh: There is a re-rolling Mill in my constitutency which is a small-scale unit. I, therefore, know how defective the Government's allocation policy is. I want that a cell should be created in his Ministry to help genuine small units on the basis of reports with them so that the industries which have been closed down in Punjab, may be restarted?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है। श्री मावलंकर।

श्री बूटा सिंह : प्रश्न यह है कि क्या वह ऐसा सैल बनाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अब देर हो चुकी है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि देशभर में लघु उद्योगों को इस्पात की सप्लाई अपर्याप्त है और वह अधिक युक्तियुक्त आधार अपनाने जा रहे हैं। परन्तु मूल प्रश्न इसी बारे में होते हुए भी नीति विशेष नहीं बताई गई है और विभिन्न पूरक प्रश्नों के उत्तर में वह सामान्य आश्वासन देते रहे हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में नीति क्या है ?

श्री टी० ए० पाई : जैसा कि मैंने बताया है, लघु उद्योग के प्रभारी मंत्री और लघु उद्योग निदेशक ही यह नीति निर्धारित करने के लिए सब से उपयुक्त व्यक्ति हैं और वही बता सकते हैं कि क्या नियतन पर्याप्त है या नहीं और क्या इसी कारण कोई उद्योग बन्द हुआ है या नहीं। मैंने उनसे अपेक्षित कोटे की मात्रा बताने और वरीयता निश्चित करने को कहा है। उनकी बैठक से पहले मैं नहीं बता सकता कि नीति क्या होगी।

Alleged Inciting of Pakistanis through Cultural Programmes

*477. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Pakistan has levelled an allegation that India is inciting Pakistanis through her cultural programmes; and

(b) the main points of the Indian reply to the protest by Pakistan ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने पाकिस्तान के कुछ सूत्रों द्वारा लगाए गए इस आशय के आरोपों की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं। इस प्रकार के कोई भी आरोप बेबुनियाद हैं।

Shri Bhagirath Bhanwar : In view of the reply that this news is baseless, I want to know whether Government have contacted Pakistan Government for their clarification in regard to this press reports? If so, when and what reply has been received?

Shri Surendrapal Singh : The question is based on press reports. We usually do not seek any clarification on such reports.

Shri Bhagirath Bhanwar : We do not have diplomeatic relations with each other, therefore, what steps are contemplated to see that such reports are not published in future?

Mr. Speaker : What difference does it make if such reports are broadcast by each other's radio stations.

श्री रामावतार शास्त्री : श्री ईश्वर रेड्डी, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री कतामुत्तु, श्री जनार्दनन, श्री आर० बी० स्वामीनाथन अनुपस्थित हैं। मैं प्रश्न सूची पूरी करना चाहता था और अब यह पूरी हो चुकी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

*470. **श्री एस० ए० मुरुगन्नतम :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैंगनीज अयस्क के निर्यात को कम कर देने के क्या कारण हैं और निर्यात में कितनी कमी की गई है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : निम्नलिखित कारणों से मैंगनीज खनिज के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है :—

(क) 1-1-1972 को उच्च ग्रेड क मैंगनीज अयस्क का मापित तथा प्राप्य भण्डार लगभग 38 लाख टन था ;

(ख) अनुमान है कि सभी श्रेणियों के कम मात्रा वाले फासफोरस मैंगनीज अयस्क के मापित भण्डार लगभग 51 लाख टन है ।

(ग) फैरो मैंगनीज इस्पात तथा अन्य उद्योगों द्वारा मैंगनीज अयस्क की लगभग 8 लाख टन की वर्तमान वार्षिक खपत की तुलना में वर्ष 1978–79 तक बढ़कर लगभग 15 लाख टन होने की सम्भावना है ; तथा

(घ) फैरो मैंगनीज की प्रति टन निर्यात आय मैंगनीज खनीज के निर्यात से होने वाली आय से काफी अधिक है ।

2. सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(1) पहले से किए गए करारों की मात्रा के करारों को छोड़कर मैंगनीज की 46% से अधिक मात्रा वाले मैंगनीज अयस्क का निर्यात 31-3-1973 के पश्चात न किया जाए ।

(2) 1 अप्रैल, 1973 से 35% से 45% मैंगनीज की मात्रा वाले मैंगनीज अयस्क का निर्यात 1971–72 के स्तर से 1973–74 में 80% तथा 1974–75 में 60% कर दिया जाए और 31 मार्च 1974 से पहले मैंगनीज खनीज की देशीय आवश्यकता तथा इस के मुकाबले में उस समय मैंगनीज अयस्क के उत्पादन को देखते हुए स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाए ।

(3) उपरोक्त (1) तथा (2) में दी गई श्रेणियों के अलावा अन्य सभी श्रेणियों के मगनीज अयस्क का निर्यात 31 मार्च, 1975 तक 1971–72 के स्तर पर रहन दिया जाए। 31 मार्च 1974 से पहले मैंगनीज अयस्क की देशीय मांग तथा इसके मुकाबले में उत्पादन को देखते हुए स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाए ।

(4) फिलहाल फैरों मैंगनीज धातु का निर्यात जारी रहने दिया जाए ।

रूस और ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारत के राजनयिक संबंधों पर अरब-इस्राईल युद्ध का प्रभाव

*472. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस और ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्धों पर अरब-इस्राईल युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत और सोवियत संघ ने बराबर अरबों का दृढ़ और सम्मत समर्थन किया है और बराबर यह कहा है कि इस्राईल द्वारा जबर्दस्ती अधिकृत सभी अरब क्षेत्र अरबों को लौटा दिये जाएं। दोनों देशों ने यह भी बराबर कहा है कि फिलस्तीनियों को उनके वैध अधिकार पुन: दिए जाएं। अरब-इजराइल संघर्ष के दौरान, ब्रिटेन का रुख भी अरबों की स्थिति के प्रति अधिक समझदारी-पूर्ण रहा और ब्रिटेन ने इजराइल द्वारा 1967 के संघर्ष के बाद से लगातार अधिकृत क्षेत्रों को खाली किए जाने का समर्थन किया। इस बात को देखते हुए सोवियत संघ और ब्रिटन के साथ हमारे सम्बन्धों में किसी प्रकार के तनाव पैदा होने का प्रश्न ही नहीं है।

भूमिहीन श्रमिकों के कल्याण के लिए धन जुटाने हेतु उपकर लगाना

*476. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिक सैल सम्बन्धी स्थायी समिति ने देश के भमिहीन श्रमिकों के कल्याण के लिए धन-राशि जुटाने हेतु किसी प्रकार का उपकर लगाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) पिछले महीने नई दिल्ली में हुई कृषि श्रम सम्बन्धी स्थायी समिति की प्रथम बैठक में दिए गए सुझावों में से एक सुझाव यह था कि कृषि श्रमिकों की कल्याण योजनाओं के लिए उपकर के रूप में एकत्र करके, कृषि श्रम कल्याण सम्बन्धी निधि का संग्रह करना सम्भव होना चाहिए जैसे कि भू-राजस्व, प्रणाली में किया जाता है। सम्बन्धित हितों से सलाह करके इस मामले की अभी तक विस्तार में जांच करने पड़ेगी।

Fixation of Coal Price

***478. Shri Ramvatar Shastri** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government have fixed the price of coal sold in the various parts of the country; and

(b) if so, the broad outines thereof ?

The Minister of Heavy Industry and Steel and Mines (Shri T. A. Pai) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

बिजुरी खान का पुन: खोला जाना

*479. **श्री बाई ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने बिजुरी खान पुन: खोलने और जमुना कोयला खान का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या हैं और इससे उत्पादन और रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि होगी ?

भारी **उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई)** : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने देश में कोयले की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के उद्देश्य से बिजूरी कोयला खान को पुनः खोलने और जमुना कोयला खान के उत्पादन में वृद्धि करने का निश्चय किया है।

(ख) (i) बिजूरी कोयला खान से 454.76 लाख रुपये की पूंजीगत लागत से जिसमें 54.91 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित है, 4.80 लाख टन के उत्पादन और 1223 व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है।

(ii) जमुना कोयला खान से 756.33 लाख रुपये की पुंजीगत लागत से, जिसमें 49.18 लाख रुपये की विदशी मुद्रा सम्मिलित है, 10 लाख टन (5 लाख टन भूगर्भ से तथा 5 लाख टन खुली खानों से) के उत्पादन तथा 1798 व्यक्तियों को रोजगार की व्यवस्था लक्ष्य रखा गया है।

उपदान और बोनस भुगतान सम्बन्धी अधिनियमों का भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ पर लागू होना

*480. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपदान और बोनस भुगतान सम्बन्धी अधिनियम भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ पर लागू होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संघ ने इन अधिनियमों के लागू होने के बाद इनको क्रियान्वित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ पर लागू नहीं होता। इस प्रश्न कि क्या उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 इस संघ पर लागू होता है, विचाराधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन का 24 वां सत्र

*481. **श्री एम० कत्तामुत्तु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के श्रम मंत्रियों के संम्मेलन का 24 वां सत्र 24 नवम्बर, 1973 को नई दिल्ली में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्यतया किन-किन विषयों पर विचार किया गया ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन ने मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया :—

(1) स्वचालन समिति की सिफारिशें।

(2) बीड़ी उद्योग के श्रमिकों के लिए कल्याण उपकर निधि।

(3) मजदूरियों के निर्धारण के लिए तंत्र।

(4) उद्योग में सुरक्षा (कारखाने) ।

(5) केन्द्रीय उत्पादन निधि की स्थापना ; और

(6) विद्युत के सम्भरण की कमी और उसके परिणामस्वरूप जबरी छुट्टी पर प्रभाव और उत्पादन में हानि ।

श्री ब्रेजनेव के भारत आगमन से पूर्व रूस के अधिकारियों के साथ बातचीत

*482. **श्री सी० जनार्दनन**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ब्रेजनेव के भारत आगमन से पूर्व भारत सरकार और रूस के कुछ उच्च अधिकारियों की दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें कुछ विषयों पर बातचीत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की थी ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन प्रमुख प्रश्नों पर विचार किया गया, वे भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने से सम्बन्धित थे । श्री ब्रेजनेव की यात्रा की समाप्ति पर जिन करारों पर हस्ताक्षर किए गए, वे सदन की मेज पर 30-11-1973 को रखे जा चुके हैं ।

टेल्को लिमिटेड द्वारा स्क्रैप की नीलामी

4552. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर स्थित टेल्को लिमिटेड ने जमशेदपुर में 27 नवम्बर, 1973 को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बड़ी मात्रा में लोह, एम० एस० एण्ड सी० आई० तथा अन्य धातुओं की नीलामी द्वारा बेचने के बारे में विज्ञापन निकाला था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त माल की नीलामी हुई थी और यदि हां, तो कितनी मात्रा में रद्दी माल की नीलामी की गई थी तथा उससे कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ग) यदि अभी तक नीलामी नहीं हुई है तो क्या सरकार का विचार टेल्को लिमिटेड को यह आदेश देने का है कि स्क्रैप को नीलामी द्वारा न बेचकर सरकारी एजेन्सियों द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बेचा जाए ; और

(घ) क्या गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को यह आदेश देने का विचार है कि रद्दी माल केवल सरकार की पूर्व अनुमति लेकर बेचा जाए और वह भी सरकारी एजेन्सियों द्वारा केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचा जाए जिससे बिचोलियों द्वारा लाभ कमाने को रोका जा सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) इस समय रद्दी लोहे के मूल्य तथा वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है । रद्दी लोहे के समाहर्ता/उत्पादक रद्दी लोह को स्वेच्छा से बेचने के लिए स्वतन्त्र है । सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार जमशेदपुर स्थित टेल्को ने आगामी तीन महीनों में 700 टन प्रतिमाह की दर से एम० एस० एण्ड सी० आई० बोरिंग्स और टर्निंग्स की सार्वजनिक नीलामों द्वारा बेचने के लिए विज्ञापन दिया था । नीलामी के कार्यक्रम में अन्य श्रेणियां

जैसे प्लेट कटिंग्स एण्ड शियरिंग्स एण्ड/स्कवेयर बिलेट भी सम्मिलित थे। पता चला है कि उपर्युक्त नीलामी 27 नवम्बर, 1973 को हुई थी। फिर भी, बेची गई मात्रा तथा उससे प्राप्त हुई राशि के बारे में मालूम नहीं है।

एसिस्टेन्ट सिविलियन स्टाफ आफिसर्ज के पद के लिये भरती का ढंग

4553. **श्री के० मालन्ना :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर फोर्स हैडक्वार्टर में एसिस्टन्ट सिविलियन स्टाफ अफिसर्ज के पदों के लिए भर्ती का क्या ढंग है ;

(ख) इस ग्रेड को लागू करने के बाद से गत तीन वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कितने एसिस्टेन्ट सिविलियन स्टाफ अफिसर्ज की भर्ती की गई ;

(ग) एसिस्टेन्ट ग्रेड में से कितने एसिस्टेन्ट स्टाफ आफिसर्ज की भर्ती पदोन्नत हुए ; और

(घ) एसिस्टेन्ट सिविलियन स्टाफ आफिसर्ज को क्या कर्त्तव्य सौंपे गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी 5998/73]।**

दक्षिण वियतनाम द्वारा भारत से सहायता मांगना

4554. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम ने युद्ध से तहस-नहस अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए भारत से सहायता तथा सहयोग मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Expansion of Bhilai Alloy Steel Plants

4555 **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to increase the production of alloy steel in Bhilai Alloy Steel Plant and also to expand it;

(b) if so, the broad outlines of the decisions taken in this regard; and

(c) if no decision has been taken, the reasons therefor?

The Deuty Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (c) There is no Alloy Steel Plant at Bhilai, Presumably the reference is to the Durgapur Alloy Steels Plant. It has been decided, in principle, to expand the capacity of the Durgapur Alloys Steel Plant from its existing level of 100,000 tonnes ingots a year to 300,000 tonnes a year. The product-mix of the scheme of expansion is presently under examination.

Availability of Chromite in M.P.

4556. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) Whether Geological Survey of India has arrived at a positive conclusion that larger deposits of Chromite and Sediferrous Magnesite are available in Madhya Pradesh;

(b) if so, the salient features in this regard; and

(c) the time by which exploitation will commence?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) & (b) Occurrence of Magnesite is known at Medra in Bastar District, Madhya Pradesh. Preliminary work has indicated that occurrences are not promising from economic point of view. The occurrence of sediferrous Magnesite (Iron Bearing Magnesite) has not been reported from Madhya Pradesh. There are no reported occurrences of chromite in Madhya Pradesh.

(c) Does not arise.

Low Wages of Agricultural Labour in M.P.

4557. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the minimum wages for agricultural labour in Madhya Pradesh are less than that in other States; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) : (a) and (b) The information is being collected.

Steel Plants in Madhya Pradesh

5558. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are considering setting up of three steel plants in Madhya Pradesh; and

(b) if not, the number of plants proposed to be set up and the time by which these are expected to be set up?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) & (b) Government are not considering the setting up of any new steel plant in Madhya Pradesh but the capacity of Bhilai Steel Plant in Madhya Pradesh is proposed to be increased from 2.5 million ingot tonnes to 4 million ingot tonnes during the Fifth Five Year Plan period.

However, detailed techno-economic studies for identifying locations for setting up new steel capacity, as part of the long-term programme, would be initiated by the Steel Authority of India Limited in the Fifth Plan and, in the context, suitable locations in the country including Bailadila in Madhya Pradesh would be considered. These studies would be made use of while drawing up the steel development programme in succeeding plant periods.

Production in Bhilai Steel Plant

4559. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the month-wise figures of production in Bhilai Steel Plant during the current year and the figures in the corresponding period during the last year?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): Month-wise production of steel ingots and saleable steel in Bhilai Steel Plant during the current year and the corresponding period during the last year is as follows:—

Name of the Month	Production of ingot steel (in tonnes)		Production of Saleable steel (in tonnes)	
	1973-74	1972-73	1973-74	1972-73
April . .	1,59,050	1,68,250	1,04,406	1,25,155
May .	1,45,000	1,53,000	1,29,035	1,35,020
June .	1,48,000	1,45,000	1,37,428	1,31,284
July .	1,63,000	1,80,030	1,52,573	1,38,332
August.	1,64,600	1,75,000	1,50,316	1,50,017
September .	1,77,000	1,66,140	1,62,742	1,51,131
October	1,73,000	1,80,000	1,54,600	1,52,621
November . .	1,56,500	1,67,000	1,40,700	1,43,500

भारत कोकिंग कोल के अधिकारियों के वेतन

4560. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारी अपने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सहयोगियों की अपेक्षा अब भी अधिक वेतन ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अन्तर के क्या कारण है ; और

(ग) कोयला खान उपक्रमों में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

झिगुरदाह कोयला खानों के मापक यंत्र का खराब हो जाना

4561. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोरबा में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की झिगुरदाह कोयला खानों के मापक यंत्र सामान्यतया खराब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो कोयले की सप्लाई की मात्रा की जांच करने के लिए क्या उपाय काम में लाये जाते हैं ; और

(ग) क्या मापक यंत्र के खराब होने पर कोयला की सप्लाई बन्द नहीं की जाती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : विगत कुछ समय से झिगुरदा कोयला खान, जो रेणुसागर बिजली घर को कोयला देती है, स्थित पट्टी-संवाहक में प्रतिष्ठापित मीटर प्रणाली खराब है ।

(ख) रेणसागर बिजली घर को दी जाने वाली कोयले की मात्रा पर रेणुसागर स्थित पट्टी-संवाहक में प्रतिष्ठापित भार-मीटर को ज्ञात करके, नियंत्रण रखा जाता था । भार-मीटर सीलबन्द होते हैं और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधिकारी उनकी निगरानी करते ह । तथा भार-मीटरों को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिनिधियों और रणसागर बिजली घर के प्रतिनिधियों की संयुक्त निगरानी में नियमित रूप से व्यास मापन किया जाता है । कोयला खान से निकाले गए कोयल के कुल प्रेषणों की प्रति-परीक्षा सर्वे-माप द्वारा की जाती है ।

(ग) झिगुरदा कोयला खान से रेणुसागर बिजली घर को कोयला की पूर्ति बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कोकिंग और गैर कोकिंग कोयला खानों के मालिकों को सरकार द्वारा हिसाब-किताब देना

4562. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रबन्ध ने कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला खानों के मालिकों को हिसाब-किताब दे दिए हैं ;

(ख) क्या उनकी लेखा परीक्षा कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत होती है ;

(ग) इनकी लेखा परीक्षा किस तिथि को हुई और इन लखों को कब भेजा गया और यह लखा-परीक्षा किस अवधि की थी ; और

(घ) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जिनके बारे में लेखा-परीक्षकों ने क्वालीफाइड रिपोर्ट अथवा टिप्पणियों सहित रिपोर्ट दी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 22 में अपेक्षित लेख का ब्यौरा कोककर कोयला खानों के भूतपूर्व मालिकों तथा कोक भट्टी संयंत्रों को प्रस्तुत कर दिया है ।

अकोककर कोयला खानों के बारे में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अधीन निर्दिष्ट तारीख 30 जून, 1974 अधिसूचित की गई है । इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित लेखा-विवरण अन्तिम रूप से तैयार हो जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ख) लेखों की कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 22(6) और (7) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षा की गई थी ।

(ग) विवरण 17-10-71 से 30-4-72 तक की अवधि के बनाए गए हैं जिनमें लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदत्त भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा 16-12-72 तक किए गए भुगतानों तथा 31-3-73 तक की प्राप्तियों का उल्लेख है । कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम की धारा 22वीं अपेक्षाओं के अनुसार कोककर कोयला खानों/कोक-भट्टी संयंत्रों क बारेमें लेखा प्राप्ति की तारीखों तथा उन्हें मालिकों को भेजे जाने की तारीखों की जानकारी अनुलग्नक- I में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 59/99/73]** ।

(घ) कोककर कोयला खानों के बारे में जानकारी अनुलग्नक-II में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5599/73]** ।

Raising of Adivasi Regiment during Fifth Five Year Plan

4563. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to raise an Adivasi regiment during the Fifth Five Year Plan ; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise,

Wagon-Loaders in Coal Mines on Contract Basis

4564. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the wagon-loaders in coal mines are working on contract basis even after the nationalization of coal mines;

(b) whether he is aware that these wagon-loaders are Adivasis or belong to Schedule Castes and do not get adequate work to earn their living; and

(c) whether Government propose to abolish contract labour and make them regular salaried employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) **to** (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Recruitment of Adivasis in Armed Forces

4564. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Adivasis recruited in Armed Forces during the last three years;

(b) whether Adivasis are given concession in matters of age and qualifications for joining Armed Forces;

(c) whether Government have taken steps to create interest, attraction in hearts of Adivasis for joing Armed Forces; and

(d) Governments' poroposals for making use of the patriotism, service, power and abour of Adivasis in the interest of the country?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) This information is not readily available; it will be collected and placed on the Table of the House.

(b) No concessions in respect of age or qualifications are granted to any community class or sect including Adivasis for recruitment to the Armed Forces.

However, in respect of Adivasis as well as a number of certain other ethnic groups such as Gorkhas, etc., where the physical standards are lower than those for the general population, relaxation in the prescribed physical standards, i.e. height, weight and chest measurements, are permitted upto prescribed limits.

The Scheduled Tribes (Adivasis) are given preference in recruitment to the Armed Forces, other things being equal.

(c) Recruiting Officers are expected to undertake tours in the interior areas where Adivasis are found and to popularise recruitment among them by extensive publicity drive.

(d) No proposals in addition to what has been stated at (c) is under consideration.

Coal Consumption of Delhi in Winter

4566. Shri Bhagirath Bhanwar :
Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether coal consumption of Delhi for winter season is 2400 wagons;

(b) whether coal has not been stocked in adequate quantity this year;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the persons found responsible for this lapse and the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) The Delhi Administration have intimated the monthly requirement of soft coke during the winter months as 2000 wagons per month.

(b) & (c) Due to the pressure of the demand for wagons for the transport of coal to high priority consumers it has not been possible to move any quantities of coal higher than the actual requirements which would enable the building-up of stocks.

(d) Does not arise.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित मुद्रण मशीनों की लागत

4567. **श्री वयालार रवि** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलमासदी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एकक द्वारा निर्मित मुद्रण मशीन की लागत बहुत ही अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कारखाने में निर्मित ऐसी मशीन की लागत को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) देश में इन मशीनों की बड़ी संख्या में अपूर्ण मांग को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को पर्याप्त मात्रा में आयात करके इन मशीनों का निर्माण करने की अनुमति दी गई है ताकि शीघ्रातिशीघ्र डिलीवरी की जा सके। जब तक निर्माण की प्रक्रिया का पर्याप्त रूप से देशीकरण नहीं होता है तब तक आयातित हिस्से-पुर्जों की कीमतों और सीमाशुल्क मानों में घट-बढ़ के अनुसार मूल्यों में घट-बढ़ होने की सम्भावना है।

केरल राज्य में स्कूटरों का उत्पादन

4568. **श्री वयालार रवि** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में स्कूटर उत्पादन करने वाले वर्तमान संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में वर्षवार उनका वास्तविक उत्पादन कितना था ; और

(ख) उक्त राज्य में निर्माणधीन स्कूटर एककों की उत्पादन क्षमता तथा अन्य ब्यौरा क्या है और राज्य में नये स्कूटर एकक आरम्भ करने के लिए सरकार के विचाराधीन आवेदन-पत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) किसी भी लाइसेन्स प्राप्त एकक ने केरल में स्कूटरों का वाणिज्यिक पैमाने पर निर्माण अभी शुरू नहीं किया है।

(ख) मे० केरल स्टेट इंजीनियरिंग टेक्निशियन्स (वर्कशाप) इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, त्रिवन्द्रम को स्कूटरों का निर्माण करने के लिए केरल में एक नया औद्योगिक उपक्रम लगाने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है। इस परियोजना को पुन्नाप्रा, जिला एल्लेपी में स्थापित करने

का प्रस्ताव है और इसकी प्रतिवर्ष 24,000 स्कूटरों की क्षमता प्रकल्पित की गई है । भूमि, भवन तथा मशीनों के लिए 128.03 लाख रुपये के विनियोजन का प्रस्ताव है और लगभग 983 व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता बताई है । इस अवस्था में पहले ही ठीक-ठीक यह बता सकना सम्भव नहीं है कि उत्पादन कब प्रारम्भ होगा । केरल में नए स्कूटर एकक प्रारम्भ करने के लिए सरकार के पास कोई भी आवेदन अनिर्णित नहीं पड़ा हुआ है ।

कन्नाकुट्टम सैनिक स्कूल के कर्मचारियों से ज्ञापन

4569. श्री वयालार रवि : क्या रक्षा मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कन्नाकुट्टम सैनिक स्कूल के कर्मचारियों से अपने सेवा शर्तों में सुधार लाने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) सैनिक स्कूल कन्नाकुट्टम के कर्मचारियों का सेवा शर्तों के बारे में कोई भी अभ्यावेदन सरकार के पास अभी विचारार्थ नही पड़ा है । तथापि अगस्त 1973 में अन्तरिम राहत के सम्बन्ध में एक अभ्यावदन प्राप्त हुआ था । प्रिन्सीपल को सलाह दी गई थी कि मामले को स्थानीय प्रशासन मण्डल के माध्यम से राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करें । 19 जनवरी, 1973 को इस स्कूल के स्थानीय प्रशासन मण्डल की बैठक में चतुर्थ श्रेणीके कर्मचारियों को नि:शुल्क आवास प्रदान करने तथा उनके लिए एक समान वेतनमान दिए जाने की सिफारिश की गई थी । इस मामले को अन्य प्रश्नों के साथ अभी बोर्ड आफ गवर्नर्स के द्वारा निर्णित नहीं किया जा सकता है क्यों कि सरकार के द्वारा नियुक्त की गई उच्च शक्ति समिति इस योजना के पुनर्मूल्यांकन से सम्बन्धित कार्य में व्यस्त है । इन मामलों पर इस उच्च शक्ति समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाएगा ।

देश के स्कूलों में रक्षा अध्ययन आरम्भ करना

4570. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के स्कूलों में रक्षा अध्ययन आरम्भ करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या रक्षा सम्बन्धी अध्ययन एन० सी० सी०/ए० सी० सी० का एक भाग होगा अथवा यह एक पूर्णत: पृथक विषय होगा ;

(घ) उक्त योजना प्रयोगात्मक आधार पर कब से क्रियान्वित की जाएगी ; और

(ङ) उक्त योजना किन-किन राज्यों में तुरन्त लागू कर दी जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

बिलेट पुनर्वेलन मिलें

4571. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलेट का पुनर्गठन करने वालों का, जिनकी संख्या 116 है, देश में बिलेटों के समूचे उत्पाद का पुनर्वेलन करने के कार्य पर एकाधिकार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका बिलेट का पुनर्वेलन करने वाले अन्य व्यक्तियों का विपरित प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो बिलेट का पुनर्वेलन करने वाले अन्य व्यक्तियों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जहां तक बिलेट का सम्बन्ध है इनकी सप्लाई तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार केवल पंजीकृत बिलेट पुनर्वेलकों को दी जाती है। दूसरे पुनर्वेलकों को बिलेट को छोड़कर दोषयुक्त बिलेट, कम लम्बाई की अपरीक्षित रेल की पटरी, आदि दूसरा पुनर्वेलन योग्य माल दिया जाता है। सभी प्रकार के पुनर्वेलन माल, जिसमें बिलेट और पुनर्वेलन स्क्रैप भी शामिल हैं, की कमी है। पुनर्वेलन योग्य स्क्रैप उत्पादन प्रक्रिया में निकलता है इसलिए इसकी उपलब्धि समय-समय पर बदलती रहती है।

ज्वायंट साईफर ब्यूरों में उप-निदेशक

4572. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वायंट साईफर ब्यूरों में उप-निदेशक के कितने पद हैं ;

(ख) क्या इन पदों पर सैनिक अधिकारी काम कर रहे हैं अथवा असैनिक अधिकारी ;

(ग) क्या किसी पद को, यदि इस पर सैनिक अधिकारी काम कर रहा है, असैनिक घोषित करने का निर्णय लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्णय को कार्यन्वित करने में कितना समय लगेगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) दो, श्रीमन्।

(ख) से (घ) भर्ती नियमों के अनुसार, उप निदेशों के दो पदों को सिविलियन अफसरों की पदोन्नति द्वारा भरा जाना है इसमें असफल होने पर बीज-लेख (साईफर) अनुभव वाले सेवा अधिकारियों द्वारा, प्रतिनियुक्ति पर भरा जाना है ; और दोनों तरीकों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा। इस समय, इन में से एक पद पर सेवा अधिकारी नियुक्त है ; और इस पद पर नियुक्त वर्तमान व्यक्ति के पदसे भारमुक्त हो जाने पर एक सिविलियन अफसर को नियुक्त करने का निर्णय ले लिया गया है। इस सेवा अधिकारी को पद से कब भारमुक्त किया जाएगा इसकी तारीख अभी निश्चित नहीं की गई है।

Requisitions sent by Defence Deptt. to Employment Exchanges for Recruitment of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates in Defence

4573. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the Defence Department has placed a requisition with the Employment Exchanges in regard to the filling up of the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) whether those requisitions do not contain details in regard to age limit, qualifications, experience and special exemptions and concessions available to scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(c) if so, the reasons therefor and if not, the full details in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J.B. Patnaik) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राज्य सरकारों को औद्योगिक प्रयोजनार्थ कोयला ले जाने वाले वैगनों का आवंटन

4574. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों को कोयला ले जाने वाले वैगनों के आवन्टन तथा आगे राज्य सरकारों द्वारा उन्हें लघु उद्योगों को आवन्टित करने के बारे में कोई मार्गनिदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किए गए है ; यदि हां, तो वे क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि जगाधरी (हरियाणा) में सभी लघु उद्योगपति, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान वैगनों का मासिक कोटा आवन्टित किया गया था; उन्हे चोर बाजार में बेच रहे हैं तथा उनका वस्तुत: प्रयोग नहीं कर रहे हैं और प्रयोग करने के समर्थन में जाली कागजात तैयार कर रहे हैं ;

(ग) क्या वह किसी केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा इसकी जांच करवायेंगें और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस दिशा में स्थिति सुधारण तथा ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) विभिन्न राज्यों में स्थित उद्योगों को कोयला पहुंचाने के लिए वैगनों का आवन्टन रेल मंत्रालय के रेल संचालन निदेशक द्वारा, राज्य सरकारों और अन्य प्रयोजी प्राधिकारियों से प्राप्त प्रायोजित मांग-सत्रों की संवीक्षा के बाद किया जाता है। चूंकि कोयले के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, अत: इस बारे में राज्य सरकारों को कोई निर्देश नहीं दिए गए है ।

(ख) से (घ) इस बारे में मंत्रालय में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह राज्य सरकारों का विषय है जिन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत आवश्यकता पड़ने पर जांच तथा कार्रवाई करने का अधिकार है ।

कर्मचारी राज्य बीमा के लिये भावी आयोजना विषयक समिति की सिफारिशें

4576. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा के लिए भावी आयोजना विषयक विशेष समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ; और

(ग) देश भर में बीमा शुदा व्यक्तियों और उनके परिवारों को एक समान चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की दिशा में, क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निम्नलिखित सूचना दी हैं :—

(क) भावी आयोजन विषयक समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिश की हैं :—

(1) सारे देश में बीमाशुदा व्यक्तियों और उनके परिवारों को पर्याप्त स्तर की डाक्टरी देख रेख की सुविधायें समानरूप से प्रदान की जानी चाहिए ।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा योजना को अतिरिक्त प्रतिष्ठानों के वर्गों पर छोटे कारखानों, दुकानों और वाणिज्य सम्बन्धी प्रतिष्ठानों, खानों और बागानों सहित, विस्तृत करने का एक 5 वर्ष का क्रमिक कार्यक्रम, कार्यान्वित करना चाहिए ।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अध्याय 5क के अस्थायी उपबन्धों को रद्द करना ;

(4) कर्मचारियों के अंशदान से छूट के लिए मजदूरी-सीमा को 1.50 रुपये से बढ़ाकर 3.00 रुपये प्रतिदिन कर देना चाहिए ।

(5) छूट सम्बन्धी मजदूरी सीमा में वृद्धि करने से निगम को हुई हानि का वहन केन्द्रीय सरकार को, योजना के लिए दी जाने वाली अपनी आवर्ती आर्थिक सहायता के भाग के रूप में करना चाहिए ।

(6) चिकित्सा सम्बन्धी लाभ के खर्च में राज्य सरकार के हिस्से को बढ़ा दिया जाना चाहिए और उसे अधिनियम में ही विनिर्दिष्ट कर दिया जाना चाहिए ।

(7) अस्पताली पलंगों के मापदण्ड प्रति 1000 के लिए 4 से बढ़ाकर 7 करते हुए और बीमारी लाभ की अवधि का 8 से बढ़ा कर 13 सप्ताह करते हुए, विशेषकर परिवारों के लिए पूर्ण डाक्टरी देख रेख की व्यवस्था करने हेतु, केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह योजना के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करे ।

(8) निगम को केन्द्रीय सरकार की सहायता से डिबेन्चरों को जारी कर के अस्पतालों के निर्माण के लिए धन प्राप्त करना चाहिए ।

(ख) (1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अध्याय 5-क को रद्द करने सम्बन्धी समिति की सिफारिश को पहले ही 1-7-1973 से लागू कर दिया गया है ।

(2) राज्य सरकारें निगम से सलाह कर के देश भर में बीमा-शुदा व्यक्तियों और उनके परिवारों को समान रूप से डाक्टरी देख रेख की व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिश को उत्तरोत्तर लागू कर रही हैं ।

(3) योजना को रोजगार के नये क्षेत्रों पर लागू करने के कार्यक्रम को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है और उसकी और आगे जाँच की जा रही है ।

(4) अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ग) 31-10-73 को बीमा-शुदा व्यक्तियों के 43.76 लाख बीमा-शुदा परिवार एकक थे । उनको दी जा रही चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. पूर्ण डाक्टरी देख रेख (परिवारों की अस्पताल में भर्ती सहित सभी सुविधाएं)	15.06 लाख
2. विस्तारित डाक्टरी देख रेख (परिवारों को अस्पताल में भर्ती के सिवाय सभी सुविधाएं) ।	22.47 लाख
3. सीमित डाक्टरी देख रेख (परिवारों के लिए औषधियों और मरहम पट्टियों के पूर्ण सम्भरण सहित बाह्य रोगी इलाज) ।	6.23 लाख

नई दिल्ली स्थित फिलिपाइन्स दूतावास के दो अधिकारियों द्वारा अकबर होटल के 'रूम सर्विस इन्चार्ज' के साथ किया गया कथित दुर्व्यवहार और उसे दी गई धमकी

4577. **श्री मधु दण्डवते :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित फिलिफाइन्स दूतावास के अधिकारियों ने अकबर होटल के 'रूम सर्विस इन्चार्ज' के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे रिवाल्वर दिखाकर डराया-धमकाया था ;

(ख) क्या होटल के कर्मचारियों ने उक्त दोनों अधिकारियों को वापस उनके देश भेजने की मांग को लेकर फिलिफाइन्स दूतावास के सामने प्रदर्शन किया था ; यदि हां, तो इस पर फिलिफाइन्स दूतावास की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां, । यह घटना 11-12 सितम्बर, 1973 की रात को हुई ।

(ख) और (ग) 12 सितम्बर को दोपहर बाद उस होटल के लगभग 100-125 कर्मचारियों ने राजदूतावास के बाहर प्रदर्शन किया । इस मंत्रालय ने यह मामला फिलीपाईन के राजदूत के साथ उठाया था और इस मामले से सम्बद्ध राजनयिक को अब मनीला वापिस बुला लिया गया है । एक अन्य सम्बद्ध अधिकारी (जो फिलिपीनी है परन्तु स्थानीय कर्मचारी है) ने इस्तीफा दे दिया है ।

पुगा में भू-तापीय कुओं का छिद्रण (ड्रिलिंग)

4578. **श्री योगेन्द्र झा : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पुगा में भू-तापीय कुओं के छिद्रण सम्बन्धी सर्वेक्षण को हाल ही में पूरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने उक्त क्षेत्र में बिजली और खनिज क्षमताओं की स्थापना हेतु लद्दाख की पूर्व घाटी में मध्य जून से मध्य सितम्बर, 1973 के दौरान क्षेत्रगत कार्य किया था ।

(ख) ग्यारह भूतापीय कपों में कूल 580 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग कार्य किया जा चुका है जिससे पूगा में 5 मगावाट के प्रायोगिक बिजली घर के लिए भू-तापीय स्त्रोत् प्रमाणित हुए है ।

(ग) इस क्षत्र के विकास हेतु विभिन्न क्षमताओं के सही-सही मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण के परिणामों का पुनः परीक्षण किया जा रहा है ।

रूसी नौसैनिक जहाजों को भारतीय पत्तनों का उपयोग करने की अनुमति

4579. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी नौसैनिक जहाजों को, जब भी वे चाहें, भारतीय पत्तनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या गत वर्ष की गई सन्धि में इस आशय का कोई प्रावधान है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) सोवियत संघ सहित विदेशों के नौसैनिक जहाजों को भारतीय बन्दरगाहों में आने की अनुमति प्रत्यक ऐसे देश के विशेष अनुरोध पर दी गई है ।

(ख) यह मित्र देशों के साथ किया जाने वाला पारस्परिक व्यवहार है । 9 अगस्त, 1971 की भारतीय सोवियत संघ की शांति, मित्रता एवं सहयोग सन्धि में इस विषय का कोई उल्लेख नहीं है ।

रूस द्वारा अविकसित देशों को दी जाने वाली आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता के बारे में चीन का विश्लेषण

4580. श्री मधु लिमये : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रूस द्वारा भारत और अन्य अविकसित देशों को दी जाने वाली आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता के बारे में चीन के विश्लेषण की ओर दिलाया गया है जो कि 31 अक्तूबर, 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रेस', दिल्ली में हांगकांग की रिपोर्ट के अन्तर्गत छापा गया है और जो 'हसीनवा' न्यूज एजेंसी डिस्पैच से उद्धृत किया गया है; और

(ख) क्या चीन की आलोचना में कोई सार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

सिलचर-एंजल राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण में भ्रष्टाचार

4581. श्री समर गुह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिलचर-ऐजल राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण में भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सड़क के निर्माण के लिए किस इंजीनियरिंग कम्पनी को ठेका दिया गया ;

(ग) क्या सड़क निर्माण में एसे घटिया पत्थरों एवं अन्य सामग्री का उपयोग किया गया जो आसाम सरकार की विशिष्टियों के अनुसार उपयोग के योग्य नहीं थी ;

(घ) क्या सामरिक महत्व की यह सड़क पहिले ही भारी वाहनों के चलने के अयोग्य बन गई है ;

(ङ) क्या 'स्टोन बिल्डर्स' को सप्लाई करने का ठेका 'सिविल एण्ड मिलिटरी स्टोर्स' नामक फर्म को दिया गया था और क्या उपरोक्त फर्म द्वारा सप्लाई किया गया माल घटिया किस्म का है ; और

(च) क्या सिलचर-ऐजल सीमा सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों के बारे में कोई जांच की जाएगी ; और यदि हां, तो उसके लिए क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि मैसर्स सिविल एण्ड मिलिटरी स्टोर्स ने सिलचर-ऐजल सड़क पर घटिया किस्म के पत्थरों की पूर्ति की है और उनका उपयोग किया है। इस सड़क का विभागीय आधार पर निर्माण किया जा रहा है ।

(ग) सीमा सड़क संगठन विभागीय रूप से निर्माण की जाने वाली सड़कों के निर्माण के लिए, असम सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्टियों को पत्थरों तथा अन्य सामग्री के लिए नहीं अपनाति है । वे महा-निदेशालय सीमा सड़क/भारतीय सड़क कांग्रेस के द्वारा निर्धारित की गई विशिष्टियों को अपनाते हैं ।

सिलचर-ऐजल सड़क पर उपयोग किया गया पत्थर संविदा में विनिर्दिष्ट गुणों के अनुरूप था जो कि इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि हिमालय की तुलना में मिजो पहाड़ियों पर घटिया पत्थर उपलब्ध होता है। इस सड़क पर जो अन्य सामान उपयोग में लाया गया है वह डी०जी०बी०आर० के द्वारा निर्धारित सामान्य विशिष्टियों के अनुसार है तथा उसकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ङ) मैसर्स सिविल एण्ड मिलिटरी स्टोर्स को सिलचर-ऐजल सड़क पर उपयोग करने के लिए पत्थर तथा बोल्डर की पूर्ति करने के लिए ठेका दिया गया था । पूर्ति का एक भाग जो प्राप्त किया गया था वह संविदा में बताई गई विशिष्टियों से घटिया प्रकार का था । अत: इस का अवमूल्यन कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में आवश्यक वसूली फर्म से की जा रही है ।

(च) इस मामले में प्रारम्भिक जांच की गई है तथा कोई भी भ्रष्टाचार प्रकाश में नहीं आया है ।

वैगन निर्माण कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग

4582. श्री प्रसन्नभाई मेहता
श्री प्रभुदास पटेल } क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों के निर्माण के बारे में धीमी प्रगति का मुख्य कारण यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ वैगन निर्माण कारखाने सक्रिय नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि रुंगण तथा अन्य सभी वैगन निर्माण कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग वेगणों के निर्माण के लिए किया जाए ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) माल गाड़ी के डिब्बे बनाने वाले उद्योग में हुई धीमी प्रगति के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) विलम्ब से प्राप्त हुए और अलाभकारी क्रयादेश;

(2) इस्पात की अनुपलब्धता ;

(3) पुर्जों तथा निर्बाध सप्लाई की वस्तुओं का विलम्ब से उपलब्ध होना ;

(4) अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों में कमी विशेषकर परिवहन तथा विद्युत क्षेत्रों में ;

(5) औद्योगिक सम्बन्धों का विषम होना ;

(6) उत्पादन योजना और वित्तीय प्रबन्ध में प्रबन्धकों की असफलता ;

(ख) अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें ये सम्मिलित हैं :—

(1) समय से और लाभकारी क्रयादेश ;

(2) पर्याप्त और प्रक्षम प्रबन्ध ;

(3) चालू निधी और आवश्यक पूंजी के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता ;

(4) सामग्री और पूर्जों का समय से प्राप्त करना ;

(5) क्रयादेशों का समय पर और स्थिर रूप से भेजते रहना ;

(6) माल गाड़ी के डिब्बे बनाने वाले एककों की आवश्यकताओं का सुनिश्चय करने के लिए एक संगठन का निर्माण करना ।

विद्युत कर्मचारियों के वेतन की पुनरीक्षण के लिये गठित समिति का प्रतिवेदन

4583. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत कर्मचारियों के वेतन की पुनरीक्षा के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) विद्युत कर्मचारियों की मजदूरियों, अनुषंगी लाभों, अनुलाभों और सेवा की अन्य शर्तों की पुनरीक्षा के लिए मजदूर संघों और राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य नियोजकों के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं के संचालन के लिए मार्गदर्शक तैयार करने और ऐसी वार्ताओं के लिए न्यायसभा के बारे में सलाह देने हेतु विद्युत उपक्रमों के प्रतिनिधियों और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति गठित की गई थी ।

(ख) समिति ने 18 और 19 सितम्बर, और 30 नवम्बर, 1973 को दो बैठकें की हैं । इस ने अन्तरिम रहन के प्रश्न पर विचार-विनिमय किया है और अपनी सिफारिशें की हैं ।

कृत्रिम रेशा मशीन के उत्पादन के लिये लाइसेंस दिया जाना

4584. श्री वसन्त साठे : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कृत्रिम रेशा मशीन अन्य उपकरणों का उत्पादन करने के लिए कितने कारखानों को लाइसेन्स अथवा आशय पत्र दिए गए हैं ; और

(ख) कुल पूंजी निवेश की मात्रा कितनी है तथा इसमें विदेशी मुद्रा का भाग तथा विदेशी सहयोग आदि का ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कृत्रिम रेशा मशीनों/उसके सहायक सामानों का निर्माण करने के लिए 1973 में चार आशय पत्र जारी किए गए थे । इसका विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

कृत्रिम रेशा मशीनों/उसके सहायक सामानों के निर्माण के लिए 1973 में जारी किए गए आशय पत्रों का विवरण

क्रम सं०	फर्म का नाम	निर्माण की वस्तु	कुल निदेश			आयातित मशीनें (लाख रुपये)	विदेशी सहयोग
			भूमि (लाख रुपये)	भवन	मशीनें		
1	लोहिया इन्जीनियरिंग वर्क्स, कानपुर।	क्राइम्पिंग मशीनें तथा एसम्बली ट्विस्टिंग मशीन।	1	9	100	..	मे० एटलर्स रोनिस डेकन्स्ट्रक्शंस रोन, फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग मंजूर किया गया।
2	सावले कमि० प्रा० लि०, बम्बई।	नाइलोन 6, नाइलोन 66 और पोलिस्टर पोलिमर चिप्स का संयंत्र।	0.42	1.50	10	5.00	विदेशी सहयोग का आवेदन विचाराधीन है।
3	टी० के० पटेल, बम्बई।	सिंथेटिक फाइबर स्पिनिंग प्लान्ट।	7.5	6.5	46	27.50 से 30.00	
4	इलक्ट्रिकल मैन्यूफक्चरिंग कंपनी, कलकत्ता।	एल्यूमिनियम काप्स	1	5	22	7.00	विदेशी सहयोग का आवेदन अभी तक नहीं मिला है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कार्यालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को परेशान करना

4585. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कार्यालय में उपनिदेशक (सांख्यिकी) द्वारा अनुसूचित जाती के कर्मचारियों को परेशान करने तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के बारे में एक संसद सदस्य से पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) सम्बन्धीत संसद सदस्य को यह उत्तर भेजा गया था कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

(ग) संयक्त सचिव द्वारा पूछताछ की जा चुकी है तथा उनकी जांच का परिणाम यह रहा कि उप निदेशक (सांख्यिकी) के विरुद्ध शिकायत का कोई वैध आधार नहीं था।

दूर तक मार करने वाला विमान

4586. **श्री मधु लिमये** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा प्रयोजनों के लिये मिग–23 अथवा पैन्टम और आधुनिकतम किस्म के मिराज आदि जैसे दूर तक मार करने वाले विमान रुस अथवा पश्चिमी देशों से प्राप्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के विमान प्राप्त किये जायेंगे, उनकी संख्या कितनी है तथा उनका अनुमानित मूल्य कितना है; और

(ग) क्या भारतीय विमान निर्माण कारखाने लाइसेंस के आ ार पर निकट भविष्य में ऐसे विमान बना सकेंगे।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) उपयुक्त प्रकार के वायुयानों का उपलब्ध श्रोतों के आधार पर निर्धारण/मूल्यांकन किया जा रहा है। मामला अभी भी अन्वेषणात्मक स्थिति में है।

इण्डिया सप्लाय मिशन में प्रतिनियुक्ति पर सहायक

4587. **श्री रामजी राम** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डिया सप्लाई मिशन, लंदन/वाशिंगटन में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले सहायक की वहां सेवावधि कितनी होती है; और

(ख) क्या इन सप्लाई मिशनों के सहायक लंदन/वाशिंगटन में विदेश मंत्रालय के सहायक की अपेक्षा विदेशों में अधिक समय तक बने रहते हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भारत पूर्ति मिशन, लंदन तथा वाशिंगटन में सहायकों की नियुक्ति की सेवा अवधि सामान्यत: 3 वर्ष होती है।

(ख) जी, नहीं। परन्तु सरकारी हितों वाले मामलों में यह अवधि बढ़ाई या घटाई जाती है।

अभियोजन के क्षेत्र में क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार की निरीक्षक के रूप में भूमिका

4588. **श्री योगेश चन्द्र मुर्मू** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगत अधिनियम के अनुसार, दायर किये गये मुकदमों में निरीक्षकों की बजाये क्षत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना शिकायतकर्ता बन जाता है और क्या विगत काल में क्षेत्रीय आयुक्त ने निरीक्षक की हैसियत से वे सभी मुकदमे दायर किये जिससे काफी पेचीदगियां पैदा हुई ;

(ख) यदि हां, तो निरीक्षको की बजाये, क्षेत्रिय आयुक्त किन कारणों से शिकायतकर्ता बना; और

(ग) क्या निरंजन माइक सप्लाई कम्पनी, मसनोदिह माईनिग इंडस्ट्रीज, सी० पी० एन० सिंह फैक्टरी के विरुद्ध अनेक मामले एक ही समय पर दायर किये गये थे और यदि हां, तो जब पहली त्रुटि का पता लग गया था तो ये मामले दायर करने के क्या कारण थे ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न-प्रकार सूचित किया है:—

(क) और (ख) चुंकि कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 की धारा 13(1) के अन्तर्गत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सरकारी राजपत्र में अधि-सूचना द्वारा नियुक्त होने पर, समस्त बिहार राज्य के लिए निरीक्षक भी है, इसलिए वह अभियोजन-मामले दायर करने के एक परिवादी भी हो सकता है। इस प्रकार उस समय के क्षेत्रीय आयुक्त, बिहार ने विगत समय में भविष्य निधि निरीक्षक की हैसीयत में शिकायतें दायर की हैं। तथापि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा शिकायतें दायर करने के परिणाम स्वरूप इन न्यायालय मामलों में कोई पेचीदगी पैदा नहीं हुई।

(ग) जी हां। ये मामले उस समय दायर नहीं किए गये जब पहली चूक पकड़ी गई, क्योंकि भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा प्रतिष्ठानों/कारखानों में बार-बार जाने पर भी अभियोजन चलाने के लिए पूर्ण ब्यौरे जैसे कि व्यापार आदि चलाने के लिए प्रभारी तथा उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के विवरण, प्रबन्ध-तन्त्र से पहले एकत्र नहीं किए जा सके।

भारत द्वारा अरब देशों को शस्त्रों की सप्लाई

4589. श्री समर गुह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल के अरब-इजराइल युद्ध के दौरान विभिन्न अरब देशों को शस्त्रों के फालतू पुर्जे अन्य सैन्य सामग्री और युद्ध में काम आने वाला सामान दिया था;

(ख) यदि हां, तो उन्हें दी गई सहायता की मात्रा तथा किस्म संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सामान भारत द्वारा अपने आप उन्हें दिया गया या अरब देशों के अनुरोध करने पर ; और

(घ) क्या हाल के अरब–इजरायल युद्ध के दौरान भारत ने अरब देशों की कोई अन्य सीधीसहायता भी की थीं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) अरब देशों के अनुरोध पर केवल सैनिक उपयोग के फालतू पुर्जे तथा एक प्रकार का रक्षा भण्डार पूर्ति किया गया था।

और अधिक सूचना तथा ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर

4591. श्री सोमचन्द्र सोलंकी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि में अपनी कमाई का 8 प्रतिशत देने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली ब्याज की वर्तमान दर क्या है; और

(ख) बैंकों, राष्ट्रीय बचत योजना तथा यूनिट ट्रस्ट द्वारा दिये जाने वाले ब्याज दर की तुलना में यह कितना कम अथवा अधिक है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : भविष्य निधी प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) 6% प्रति वर्ष ।

(ख) ब्याज की अधिकतम चालू दर—

(1) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा 3 वर्षों से अधिक अवधि के आवधिक निक्षेप पर दी गई दर 7% प्रति वर्ष है और 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए आवधिक निक्षेप पर 7.25% प्रति वर्ष है; और

(2) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेटों (चौथा निर्गम-नई सीरीज़) पर 7.25% प्रतिवर्ष है ।

30—6—1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूनिट ट्रस्ट का लाभांश 8.5% वार्षिक था ।

Presentation of gift to British Princess by Prime Minister of India

4592, Shri Hakam Chand Kachwai ; Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister recently presented to the British Princess a table studded with pearls modelled after the pattern of Taj Mahal;

(b) whether it has been sent as a personal gift by the Prime Minister or on behalf of Government;

(c) whether the permission of the Reserve Bank of India has to be obtained before sending the precious gifts; and

(d) if so, whether this procedure was observed in this case also?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Prime Minister of India presented a marble table top with mother of pearls work on its alongwith a brassstand, The table was not studded with pearls,

(b) & (c) The gift was sent on behalf of the Government of India, Permission of the Reserve Bank of India is not required for sending such presents,

(d) Does not arise.

अलीकल पत्तन, केरल के लिए बम्बई में बन रहा 'ड्रेजर'

4593. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या अलीकल पत्तन, केरल में प्रयोग के लिए एक 'ड्रेजर' बम्बई में बन रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका आकार-प्रकार संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसे उक्त पत्तन को कब तक सौंप दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) केरल राज्य सरकार के लिए उस राज्य में अलीकल सहित विभिन्न छोट-छोटे पत्तनों के उपयोग के लिए माजगांव डाक लिमिटेड बम्बई में एक 'ड्रेजर' निर्माणाधीन है ।

(ख) यह एक स्करु किस्म का समुद्र में जाने वाला कटर एकतन 'ड्रेजर' है जो 0.5 मीटर को अधिकतम उभार के अधीन भूमि जल मार्ग में मिट्टी या कीचड़ निकालने के लिए

उपयुक्त है। इसका प्रति घंटा निर्गत 600 घन मीटर ठोस मिट्टी का है जो या तो नौकाओं में अथवा एक तैरने वाली तटीय वाली के माध्यम से भूमि पर बहाया जा सकता है।

(ग) 'ड्रेजर' तैयार है और इसे राज्य सरकार को शीघ्र ही दिए जाने की संभावना है।

मानवाधिकार आयोग में भारत का योगदान और उसकी भूमिका

4594. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मानवाधिकार आयोग तथा इसकी विभिन्न गतिविधियों में भारत ने क्या योगदान किया और क्या भूमिका निभाई;

(ख) क्या सरकार ने मानवाधिकारों (विश्वव्यापी पोषणानुसार) के अनुसंधान और प्रसार और उन्हें देश में लागू करने के लिए किसी सैल की स्थापना की है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) मानवाधिकार आयोग के प्रारंभ से ही उसके सदस्य के रूप में भारत ने कमीशन द्वारा समर्थित सभी महत्वपूर्ण बातों को निरंतर अपना समर्थन प्रदान किया है। आयोग के 27 वें, 28 वें और 29 वें सत्र में, जो कि क्रमशः 1971, 1972 और 1973 में हुए थे, भारत ने अन्य देशों के साथ महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो आयोग ने स्वीकार कर लिए। इन प्रस्तावों के विषय से जातिगत भेदभाव की समाप्ति, पृथक्करण के अपराध का दमन और सजा, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा और उन्नति में युवकों की भूमिका, मानवाधिकार, और वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास आदि।

(ख) से (घ) भारत के संविधान में मूल मानवाधिकारों के रक्षण और वृद्धि की बाबत लिखा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अलग कक्ष रखना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि सभी सक्षम संस्थाओं के माध्यम से केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर इस क्षेत्र में संविधान के सिद्धान्तों को व्यवहार में लाने की प्रत्येक कोशिश की जा रही है।

भारत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को पूर्ण रूप से मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस घोषणा का सभी लोगों और राष्ट्रों के लिए उपलब्धि के समान मानक के रूप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उद्घोष किया था कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति और अंग, घोषणा को सदैव ध्यान में रखते हुए, इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति आदर रखने की दृष्टि से शिक्षा देने और समझाने का प्रयत्न करेगा और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रमिक उपायों द्वारा उनको सार्वभौमिक एवं कारगर मान्यता दिलाएगा और उनका पालन कराएगा। भारत सरकार इस दिशा में पूर्णरूप से प्रयत्नशील है।

मेकेंजीज लिमिटेड, बम्बई के कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन

4595. श्री रानेन सेन : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेकेंजीज लिमिटेड, बम्बई के श्रमिकों की ओर से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगें रखी गई है ;

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मे० मेकेंजीज, बंबई के श्रमिकों की ओर से कंपनी के कार्यकरण और श्रमिकों की कठिनाइयों के बारे में सरकार को कई ज्ञापन मिले हैं।

(ख) मुख्य मांगे कारखाने को सरकारी उपक्रम या सहकारी उद्यम के रुप में पुनः चालू करने के संबंध में हैं।

(ग) और (घ) मांगों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है, लेकिन ये व्यवहार्य नहीं पाई गई हैं।

Training to Army Units for Performing Relief Work during Floods

4596. Shri Atal Bihari Vajpayee : Willthe Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether a proposal is under consideration to impart special traning to some units of the Army and Territorial Army for performing special relief work during the floods; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कोर्बा ऐल्यूमिनियम परियोजना

4597. श्री एस० एल० पेजे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोर्बा (मध्य प्रदेश) ऐल्यूमिनियम परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) क्या इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत में कोई अधिक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की बढी हुई अनुमानित लागत को पूरा करने के लिए कितना प्रावधान रखे जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कोरबा अल्यूमिनियम परियोजना की स्वीकृत अनुमानित लागत प्राक्कलन 186.05 करोड़ रुपए हैं।

(ख) और (ग) लागत प्राक्कलन परियोजना के अनुमोदन के समय विद्यमान मूल्य-स्तर पर आधारित है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार लागत के लगभग 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है। लागत की वास्तविक वृद्धि ज्ञात होने पर ही उचित समय पर अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी।

Issue of Licences for Manufacture of Tractors

4598. Shri Onkar Lal Berwa : Willthe Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) the names of Companies which have been issued licences by Government of India for manufacturing tractors during the last three years; and

(b) whether Government have gone into the working of these companies to see that their production is satisfactory?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) The following new companies have been granted Industrial licences for the manufacture of tractors during the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73—

(1) M/s. Kirloskar Tractors Ltd,, Nasik (Maharashtra),

(2) M/s. Escort Tractors Ltd., Faridabad (Haryana),

(3) M/s. Harsha Tractors Ltd., New Delhi (Loni-U.P.),

(4) M/s. Perfecture Tractors Ltd., New Delhi (Patiala-Punjab),

(5) M/s. United Auto Tractors Ltd., New Delhi (Hyderabad-A.P.),

(6) M/s. Byford Tractors Ltd., New Delhi (Mohali-Punjab),

(7) M/s. Steyr India Ltd., New Delhi (Bangalore-Karnataka),

(8) The Punjab Tractors Ltd., Chandigarh (Mohali-Panjab),

(9) The Hindustan Machine Tools Ltd., Pinjore (Haryana)

(10) M/s. Premier Irrigation Euipment Ltd., New Delhi (Bullandeshahr-U.P.),

(11) M/s. Auto Tractors Ltd., Lucknow (Pratapgarh-U.P.),

(12) M/s. Raja Bahadur Motilal, Poona Mills Ltd., (Poona-Maharashtra),

Besides, the following two existing units were granted licences to expand their capacity:

(1) M/s. Escorts Ltd., Faridabad (Haryana),

(2) M/s. International Tractor Co. of India Ltd., Bombay (Maharashtra),

(b) Out of the new units, only the first two have gone into production so far. The progress of other units is being watched very closely by holding priodical meetings with the licensees and they are being given all possible asistance for early start of production by them.

ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग एण्ड कम्पनी के अधिग्रहण के लिए टेक्समेको, कलकत्ता का आवेदन

4599. श्री समर गुह : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैक्समेको, कलकत्ता ने ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग एण्ड कम्पनी के बन्द पड़े कारखाने के अधिग्रहण के लिए आवेदन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारी उद्योग मंत्रालय में मे० टेक्समेको, कलकत्ता से इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छपाई मशीनें बनाने के कारखाने की स्थापना

4600. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपाई मशीनें बनाने का कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रस्तावित स्थान अनुमित लागत और विदेशी सहयोग, यदि कोई हो तो, सहित मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मे० हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड जो सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, इटली के मे० सोसिएटा नेबिओलो के सहयोग से 428 लाख रुपये की लागत से कलमसेरी (केरल) मे मुद्रण मशीनों का निर्माण करने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है ।

विदेश जाने वाले भारतीयों को पूर्ण सहयोग देने के बारे में भारतीय दूतावासों को निदेश जारी करना

4601. **श्री जगदीश नारायण मंडल :**

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेश जाने वाले भारतीयों के साथ हमारे दूतावासों तथा उनके अधिकारियों का संबंध उदासीनतापूर्ण होता है;

(ख) क्या उनके लिए स्पष्ट निदेश तथा अनुदेश नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप उन देशों का दौरा करने वाले भारतीय नागरिकों को परेशानी और अपमान का सामना करना पड़ता है और जहां तक कि भारतीय दूतावासों से उन्हें अपेक्षित परामर्श और सहायता भी प्राप्त नहीं होती; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में पूर्ण सहयोग देने के संबंध में सभी दूतावास को स्पष्ट निदेश जारी करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हमारे राजदूतावासों तथा अधिकारियो के संबंध विशेषतया विदेश जाने वाले भारतीयों के साथ, शिष्ट एवं सौहार्दपूर्ण होत हैं।

(ख) और (ग) विदेश स्थित हमारे मिशनों को स्पष्ट रुप से स्थायी निदेश दिए गए है कि वे विदेश जाने वाले भारतीयों को हर संभव सलाह, सहायता तथा सहयोग प्रदान करें। जिन मामलों में वित्तीय प्रश्न निहित हैं उनके संबंध में मिशनों को नियमों के अन्तर्गत ही काम करना पड़ता है। इन निर्देशों पर समय-समय से बल दिया जाता रहता हैं ।

बोकारो स्टील लिमिटेड की मूलत : अनुमानित लागत

4602. **श्री जगदीश नारायण मंडल:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो स्टील लिमिटेड के निर्माण सम्बन्ध में मूलत: अनुमानित व्यय कितना था;

(ख) कच्चे माल की अनुपलब्धता तथा रुस से मशीनरी के आने में हुए विलम्ब के कारण व्यय में हुई वृद्धि से इसमें कितनी बड़ीतरी हुई है; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार विशाल इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बजाय बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने का हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) परियोजना के प्रथम चरण (आफ-साइट सुविधाओं सहित) की पूंजी लागत मूलत: 671 करोड़ रुपए आंकी गई थी।

(ख) फरवरी, 1972 में सरकार ने 758 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों अर्थात् मूल लागत अनुमानों में 87 करोड़ रुपए की वृद्धि की स्वीकृति दे दी। इसमें से 10 करोड़ रुपए की वृद्धि इस्पात सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई। रुस से प्राप्त किए गये उपकरणों/ मशीनरी के कारण व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

कच्चा माल प्राप्त न होने के कारण हुई देरी का संयता की पूंजीगत लागत पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) बड़े इस्पात कारखानों की ऊंची पूंजी लागत को बड़े पैमाने के कार्य की मितव्ययिताओं से पूरा किया जा सकता है, इसलिए सरकार का बड़ी संख्या में छोटे इस्पात कारखाने लगाने का विचार नहीं है।

भविष्य निधि की बचतों के मूल्यों में कमी

4603. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरन्तर बढ़ते मूल्यों और रुपये के मूल्य में कमी को देखते हुए भविष्य निधि की बचतों के मूल्य में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ब्रिटिश सरकार को सर हैनरीपेज समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरुप, मुद्रा स्फीति-रहित बचत बॉंड जारी करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) इससे अर्थव्यवस्था पर सामान्य रूप से प्रभाव पड़ता है और केवल भविष्य निधि बचतों के बारे में ही कोई उपचारीय कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बैतारी संयंत्र को मशीनरी की सप्लाई के लिये उड़ीसा खनन, निगम द्वारा किया गया करार

4604. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्वामित्व वाले उड़ीसा खनन निगम ने कटक जिले के बैतारी स्थान पर लोह अयस्क का उत्पादन करने के कारखाने के लिये मशीनरी सप्लाई करने हेतु एक भारतीय फर्म तथा एक हंगरी की संस्था से एक त्रिपक्षीय करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या निगम को लाखों रुपये की भारी हानि हुई है; और

(घ) क्या त्रिपक्षीय करार भारतीय फर्म के लाभ में था; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां । उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने (उड़ीसा सरकार का उपक्रम), (i) मेसर्स लिक्स मशीनरी लिमिटेड कलकत्ता (भारतीय फर्म), (ii) मेसर्स निक्केस, हंगरियन ट्रेडिंग कंपनी, बुडापेस्ट (हंगरी सरकार का उपक्रम), के साथ जून/जुलाई 1965 में एक त्रिपक्षीय करार किया था । यह करार बैतारी में क्योंझर /कटक ज़िले में निगम की लोह खनिज प्रायोजना के ओर हैंडलिंग प्लांट के लिए उपकरणों की सप्लाई तथा स्थापना के लिए किया गया है ।

(ख) मेसर्स निक्केस का काम उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन को योजनाएं, तकनीकी आंकड़ें तथा मशीनरी और उपस्करों की सप्लाई करना तथा भारत में परामर्शदात्री तथा पर्यवेक्षण कार्य के लिए हंगेरी में संस्था तकनीकी प्रविधिज्ञों का चयन करना था । मेसर्स लिक्स मशीनरी लिमिटेड का काम मेसर्स निक्केस की पूरी तसल्ली के अनुसार और हैंडलिंग संयंत्र तथा मशीनरी की स्थापना के लिए आवश्यक देशीय माल तथा उपस्करों को खरीदना तथा और हैंडलिंग संयंत्र की स्थापना के लिए सिविल इंजीनियरी तथा स्थापना कार्य करना था ।

(ग) वर्ष 1970-71 में उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन को 78.61 लाख रुपए का घाटा होने का समाचार है । फिर भी अब स्थिति में सुधार हो गया है और 1971-72 में कंपनी को 15.27 लाख रुपए का लाभ हुआ है और वर्ष 1972-73 में 63 लाख रुपए (अस्थायी) का लाभ होने की संभावना है ?

(घ) इस करार की तथा किन परिस्थितियों में यह करार किया गया, जांच करने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक समिति बनाई, निस्सन्देह समिति इस बात की भी जांच करेगी ।

बिहार, उडीसा तथा पश्चिम बंगाल में कर्मचारी भविष्य निधि की 10,000 रुपये से अधिक की राशि की अदायगी न करने वाले संस्थान

4605. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के उन संस्थानों तथा कारखानों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन पर 31 अक्तूबर, 1973 तक कर्मचारी भविष्य निधि की 10,000 रुपये से अधिक की राशि बकाया थी;

(ख) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की सामान्य धाराओं में 1 नवम्बर, 1973 से हुए संशोधन के पश्चात क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है तथा क्या कोई नयी प्रक्रिया निश्चित कर दी गई है ;

(ग) क्या दोषी संस्थानों के विरुद्ध वसूली कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है; और

(घ) क्या दोषी एककों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 तथा 409 के अधीन कानूनी कार्यवाही भी की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (घ) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह एकत्र की जा रही है । यह यथा सम्य सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

प्रभात तम्बाकू फैक्टरी, मुजफ्फरपूर को और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी तथा मुजफ्फरपूर विद्युत सप्लाई कम्पनी के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू करना

4606. श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरपुर स्थित प्रभात तम्बाकू फैक्टरी पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू होता है; और यदि हां, तो किस तारीख से तथा भविष्य निधि सदस्यता के लिये कितने कर्मचारियों को दर्ज किया गया है; और

(ख) क्या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी तथा मुजफ्फरपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी लिमिटेड के ठेके पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है ।

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है? यह यथा समय सभा को मेज पर रख दी जायेगी ।

सिंहभूम जिले में कांडरा स्थित शीशे के कारखाने के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना

4607. श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंहभूम जिले में कांडरा स्थित शीशे के कारखाने के कितने ठेक पर कार्य करने वाले, नैमित्तिक तथा अस्थायीं कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत नहीं लाया गया है ;

(ख) क्या भविष्य निधि इन्सपैक्टर ने पहली भी उक्त संस्थान का दौरा किया था; और यदि हां, तो किन तारिखों को, और इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की पात्रता के बारे में उसकी रिपोर्ट क्या है; और

(ग) क्या अपने निरीक्षण-दौरे के समय उक्त इन्सपैक्टर ने कर्मचारी संघ के नेताओं से भी भेट की थी ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही हैं। यह यथासमय सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

सिंहभूम जिले में चीनी मिट्टी की खानों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करना

4608. **श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार को मालूम है कि सिंहभूम जिले की चीनी मिट्टी खानों के बड़ी संख्या में श्रमिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू नहीं है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह एकत्र की जा रही है। यह यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जायगी।

केरल के क्विलोन और त्रिवेन्द्रम जिलों में बाढ़ से प्रभावित मछुआरों और भूमिहीन श्रमिकों की सहायता

4609. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के क्विलोन और त्रिवेन्द्रम जिलों के बाढ़ से प्रभावित मछुआरों और, भूमिहीन श्रमिकों की शीघ्र सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य सरकार को कोई अनुदेश जारी किये हैं ; और

(ख) उनके मंत्रालय का विचार राज्य सरकार को क्या सहायता देने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा को मेज पर रख दी जायेगी।

दूतों (एम्बायज) के रूप में नियुक्त न किये जाने पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों में क्षोभ

4610. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों में क्षोभ व्याप्त है और उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को, जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी नहीं हैं, दूतों के रूप में नियुक्त किये जाने पर कई बार असंतोष व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) विदेश स्थित मिशन प्रमुखों के रूप में गैर-भारतीय विदेश सेवा के व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रश्न भारतीय विदेश सेवा संघ द्वारा प्राय: उठाया गया है। यह सब को मालूम है कि सरकार सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखकर मिशन प्रमुखों की नियुक्ति करती है।

पंजाब को इस्पात के आवंटन में कमी

4611. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल तथा केरल जैसे राज्यों में गत चार तिमाहियों में अपने इस्पात नियतन को बढ़ाकर क्रमश: 225 प्रतिशत, 135 प्रतिशत, 275 प्रतिशत करा लिया है;

(ख) क्या गत चार तिमाहियों में पंजाब के इस्पात नियतन को लगातार कम किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वर्तमान वितरण प्रणाली में निश्चित कोटे/प्रतिशत की व्यवस्था नहीं है। राज्यवार आबंटन भी नहीं किया जाता है। मुख्य इस्पात · रखानों से इस्पात के कार का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है जो इस्पात के अन्ततः उपयोग जिसके लिए इस्पात मांगा गया हो, उपलब्धि और स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील प्लान्ट में उठाई-गिरी

4612. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया ।**
श्री भागीरथ भवर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील प्लान्ट के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके बड़े पैमाने पर उठाई-गिरी की गई है ;

(ख) क्या प्लान्ट में श्रमिक ठेके के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर अनाचार हुआ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कुछ अधिकारियों की सांठगांठ की यदाकदा रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिसके परिणाम स्वरूप बर्नपुर के कारखाने से माल की हानि हुई है ।

(ख) ठेका-मजदूरों के बारे में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

(ग) माल की उठाईगिरी में कंपनी के अधिकारियों की सांठगांठ के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था को विशेषरूप से मजबूत कर दिया गया है तथा इसमें सुधार किया गया है।

इस्पात उद्योग की संयुक्त वार्ता समिति द्वारा राष्ट्रीय-स्तर पर इस्पात कारखानों में ठेका-मजदूर प्रणाली को समाप्त करने पर विचार किया गया है। इसके अनुसार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी में ठका प्रथा को समाप्त करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। प्रथमोपाय के रूप में सभी कामों को, यूनियनों के परामर्श से वर्षानुवर्षों तथा गैर-वर्षानुवर्षों श्रेणियों में बांटा जा रहा है और वर्षानुवर्षों कार्यों की कंपनी के स्थायी काडर में बदलने की कार्रवाई की जायेगी। जहां तक गर वर्षानुवर्षों कार्यों का सम्बन्ध है अन्य सभी इस्पात कारखानों की तरह ठेका प्रणाली जारी रहेगी।

एक अभ्रक बोर्ड की स्थापना करना

4613. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अभ्रक बोर्ड की स्थापना करने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या ह ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) अभ्रक बोर्ड की स्थापना के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्ज दरबशाह बी० करसेटजी एण्ड सन्स, बम्बई पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू करने संबंधी ज्ञापन

4614. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को मैसर्ज दरबशाह बी० करसेटजी एण्ड सन्स जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू नहीं होता है, के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त ज्ञापन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कम्पनी को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मामले की जांच क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र से परामर्श करके की जा रही है।

मशीनरी के निर्माण में सहयोग हेतु भारत और पोलैंड के संयुक्त आयोग की बैठक

4615. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनरी के निर्माण में सहयोग हेतु बनाये गये भारत और पोलैंड के संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक वार्सा में 2 नवम्बर से 8 नवम्बर, 1973 तक हुई थी; और यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ख) क्या पैकेजिंग पेपर पार्टीकल्स तथा स्वचालित तोलने वाली तथा पैकिंग करने वाली मशीनों केबल तथा वुड प्रोसेसिंग मशीनों के निर्माण के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए भारत पोलैंड संयुक्त आयोग की पहली बैठक 2 से 8 नवम्बर, 1973 तक वार्सा में हुई थी। संयुक्त आयोग के अधिवेशन के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच व्यापार की

वृद्धि में हुई प्रगति के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग और सहकारिता में हुई प्रगति पर पुनर्विचार किया। बातचित के दौरान कागज मशीनों, काष्ठ परिष्करण मशीनों और केबल बनाने की मशीनों के कुछ विशिष्ठ उपकरणों के विषय में दोनों देशों के बीच सहकारिता और सहयोग के प्रश्न पर विचार किया गया था। ब्यौरा अभी तयार नहीं किया गया है और दोनों पक्ष इन उपकरणों के संबंध में आवश्यक तकनीकी सामग्री का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं।

ई० पी० डी० पी० कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली में भूमि के किराये में कटौती

4616. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **पूर्ति और पूनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ई० पी० डी० पी० कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली में वसूल किये जाने वाले भूमि के किराये में कटौती करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडीलकर) : (क) और (ख) सरकार ने निर्णय किया है कि चित्तरंजन पार्क के एलाटियों से प्रथम 30 वर्षों के लिए भूमि अर्जन की लागत तथा भूमि की लागत में शामिल किए जाने वाले कुछ प्रासंगिक प्रभारों के $2\frac{1}{2}\%$ की संशोधित दर से भुमि का ग्राऊंड रेंट लिया जायेगा। प्रासंगिक प्रभारों की दर नीचे दी गई है :—

प्रथम 200 वर्ग गज या उसका अंश . .	1.50 रु० प्रति वर्ग गज
अगले 200 वर्ग गज या उसका अंश . . .	2.00 रु० प्रति वर्ग गज
अगले 200 वर्ग गज या उसका अंश . . .	2.50 रु० प्रति वर्ग गज
अगले 200 वर्ग गज या उसका अंश . . .	3.00 रु० प्रति वर्ग गज

चित्तरंजन पार्क में भूमि अर्जन की वास्तविक लागत का अभी अन्तिम रूप से निर्धारण नहीं किया गया है। ग्राउंड रेंट वसूल करने के लिए भूमि की लागत अनन्तिम तौर पर 12 रु० प्रति वर्ग गज होगी।

Removal of Machines by Coal Mines Owners Before Take Over by Government

4617. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the coal mines owners had removed imported machines secretely prior to the take-over of coal mines by Government;

(b) if so, whether some of the machines have since been recovered; and

(c) if so, the number thereof, and the number of machines yet to be recovered?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shubodh Hansda): (a) to (c) Some stolen mining machinery is reported to have been recovered by the Police authorities of West Bengal Government, and the case is sub-judice before the High Court of Calcutta.

Non-Deposit of E.P.F. Arrears of Workers by Tea Plantations in Tripura

4618. **Dr. Laximnarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the names of the owners of those tea plantations in Tripura who have not deposited their full or part of contributions to the Employees Providend Fund;

(b) whether the employees working in tea plantations are not informed about the total deposits in their provident fund; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) : (a) to (c) The Provident Fund authorities have intimated that the information is not readily available and is being collected. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Tea Processing Factories in Tripura

4619. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number of tea processing factories running in Tripura State at present;

(b) the minimum wages and dearness allowance paid to the employees working in these factories; and

(c) whether the Factories Act is not applicable even to such factories as are run by power and steam and labourers there are not paid minimum wages?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) : (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Daily Wages of Workers in Tea Plantation of Tripura

4620. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the daily wages of male and female workers working at present in tea plantations of Tripura State; and

(b) their service conditions?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma): (a) According to information received from the Government of Tripura, wages are paid at the rate of Rs. 2.15 paise per man, Rs. 1.96 paise per woman and Rs. 1.06 paise per child *plus* supply of ration at subsidised rate at Rs. 23.00 per maund of rice and Rs. 20.00 per maund of Atta as per quantity of ration fixed by Government.

(b) The plantations Labour Act, 1951, makes provision for health (drinking water, conservancy, medical facilities), welfare (canteens, creches, recreational, educational and housing facilities), hours of work and limitation of employment of women and children, leave with wages, etc.

Confirmation of Workers in tea Estates in Tripura

4621. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number of permanent and temporary workers in the various Tea Estates in Tripura State:

(b) the period of service after which the temporary employees are made permanent;

(c) whether the workers have not been made permanent even after rendering a service of 15 years; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal govind Verma): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course,

आदर्श गांवो का विकास

4622. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'विक्टोरिया क्रांस' विजेताओं और 'परम वीर चक्र' विजेताओं के जन्म स्थान वाले गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित करने के सरकार को मिले सुझाव की उसने जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा निर्णय कब तक किया जायेगा ।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) इस सम्बन्ध में इस सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4099 दिनांक 23-8-1973 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। राज्यों /संघ शासित क्षत्रों/प्रशासनों को जिन्हें इस सम्बन्ध में लिखा गया था उनमें से अभी तक कुछ के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

नियमित/अल्प सेवा कमीशनों में सिविल, मेकेनिकल और इलैक्ट्रीकल इंजीनियरों की भर्ती

4623. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में नियमित /अल्प सेवा कमीशनों के सिविल, मेकेनिकल, तथा इलैक्ट्रिकल स्नातक इंजीनियरों की भर्ती हेतु कोई परीक्षा ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि स्नातक इंजीनियरो को भी उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

शौर्य पुरस्कार विजेताओं की सचित्र संक्षिप्त जीवनियों वाले प्रकाशन

4624. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समय समय पर विभिन्न शौर्य पुरस्कार जीतने वालों की सचित्र संक्षिप्त जीवनियां प्रकाशित करने का है जिससे कि देश में सामान्य जनता और विशष रूप से विद्यार्थियों के समक्ष युद्ध में वीरता के प्रदर्शन का समन्वित चित्र प्रस्तुत किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार कब तक निर्णय कर लेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग के 1958 में एक पैम्पलैट निकाला गया था । इस पैम्पलेट का नाम "सशस्त्र सेनाओं को सम्मान और पुरस्कार" था और इसमें कुछ वीरता पुरस्कार विजेताओं के चित्र , अलंकरणों के डिजाइन तथा पात्रता की शर्तें दी गयी थी । उक्त पैम्पलेट का एक संशोधित संस्करण 1963 में निकाला गया था । इस पैम्फलेट का अद्यतन संस्करण निकालने के लिय काम पहले से प्रगति पर है ।

प्रादेशिक कोयला खान प्राधिकरण कार्यालय का नागपुर से बिलासपुर को स्थानान्तरण

4625. **श्री वसन्त साठे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक कोयला खान प्राधिकरण के कार्यालय को नागपुर से बिलासपुर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया और इसके पीछे क्या तर्क है ?

(ग) क्या सरकार को कार्यालय के बिलासपुर को स्थानान्तरण किये जाने के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां , तो क्या सरकारने इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय लिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) और (ख) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटड के गठन के समय की कार्य संबंधी अपेक्षाओं और प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उसके पश्चिमी प्रभाग का मुख्यालय मध्य प्रदेश में रखने का निश्चय किया गया था। प्रशासनिक-सुविधा की दृष्टि से क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर में रखे गये हैं। मध्य भारत की खानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होने पर , बिलासपुर में आवश्यक कार्यालय स्थापित किये जायेंगे ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार के विचार में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जिससे कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा किए गए निर्णय में हस्तक्षेप किया जायें।

हिंदुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर में आन्दोलन

4626. **श्री वसन्त साठे** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में श्रमिक अशांति के बारे में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर के सुपरवाइजर एसोसिएशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें उठाये गये मामलों के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार को इस संबंध में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर के कर्मचारी कल्याण संघ से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) बातचीत से समझौता करने के प्रबन्धकों के प्रयासों में सरकार उनसे सक्रियरूप से संबद्ध है।

भारत तथा अन्य विकासशील देशों में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत

4627. **श्री जी० ई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत क्या है; और

(ख) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1973 के दौरान मांग तथा पूर्ति के बीच क्या अन्तर था और अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में गैर-सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र में इस्पात का कितना उत्पादन हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय अब्द-कोषों 1960-1970 के अनुसार 1960 और 1969 में भारत सहित कुछ विकासशील देशों में अपरिकृत इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत निम्नलिखित थी :—

देश	प्रति व्यक्ति खपत (कि० ग्राम)	
	1960	1969
भारत	11	11
अल्जीरिया	52	53
ब्राजील	41	61
चाइल	70	82
ईरान	25	58
पाकिस्तान	5	6
फिलिपाइन	16	35
थाईलैन्ड	8	23
तुर्की	22	27
संयुक्त अरब गणराज्य	30	22

(ख) इस्पात की मांग और आपूर्ति का अन्तर, जैसा कि इस्पात के आयात सें पता चलता है, निम्नलिखित है :—

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड रुपये)
1970-71	7,06,088	149.18
1971-72	13,82,139	244.79
1972-73	12,37,083	220.11

(यह आंकड़े डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०; द्वारा संकलित आंकड़ों पर आधारित है।)

सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के मुख्य इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित है :—

(हजार टन)

	निर्धारित विक्रय इस्पात क्षमता	1970-71	1971-72	1972-73
भिलाई इस्पात संयंत्र .	1,965	1,549	1,568	1,746
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1,239	413	432	477
राउरकेला इस्पात संयंत्र . .	1,225	684	598	765
टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेट	1,500	1,375	1,387	1,458
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कपनी लिमिटेड	800	523	493	347
बोकारो स्टील लिमिटेड	1,364 (प्रथम चरण में)	..	..	..*
जोड़ . .	8,093	4,544	4,478	4,793

*इस्पात बनना अभी आरंभ नहीं हुआ है ।

कच्चे माल की कमी

4628. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति और निपटान के महानिदेशालय के माध्यम से सप्लाई किये जा रहे कच्चे माल की कमी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कई मामलों में कच्चे माल की कमी अनुभव की गई है जहां पर सप्लाई का प्रबन्ध पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से किया जाता है ।

(ख) (1) तैयार माल की तेजी से बढ़ती हुई मांग, निर्माताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप दुर्लभ कच्चे माल की आयातित मात्रा का अपर्याप्त आवंटन, विद्युत की लगातार तथा गम्भीर कमी तथा परिवहन संबंधी बाधाएं इसके मुख्य कारण प्रतीत होते हैं ।

(2) कच्चे माल की कमी के प्रश्न पर, जहां तक सम्भव हो, समस्याओं को सुलझाने और उनका समाधान करने के उद्देश्य से; मांगकर्ता विभागों, मंत्रालयों/सरकारी सारणीबद्ध एजेंसियों के साथ निरन्तर विचार विमर्श किया जाता है ।

नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग और लंदन में आप्रवास अधिकारियों द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार के बारे में शिकायतें

4629. श्री एच० एम० पटेल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के कर्मचारियों और लन्दन तथा ब्रिटेन के अन्य भागों में तैनात आप्रवास अधिकारियों के असहनीय और अभद्र व्यवहार के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रिकों की ओर से सरकार को शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या ऐसे भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को भी परेशान किया जाता है जिनके पास अपेक्षित प्रवेश-पत्र (एंट्री परमिट्स) होते हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार का विचार भारत आने वाले ब्रिटेन के राष्ट्रिकों के लिये भी ऐसे ही प्रवेश-पत्र लागू करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। इस संबंध में सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ग) सरकार ने इस मामले को ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ कई बार उठाया है। अभी हाल ही में 20 और 22 नवम्बर 1973 के बीच होने वाली उभयपक्षीय भारत-यू० के० वार्ता में भी हमारे प्रतिनिधि-मण्डल ने इस विषय को रखा था, जबकि परेशान करने की इन शिकायतों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि इन शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा और हर संभव प्रयास किया जाएगा जिससे ऐसी शिकायतें करने का मौका न आए।

जहां तक ब्रिटिश राष्ट्रिकों के भारत में प्रवेश पर परस्पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न है सरकार इस के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।

नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से शिकायत

4630. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **श्रम** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार को नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी।

बोकारो इस्पात संयंत्र को हुई हानि

4631. श्री मधु दण्डवते : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बोकारो इस्पात संयंत्र को कुल कितनी वित्तीय हानि हुई है;

(ख) क्या इस हानि का मशीन और इंजीनियरिंग निर्माताओं पर प्रभाव पडेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इससे इंजीनियरिंग माल के निर्यात को राज सहायता देने अथवा मुद्रा का अवमूल्यन करने की आवश्यकता पड़ेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) बोकारो स्टील लिमिटेड को वर्ष 1972-73 अर्थात परिचालन के प्रथम वर्ष में 5·45 करोड़ रूपये की वास्तविक हानि हुई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय, बम्बई में अपर्याप्त कर्मचारी

4632. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय में पार-पत्र जारी करने के बढ़ते हुए कार्य को पूरा करने के लिये पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और काम को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से कार्यालय में अधिक स्थान प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कार्यालय के काम के अध्ययन से पता चला है कि वर्तमान अमला पर्याप्त नहीं है ।

(ख) अतिरिक्त अमला और अधिक स्थान देने के संबंध में शीघ्रता से विचार हो रहा है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र को कच्चे माल की सप्लाई

4633. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये आवश्यक कच्चे माल जैसे लौह अयस्क, कोयले और चूने की पर्याप्त और समय पर सप्लाई में कठिनाइयां हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कठिनाइयों के परिणामस्वरूप बोकारो इस्पात संयंत्र की हानि में वृद्धि हो रही है; और

(ग) इस हानि को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) बोकारो इस्पात कारखाने को कच्चे लोहे के इष्टतम स्तर तक उत्पादन के लिए प्रथम धमन भट्टी चालू रखने के लिए आवश्यक कोककर कोयले की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हुई है । इस का कारण पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी था, जिससे कोयला खानों/शोधन शालाओं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा । कुछ हद तक इस का प्रभाव कारखाने के कार्य परिणाम पर भी पड़ा ।

(ग) धमन भट्टी के इष्टतम स्तर तक परिचालन के लिए अब कोयले तथा अन्य कच्चे माल की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई की व्यवस्था कर ली गई है ।

न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में भारतीय श्रमिक सम्मेलन की सिफारिश

4634. **श्री मधू दण्डवते** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'भारतीय श्रमिक सम्मेलन' जिसमें श्रमिक कर्मचारियों और सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, में 'न्यूनतम मजूरी' के बारे में सर्वसम्मति से क्या सिफारिशें की गई;

(ख) क्या इस सम्मेलन में सिफारिश की गई 'न्यूनतम मजूरी' और तीसरे वतन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम वेतन में कोई अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) स्पष्टत: 1957 में हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के निष्कर्षों की ओर है। प्रासंगिक उद्धरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 6000/73**]

(ख) और (ग) सभी अभिप्रेत अर्थों पर विचार करने के बाद नवम्बर, 1973 में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को, तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए 185 रुपये प्रति माह के मुकाबिले में, बढ़ा कर 196 रुपये प्रति माह करने का निर्णय किया। इस समय और आगे कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का पुनर्गठन

4635. श्री सी० के० ज़ाफर शरीफ : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात यंत्रों को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से अलग करके उनका पुनर्गठन करने तथा उन्हें स्वतन्त्र दर्जा देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडीया लिमिटेड की स्थापना से (हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड जो अब इस कंपनी के पूर्ण स्वामित्व में इस की एक सहायक कंपनी है) यह प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि क्या अब यह आवश्यक है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को बहु एकक संगठन वर्तमान रूप में, बहुत से इस्पात कारखानों तथा अन्य सम्बन्ध इकाइयों के कार्यों पर नियंत्रण रखने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडियन लिमिटेड के समस्त पर्यवेक्षण में बना रहने दिया जाए। इसलिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

विदेशी मिशनों में नियुक्ति के लिये स्टेनोग्राफरों का चयन

4637. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यद्यपि सरकार द्वारा मंत्रालय में स्टेनोग्राफरों को सैनिक सहचरियों सहित विदेशी मिशनों में नियुक्त करने हेतु चुन लिया गया है तथापि वास्तव में उनकी नियुक्ति अभी तक नही की गई है ;

(ख) ऐसे कितने स्टेनोग्राफरों का चयन किया गया और उनकी नियुक्ती में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक किया जायेगा और इन व्यक्तियों को नियुक्त कब तक किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) रक्षा मन्त्रालय सचिवालय और सशस्त्र सेन मुख्यालयों के चयन किए गये स्टेनो–ग्राफरों की नियुक्ती के सम्बंन्ध में सभी आवश्यक औपचारिकता अब पूरी कर ली गई है। इस प्रयोजन के लिए मूलत: चयन किए गये स्टेनोग्राफरों की संख्या 17 थी। विदेशों में हमारे मिशनों में सविर्स सलाहकारों/एटेचियों के कार्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों के प्रति नियुक्त करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

Pig Iron & Coal Shortage in Small Industries of Delhi

4638. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether due to shortage of pig iron and coal, about 750 small industries of the Capital are passing through a serious crisis and 20,000 workers of these industries are facing unemployment;

(b) whether a loss to the tune of about Rs. 1 crore per month is being suffered as a result thereof; and

(c) if so, the plans of Government to remove this shortage?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (c) There has been some shortage of pig iron and coal for sometime in the capital mainly due to transport and power difficulties.

Pig iron at present is being allocated to the foundries mainly on the basis of their off take during 1972-73, with some weightage being given to the requirements of the priority sections like the Railway sleeper manufacturers, cast iron pipe manufacturers, Government Departments, pubic sector undertakings and the export-oriented industries, Government have no information about 20,000 workers facing unemployment due to short supply of coke and pig iron or about loss to the tune of Rs. 1 crore per month. In the context of scarcity of pig iron and coke, a Committee has also been set up to lay down suitable guidelines for distribution.

Efforts are being made in coordination with the Railways to ensure adequate supplies of coal to the Capital.

आयुध कारखानों की स्थापना

4639. श्री पी० गंगदेव :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **रक्षा** मंत्री यप बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार दो आयुध कारखानों की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां , तो ये किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) उन पर कितना व्यय होगा ; और

(घ) उनके उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) रक्षा उत्पादन की बढी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का इटारसी में एक प्रणोदी कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसकी मौट तौर पर अनुमानित लागत लगभग 86 करोड रुपये है। इसके 1979 में उत्पादन चालू कर दिए जाने की सम्भावना है ।

रक्षा उत्पादन के लिए विशेष इस्पात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानपुर में एक विशेष इस्पात सयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। तथापि, इस परियोजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है और वित्तीय प्राकक्लन तैयार किए जा रहे हैं ।

रुस, चेकोस्लावाकिया और युगोस्लाविया द्वारा चिली में उनके हितों की देखरेख के लिये अनुरोध

4640. श्री पी० गंगादेव :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :

(क) क्या रुस और चेकोस्लावाकिया ने चिली में उनके राजनायिक हितों को देखरेख के लिए भारत से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या युगोस्लाविया ने भी भारत से अनुरोध किया था कि चिली युगोस्लाविया संबंधों की देखरेख की जाय; और

(ग) यदि हां, तो भारत को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राजनायिक संबंधों पर विएना अभिसमय के अनुच्छेद 45 के अधीन भारत सरकार ने सोवियत संघ और चेकोस्लावाकिया के अनुरोध मान लिये हैं और चिली सरकार की सहमति लेकर सोवियत और चेकोस्लोवाक राजदूतावासों को सुरक्षा का काम सम्भाल लिया है ।

वाणिज्य वाहनों की कमी

4641. **श्री के० मालन्ना** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से राज्य केन्द्रीय सरकार से वाणिज्यिक वाहनों की मांग कर रहे है; और

(ख) यदि हां तो उनकी कितनी कमी है और मांग को पूरा करने के लिये सरकारने क्या कदम उठाये है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राज्य परिवहन निगमों ने बस चेसिसों की संख्या में वृद्धि करने की मांग की है ।

(ख) गाड़ियों के इन दो मेकों के लिए राज्य सड़क परिवहन निगमों की 6 से 9 महिनों तक प्रतिक्षा करनी पड़ती है, जब कि दूसरे ग्राहकों को $1\frac{1}{2}$ से $2\frac{1}{2}$ वर्ष तक प्रतिक्षा करनी पड़ती है। राज्य परिवहन निगमों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधारपर पूरा करने के लिये निर्माताओं को निदेश दे दिये गये हैं । इस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाये गये है, जिनमें विद्यमान क्षमता का विस्तार तथा और अधिक क्षमता का लागू करना एवं उसका अधिकतम उपयोग करना सम्मिलित हैं ।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में भारतीय कर्मचारियों की तुलना में स्थानीय कर्मचारियों पर व्यय

4642. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में गत दो वर्षों में कितने स्थानीय कर्मचारी नियुक्त किये गये है और भारतीय कर्मचारियों की तुलना में उन कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर कितना व्यय किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

	1971	1972
1. स्थानिय कर्मचारियों की संख्या . . .	1716	1605
2. उनके वेतन और भत्तों पर व्यय . .	रु० 2,12 करोड़	रु० 2,05 करोड़
3. भारत-आस्थानी कर्मचारियों पर व्यय .	रु० 4,46 करोड़	रु० 4,66 करोड़

Modernisation of Mica Mines

4643. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased state:

(a) the steps being taken by Government for modernising the mica mines;

(b) the number of mica mines in the country at present and the production thereof; and

(c) the percentage of the total production of mica exported to foreign countries?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhedev Prasad): (a) Since Mica mines are being worked in the private sector modernisation of these mines by Government does not arise.

(b) There were 436 mica mines working in 1972 producing 13,704 tonnes of crude Mica and 4,559 tonnes of Mica waste.

(c) Total export of Mica amounted to 24,606 tonnes as against a production of 18,263 tonnes during 1972. Higher exports are due to the recovery of Mica from the waste dumps accumulated over a period of years.

Workers Participation in Management of Heavy Industries in Public Sector

4444. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether labour has been given representation in the management of the heavy industries set up in the public sector of the country;

(b) if not, the reasons thereof; and

(c) the policy of Government in this regard and the time by which it will be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): **(a) & (b)** The question of appointment of workers representative on the Boards of Directors of the Public Sector Undertakings had been considered by the Committee on Public Undertakings in their 17th Report on Personnel Policies and Labour Management relations in Public Undertakings presented to Parliament in April, 1972. The Committee, *interalia*, recommended that schemes of workers actual participation at all levels shoud first be tried in one or two selected undertakings and watched. This recommendation of the Committee has been accepted by the Government.

(c) The Policy of the Government in this regard will be determined in the light of the experience gained from the experiment that has been initiated in the certain Pulic Undertakings.

Investments and Profits earned by Heavy Industry

4645. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) the capital invested in all the heavy industries in the public sector and the amont of profit earned by each of them during the years 1970, 1971 and 1972 respectively; and

(b) whether all these heavy industries are utilizing their full capacity and if not, the extent to which the capacity thereof remains unutilized?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) & (b) A statement is attached, [Placed in Library. *See*. No. L.T. 6001/73].

Expenditure on National Defence College

4646. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the annual expenditure incurred on the National Defence College, indicating the categories of persons receiving education there and the type of education imparted there and the number of days in a year they are taught as also the course followed by them; and

(b) whether foreign tours are also undertaken under the supervision of the College and if so, the number of foreign tours undertaken in 1970, 1971 and 1972 respectively and the expenditure incurred thereon separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik); : (a) The annual expenditure of the National Defence College is approximately Rs. 5,83,000. Armed Forces Officers normally of the rank of Brigadier and equivalent and officers of equivalent rank from civilian departments and a few foreign officers, are admitted to the College. The studies at the college relate to the strategic, economic, scientific, political and industrial aspects of national defence. The duration of the course is about 10½ months.

(b) Foreign tours are also undertaken in course of the studies. The expenditure thereon is indicated below :

Year	Number of tours	Expenditure incurred
		Rs.
1970-71	2	2,29,000·00
1971-72	1	2,32,822·00
1972-73	2	2,66,544·00

Uniform Wage Policy

4647. Shri M. C. Daga :
Shri P.G. Mavalanker :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to formulate and uniform wage policy for the labourers in the country and if not, the reasons therefor; and

(b) whether the labourers engaged in the same type of work in various industries get different pay and dearness allowance and if so, the steps taken to remove discontente on this score?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) There is yet no such proposal,

(b) Variations in wages and allowances are inherent in the socio-economic situation. The entire effort of planned development is in the direction of achieving reasonable uniformity and to remove discontentment.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद के कर्मचारियों और कर्मचारी संघ द्वारा अभ्यावेदन

4648. श्री बो० एन० रेड्डी :
श्री वीरेन दत्त :

क्या भारी **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स हैदराबाद के कर्मचारियों और कर्मचारी संघ की ओर से वहां के तीन कर्मचारियों को अन्यायपूर्वक नौकरी से निकाले जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। अभिलिखित तथ्यों पर सम्यक विचार करने पर कर्मचारियों का नौकरी से निकाला जाना न्यायोचित प्रतित हुआ।

हिन्दुस्थान मशीन टूल्स के प्रबन्धकों की मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

4649. श्री बी० एन० रेड्डी :

श्री बीरेन दत्त :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबन्धकों ने मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ कोई संयुक्त बैठक नहीं की हालांकि 1 तथा 2 अगस्त, 1973 के लिए वेतनों की अदायगी जबकि तालाबन्दी तथा 'टूल डाउन हड़ताल थी, सहित अनेक आवश्यक समस्याएं बाकी पड़ी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने प्रबन्धकों को संयुक्त बैठकें बुलाने और समस्याओं का निपटारा करने के लिए निदेश देने के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 2 अगस्त, 1973 को तालाबन्दी से पहले हिन्दुस्तान मशीन टुल्स-५, हैदराबाद के प्रबंधकों की कुछ मान्यता प्राप्त युनियनों के साथ संयुक्त बैठकें हुई थीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद में उत्पादन की कमी

4650. श्री बी० एन० रेड्डी :
बीरेन दत्त :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद में सितम्बर और अक्तूबर, 1973 में उत्पादन में कोई कमी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Plants trn by Government for Production of Arms

4651. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of plants run by Government in which small defence arms, guns, etc. are manufactured; and

(b) the names of the places in the country where these are sold by Government and their fixed price?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Presumably the Hon'ble Member wants to know about the manufacture of sporting arms for sale to the public. These are being manufactured by the Rifle Factory, Ishapore.

(b) These items are sold through licenced arms and ammunition dealers all over the country. The prices are fixed from time to time. The current maximum retail prices fixed are as follows:

	Rs.
12 Bore DBBL Shot Gun- Non-ejector pattern Non-engraved	1,250
.315" Sporting Rifle	1,000
.22" Rifle	1,200

Sale of Fire Arms to Authorised Persons

4652. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether India made fire-arms are sold by the Government at a price higher than that fixed therefor;

(b) whether an authorised person even if he possesses the authority letter can not purchase them directly from the factory;

(c) whether black money to the tune of Rs. 1,500·00 has to be paid while purchasing rifles and guns manufactured by the Indian Ordnance factories; and

(d) if so, the steps being taken by the Government in this regard?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Supply of sporting arms to licensed Arms and Ammunition dealers is made subject to the condition that they cannot sell at more thad the maximum retail price fixed by the Director General, Ordnance Factories.

(b) No, Sir. Only Hon'ble Members of Parliament are authorised to purchase directly from the producing factory.

(c) Does not arise in view of answer to (a) above.

(d) Action is taken to ban supply of arms to dealers who are found to have charged higher than the retail prices fixed, in contravention of the conditions of sale.

भारत और बर्मा के बीच सीमा का रेखांकन

4653. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **विदेश** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा और भारत के बीच, विशेषरूप में मणिपुर क्षेत्र में सीमा के रेखांकन के संबंध में कोई मतभेद है; और

(ख) यदि हां, तो भेदभाव किस प्रकार का है और उसे दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत और बर्मा के बीच का पारंपरिक सीमा को दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया है । इस सीमा के औपचारिक सीमांकन तथा रेखांकन के लिए मार्च 1967 में दोनों देशों के बीच एक सीमाकरार पर हस्ताक्षर हुए थे । भारत और

बर्मा के बीच सीमा अथवा उसके किसी हिस्से के संबंध में कोई विवाद नहीं है। कुछ खंभों की ठीक अवस्थिति के संबंध में थोड़ी तकनीकी कठिनाइयां हैं; इनमें से कुछ खंभें मणीपुर क्षेत्र के हैं। जैसा कि करार में उल्लिखित है इन मतभेदों को दोनों पक्षों की बातचीत द्वारा दूर कर लिया जायेगा।

मनीपुर रेजीमेंट स्थापित करना

4654. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सेनाओं में मनीपुर समुदाय का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है ;

(ख) क्या इस कमी को पूरा करनेके लिये मनीपुर रेजीमेंट स्थापित करने संबंधी मांग पर पुन-विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन्। वास्तव में सशस्त्र सेनाओं में मणीपुर राज्य से गत तीन वर्षों में भर्ती उस प्रतिनिधित्व से अधिक हुई है जितनी की इस राज्य के भर्ती योग्य 17-25 वर्ष के वय ग्रुप के युवकों की आबादी तथा उसी वय ग्रुप की देश की भर्ती योग्य कुल पुरुष संख्या के प्रतिशत के आधार पर होनी चाहिए थी।

(ख) जी नहीं श्रीमन्। सरकार की नीति है कि किसी भी विशेष वर्ग, धर्ममत, क्षेत्र या राज्य के नाम पर किसी नई रेजिमेंट की रचना न की जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर में भू-सर्वेक्षण

4655. **श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में भू-सर्वेक्षण करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या मनीपुर के पूरे प्रदेश का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय भू-सर्वेक्षण का एक दल मनीपुर में गया हुआ है अथवा जाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) मणीपुर में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप जिन विभिन्न खनीज निक्षेपों का पता चला है उनमें 64 लाख टन चूना पत्थर (सीमेंट व सीमांत ग्रेड) तथा 25 लाख टन मृत्तिका के भांडार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नमकीन झरनों से निकिलयुक्त क्रोमाइट तथा नमक का बाहरी उत्पादन भी खोज निकाला गया है।

(ख) मणीपुर तथा नागालैंड राज्य में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा खनिज अन्वेषण कार्य की गति को तीव्र करने के लिए विगत दो वर्षों से मणीपुर-नागालैंड के लिए एक सर्किल कार्यालय भी कार्यरत है जिसका मुख्यालय इम्फाल में है।

(ग) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के 1973–74 के क्षेत्रगत-सत्र कार्यक्रम के दौरान किए जाने-वाले व्यापक सर्वेक्षण की मुख्य विषशेषताओं में राज्य के विभिन्न भागों का भूवैज्ञानिक मानचित्रण ; निकिल; तांबा; क्रोमियम और प्लेटिनम धारी खनिजों के लिए प्राथमिक अन्वेषण कार्य ; एस्बैस्टास

सोपस्टोन, बहुमूल्य/औद्योगिक हीरों तथा पहाड़ी नमक के कथित भंडारों की जांच सम्मिलित है। कांगवई क्षेत्र में लिग्नाइट के लिए अगस्त, 1973 तक ड्रिलिंग कार्य की प्रगति 1516.25 मीटर थी। इस अन्वेषण कार्य को 1973-74 के क्षेत्रगत सत्र में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

गुजरात में इस्पात की कमी

4656. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में इस समय इस्पात की भारी कमी है और इससे सड़क और सिंचाई कार्यों की प्रगति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात को इस्पात की सप्लाई बढाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वर्तमान वितरण प्रणाली के अधीन कोटा पद्धति नहीं है और राज्यवार आबंटन नहीं किये जाते हैं। मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात की आपूर्ति का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है जो इस्पात के अन्ततः उपयोग, जिसके लिए इस्पात की मांग की गई हो, इस्पात की उपलब्धि तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है। फिर भी, बहुत सी श्रेणियों की उपलब्धि मांग से कम है ।

इस स्थिती से निपटने के लिए किये गए उपायों में, प्रौद्योगिक सुधारों द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना मालिक-मजदूर संबंधों को बेहत्तर बनाना संयंत्र और मशनरी के रख-रखाव में सुधार करना, अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था करना नवीकरण तथा पूंजीगत मरम्मतों का कार्यक्रम बनाना, बेहत्तर उपस्करों की उपलब्धि करना, जिन श्रेणियों की आपूर्ति कम है उनके लिए उदार आयात नीति बनाना, निर्यात का विनियमन करना तथा वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना, सम्मिलित है।

हाल में विदेश मंत्री द्वारा किये गये काबुल के दौरे के संबंध में पाकिस्तान द्वारा भिन्न उद्देश्यों का आरोप

4657. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा नवम्बर 1973 में दिये गये भाषणों के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा है जिनमें उन्होंने विदेश मंत्री पर यह आरोप लगाया है कि उनकी काबुल की यात्रा के पीछे कोई उद्देश्य विशेष था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) सरकार ने इस आशय का समाचार देख लिया है।

(ख) विदेश मंत्री की काबुल यात्रा भारत और अफगानिस्तान के विकासमान संबंधों के संदर्भ में ही देखी जानी चाहिए। इस यात्रा का कोई और अर्थ लगाना अनावश्यक और निराधार है।

पाक अधिकृत कश्मीर के नवयुवकों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाना

4658. **श्री एस० सो० सामन्त :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य् का पता है कि पाकिस्तान सरकार पाक-अधिकृत कश्मीर में रहने वाले नवयुवकों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दे रही है ; और

(ख) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का पाकिस्तान सरकार का उद्देश्य भारत की सीमाओं और कश्मीर में उपद्रव कराना है, ऐसी संभावनाओं को टालने के लिय क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार के पास इस बारे में कोई अधिप्रामाणिक सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Pending Claims of Displaced Persons from West Pakistan

4659. Shri Jagannath Rao Joshi : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of claim cases of the displaced persons from West Pakistan still under the consideration and decision by Government; and

(b) the date by which a final decision in this regard will be taken?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) (a) ; The number of such cases still under consideration and decision as on 1st November, 1973 is as under :

(i) Fresh cases	32
(ii) Cases under reprocessing/re-opening	5,508
(iii) Un-utilised Statements of Account	4,431
(iv) Cases relating to *ex-gratia* payments to migrants from Pak-held areas of Jammu and Kashmir and Tribal areas of N.W.F.P. of West Pakistan (Now Pakistan).	173

(b) It is difficult to indicate the precise date by which all these cases would be finalised. However, every effort to settle these cases expeditiously is being made.

परमाणु पोत का निर्माण

4660. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले परमाणु पोत का निर्माण भारत में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस में कूल व्यय कितना आया था; और

(ग) प्रस्तावित पोतों की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

सी० आई० ए० के नक्शे में भारतीय भूमि को चीन के क्षेत्राधिकार मे दर्शाना

4661. श्री एम० सुदर्शनम् : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान सी० आई० ए० द्वारा 'एटलस आफ पीपल्स रिपब्लिक आफ चाइना' में प्रकाशित किये गये उस नक्शे की ओर जिसमें भारतीय भूमि के कुछ भाग को चीन के क्षेत्राधिकार में दर्शाया गया है, दिलाया गया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने नवम्बर 1971 में केन्द्रीय आसूचना एजेंसी द्वारा प्रकाशित 'एटलस आफ पीपल्स रिपब्लिक आफ चाइना' नामक प्रकाशन देखा है। इसमें चीन के बहुत से नक्शे-भागों में अथवा पूर्ण रूप से दिये गये हैं, जिनमें भारत-चीन की सीमाएं आमतौर से सीमा के हमारे सरेखण के अनुसार दिखाई गई है यद्यपि सीमाओं के कुछ भाग अनिश्चित अथवा विवादास्पद दिखाये गये हैं। इसके अतिरिक्त नक्शों के बारे में यह अनुश्रुति है कि नाम और इनमें दी गई सीमाएं आवश्यक रूप से प्राधिकृत नहीं होतीं। फिर भी इस एटलस के पृष्ठ 75 का एक नक्शा चीन की सीमाओं की कमी की पी० आर० सी० व्याख्या प्रस्तुत करता है जिसमें 1840 और 1919 को चीन/चीन सीमाएं पी० आर० सी० टक्स्टबुक-ए ब्रीफ हिस्ट्री आफ मार्डन चाइना–के आधार पर दिखाई गई हैं। यह पुस्तक 1954 में पिकिंग से प्रकाशित हुई थी। इस नक्शे में 1840 और 1919 की भारत-चीन सीमा दिखाई गई है और भारत की कुछ सीमा को चीन का भाग दिखाया गया यद्यपि वर्तमान भारत-चीन सीमा भी एक खाके में दिखाया गया है जो हमारी सीमा सरेक्षण के अनुरूप है। इस प्रकार यह नक्शा 1954 में पेकिंग में प्रकाशित पाठ्य पुस्तक में किए गए प्रदेशों के दावों को ही प्रस्तुत करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले के अभाव के कारण त्रस्त कानपुर के उद्योग

4662. **श्री एम० सुदर्शनम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के अभाव के कारण कानपुर के सभी उद्योगों में उत्पादन अस्त-व्यस्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कोयले के अभाव में कानपुर का पूरा औद्योगिक उत्पादन अस्त-व्यस्त हो गया है। काम की दशाओं में सुधार तथा पर्याप्त बिजली पूर्ति के फलस्वरूप आगामी महीनों में कोयले के उत्पादन में सुधार होने की आशा है। रेलवे विभाग भी उद्योगों को कोयला पहुंचाने के लिए अधिक वैगन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। कोयले के टाल बनाने की भी एक योजना का प्रस्ताव है जिससे रेल परिवहन क्षमता का और अधिक युक्ति-संगत उपयोग हो सकेगा।

दादरा और नगरा हवेली को सप्लाई किया गया ढलवा लोहा तथा अलाइड इस्पात

4663. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नागर हवेली प्रशासन ने उनके पास वर्ष 1973-74 के लिये ढलवा लोह तथा अलाइड इस्पात की अपनी आवश्यकताओं के बारे में लिखा है ; और

(ख) 30 नवम्बर, 1973 तक उनको कुल कितनी मात्रा में उक्त सामान सप्लाई किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दादरा और नागर हवेली को कोयले की सप्लाई

4665. **श्री आर० आर० पटेल**
श्री डी० पी० जडेजा } :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली में कोयले की भारी कमी है जिसके कारण अनेक लघु उद्योग बन्द हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) दादरा और नागर हवेली में कोयले की खपत बहुत कम है। संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली में कोयले की कमी के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बोकारो स्टील लि० द्वारा भेजे गये क्रयादेशों को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा पूरा किया जाना

4667. श्री इ० बी० विखे पाटिल : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो स्टील लि० से प्राप्त ऐसे क्रयादेश किस प्रकार के हैं तथा वे कितने मूल्य के हैं जिनके अनुसार माल हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० द्वारा निर्दिष्ट तिथो तक नहीं भेजा गया और प्रत्यक क्रयादेश के लिये संमत मूल लक्ष्य क्या था ?

(ख) संमत तिथियों तक माल सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) काफी समय से पूरे न किये गये क्रयादेशों के माल को कब तक पूरी तरह सप्लाई कर दिया जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1-11-73 को हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को बोकारो के 17 लाख टन स्टेज के लिए लगभग 11 करोड़ रु० के मूल्य के लगभग 7500 मी० टन उपकरणों की सप्लाई अभी करनी है। बोकारो के 25 लाख टन के स्टेज के लिए हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को अभी लगभग 3500 मी० टन की सप्लाई करनी है। हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को बोकारो के 17 लाख नट स्टेज के लिए उपकरण देने का काम 1971 के अंत तक पूरा कर देना चाहिए था। बोकारो के 25 लाख टन स्टेज के लिए उपकरणों की डिलीवरी सितम्बर, 1973 तक पूरी हो जानी चाहिए थी।

(ख) सम्मत तिथियों तक संभरण न करने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :—

(1) कम उत्पादिता।

(2) ढली और गढ़ी वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना।

(3) आयातित हिस्से पुर्जों और सहायक हिस्सों की प्राप्ति और सप्लाई में विलम्ब होना।

(4) बिजली की सप्लाई पर प्रतिबंध।

(5) असंतोषजनक औद्योगिक संबंध।

(ग) बोकारो के 17 लाख टन स्टेज के लिए मार्च, 1974 तक और बोकारो के 25 लाख टन स्टेज के लिये जून, 1974 तक अनिर्णीत क्रयादेशों के पूरा हो जाने की आशा है।

भारी इंजीनियरिंग निगम द्वारा प्रोत्साहन योजनायें लागू करना

4668. श्री ० ई० बी० विखे पाटिल : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम ने अपने तीनों संयंत्रों तथा फाउंडरी फोर्ज प्लाँट्स, हेवी मशीन टूल्स प्लांट तथा हवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में प्रोत्साहन योजनायें लागू की है; यदि हां, तो कब से ;

(ख) उक्त प्रोत्साहन योजनाओं की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और उनका क्या प्रभाव हुआ हैं ;

(ग) क्या इन संयंत्रों में इन योजनाओं की क्रियान्विति के तरीके के बारे कर्मचारियों ने कोई शिकायतें की है ; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या निर्णय किया गया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। भारी इंजीनियरिंग निगम के तीनों संयंत्रों में अप्रैल, 1972 से एक प्रोत्साहन योजना लागू है।

(ख) अलग अलग कार्यों को करने के लिए दिया गया समय निश्चित किया गया है और इन कार्य में श्रमिक जितने समय की बचत करता है उसके लिए उसे भुगतान किया जाता है। प्रोत्साहन बोनस की गणना करने के लिए मानक घंटेवार दरें निर्धारित की गई हैं, प्रोत्साहन बोनस के तौर पर प्रत्यक्ष उत्पादन श्रमिको की सम्भावित आय पर मानक मूल मजूरी के 60 प्रतिशत की सीमा रखी गई है। अप्रत्यक्ष श्रमिक जैसे सुपरवाइजरी कर्मचारी, क्रेन ड्राइवर, रिगर आदि उन प्रत्यक्ष उत्पादन श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत बोनस के 80 % की दर से बोनस के हकदार हैं जो इनके अधीन काम करते हैं। जिनकी ये सहायता करते हैं। इस योजना से उत्पादकता में सुधार हुआ है और शाप फ्लोर कन्ट्रोल सरल हुआ है।

(ग) संयंत्रों में इस प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के तरीके के बारे में भारी इंजीनियरी निगम के श्रमिकों द्वारा की गई किसी भी शिकायत की सरकार को जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट का कार्य

4669. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य कर रहा है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन टूल्स प्लांट तथा अन्य भारी इंजीनियरिंग उद्योगों की ढली और गढ़ी वस्तुओं की सभी आवश्यकताएं पूरी कर सका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निश्चित समय पर कितने मूल्य के कितने क्रयादेश पूरे नहीं किये जा सके ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट के अपनी इष्टतम क्षमता तक काम न कर पाने के मुख्य कारण ये हैं :--

(1) बिजली की भारी कमी।

(2) न्यून उत्पादिता ; और

(3) कुछ भार केन्द्रों के लिय अपर्याप्त कार्य।

(ख) हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करना फाउन्ड्री फोज प्लांट के के लिये संभव नहीं है, लेकिन बिजली में हुई कटौती को पुन: स्थापित कर देने से स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

हैवी मशीन टूल्स प्लांट का कार्य

4670. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी मशीन टूल्स प्लांट अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य कर रहा है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) प्लांट द्वारा वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा अप्रैल, 1973 से अक्तूबर, 1973 तक कितने मशीनी औजार बनाये गये तथा वर्षवार, उनका टनभार उनमें स्वदेशी भागों की प्रतिशतता तथा उन का मूल्य कितना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। संयंत्र के अपनी इष्टतम क्षमता तक काम न कर पाने के मुख्य कारण ये हैं :—

(क) अच्छी किस्म की ढली हुई वस्तुओं की अपर्याप्त सप्लाई।

(ख) बिजली की भारी कमी।

(ग) न्यून उत्पादिता।

(घ) वर्ष 1971-72, 1972-73 और अप्रैल से अक्तूबर, 1973 तक संयत्र में हुए उत्पादन के बारें में भार सहित मशीनों की सं०, मूल्य और उनमें देशी पुर्जों की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

अवधि	मशीनों की सं० (भार टन)	मूल्य (लाख रु० में)	देशी पुर्जों का प्रतिशत
1971-72 .	20 नग (741 टन)	126.26	50.04 प्रतिशत
1972-73 . .	22 नग (640 टन)	131.02	54.04 प्रतिशत
अप्रैल-अक्तूबर, 1973 .	9 नग (410 टन)	56.12	60 प्रतिशत (लगभग)

दिल्ली में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या

4671. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोज़गार (मैट्रिक तथा उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त) व्यक्तियों की 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1973 के बीच कार्यालय-वार कुल कितनी संख्या रही; और

(ख) इस अवधि के दौरान कार्यालय-वार कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) 1-1-1973 से 30-6-1973 की अवधि से संबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) और (ख)

रोजगार कार्यालयों के नाम	नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों* की संख्या	
	पहली जनवरी से 30 जून, 1973 के दौरान पंजीकृत हुए व्यक्तियों की संख्या	पहली जनवरी से 30 जून, 1973 के दौरान नौकरी पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1. व्यावसायिक एवं कार्यकारी कार्यालय, अरब-की-सराय	4,614	512
2. रोजगार कार्यालय दरियागंज, दिल्ली . .	29,869	1,750
3. रोज़गार कार्यालय (तकनीकी), पूसा . .	1,686	234
4. रोजगार कार्यालय, कर्जन रोड, नई दिल्ली . .	3,473	112
5. विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और सहायता केंद्र, दिल्ली	1,624	156
6. विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और सहायता केन्द्र जामिया मिलिया इस्लामिया	410	54
7. क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, सब्जीमंडी .	31	2
8. क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, शाहदरा . .	54	9
9. क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, पूसा . . .	29	3
10. रोजगार कार्यालय, दिल्ली छावनी . .	59	4
11. विकलांगों के लिए वि ेष रोजगार कार्यालय, नई दिल्ली.	190	65
योग .	42,089	2,901

*मैट्रिक और इससे अधिक शिक्षा ाप्त ।

नोट :—(1) नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों के संबंध में आंकड़े प्रत्येक वर्ष 30 जून, और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले अर्धवर्षीय अन्तरालों पर एकत्र किए जा रहे है ।

(2). रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वाले शिक्षित सभी व्यक्ति अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं है ।

पश्चिमी बंगाल के लिये आवंटित रूस से इस्पात के बेलित उत्पाद

4672. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुस से इस्पात की बलित वस्तुओं का कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा और पश्चिमी बंगाल के लिये इन की कितनी मात्रा आबंटित की जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : हाल में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने सोवियत रुस से वर्ष 1974 में 50,000 टन स्पात के आयात के लिए एक करार किया है। आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत आयातित इस्पात मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, द्वारा जारी किए गए रिलीज़ आर्डरों पर वास्तविक उपभोक्ताओं तथा पंजीकृत निर्यातकों को दिया जाता है। इसे विशष रूप से किसी राज्य के लिए अलग से नहीं रखा जाता है।

कोयला खनिकों के लिये अन्तरिम वेतन वृद्धि

4673. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खनिकों की कौनसी ऐसी श्रेणी है, जिसे हाल में की गयी 39 रुपये प्रति मास की अन्तरिम वेतन वृद्धि से लाभ पहुंचेगा; और

(ख) अन्तरिम वेतन वृद्धि की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट की सिफारिशों के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों को अन्तरिम सहायता देय है।

(ख) सहायता 15 नवम्बर, 1973 से देय है।

कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी

4675. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम** मंत्री 15 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 617 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदक्ष कृषि श्रमिकों को 3.50 रुपये से 5.15 रुपये तक की न्यूनतम दैनिक मजूरी देने के निर्णय को संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) निर्धारित न्युनतम मजूरी सम्बन्धी निर्णयों के उल्लंघन के लिए क्या दण्ड दिये गये हैं ;

(ग) इन निणयों की क्रियान्विति का सुनिश्चय करने तथा इनके उल्लंघन को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है तथा उसका क्या प्रभाव रहा है ;

(घ) किन किन राज्यों ने न्यूनतम मजूरी निर्धारित की है तया उसको कड़ाई से लागू करने तथा उसके उल्लंघन के लिए दण्ड देने के लि क्या क्या व्यवस्थायें की ग है; तथा उनके क्या प्रभाव हुए है; और

(ङ) देश भर में न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने, उसे कड़ाई के साथ लागू करने और उसके उल्लंघन के लिए दण्ड देने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित 3.50 रुपये से लेकर 5.15 रुपये तक प्रतिदिन की न्यूनतम मजरी, कृषि में ऐसे रोजगार के लिये लागू होती है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार 'समुचित सरकार' है, अर्थात्, ऐसी कृषि में काम करने वाले कर्मचारी जो रक्षा, खाद्य एवं कृषि, निर्माण और आवास (बागवानी निदेशालय और केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग) मंत्रालयों तथा भारतीय पुरातत्व सम्बन्धी सर्वेक्षण द्वारा अथवा उनके प्राधिकार के

अन्तर्गत की जाती है । केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के अधिकारी निरीक्षण तथा प्रवर्तन कार्य करते है और चूक कर्त्ता नियोजकों के विरुदध, जैसी कि अधिनियम में व्यवस्था है, कार्रवाई करते हैं । उल्लंघनों के मामलों यदि कोई हो, से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही वह उपलब्ध होगी, मेज पर रख दी जायगी ।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारें तथा संघ शासित क्षेत्र, कृषि में रोजगारों के लिए, न्यूनतम मजूरियों को, जिस सीमा तक वे 'यथोचित सरकारें' हैं, निश्चित करते हैं । वे प्रवर्तन के लि तथा चूक कर्त्ता नियोजकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी उत्तरदायी हैं । राज्य सरकारों और केन्द्रीय शासित क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित मजूरियों के सम्बन्ध में, उपलब्ध सूचना, श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा काशित 'भारतीय श्रम आंकड़े, 1973' प्रकाशन की सारणी 4.11 में प्रकाशित की जाती है ।

Supply of Steel for Agriculturists

4676. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Agriculture has asked for the supply of various types of steel for use of farmers during 1973-74 ;

(b) if so, the quantity of each type of steel asked for;

(c) the time by which it will be supplied;

(d) the prices fixed for each type of steel; and

(e) the efforts being made by Government to meet the demand which is primarily for the farmers?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh: Hansda) (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) A copy of Joint Plant Committee Announcement No. 116 dated 15th October, 1973, indicating the current selling prices, is enclosed. [*Placed in Library. See No. L. T.* 6002/73.]

(e) Demand for steel at present is in excess of availability in respect of several categories.

Steps taken to improve the situation include stepping up of production by technological improvements, better industrial relations, improved maintenance of plant and machinery provision of balancing facilities programme of renovation and capital repairs, better equipment, availability, a liberal import policy particularly in respect of categories in short supply; regulation of export and streamlining of the system of distribution.

Setting up of Heavy Industries in Bihar

4677. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Heavy Industry** be peased to state :

(a) the criteria adopted by Government in regard to setting up of heavy industries;

(b) whether North Bihar is covered by it; and

(c) if so, the names of the industries proposed to be set up there?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) to (c) The setting up of Heavy Industry in a particular area is decided after taking into consideration the feasibility study for a project covering various techno-economic factors like the availability of land, labour, power, raw-material, transport and other infrastructural facilities.

The above considerations apply to the setting up of Heavy Industries in any part of India including Bihar.

There is as yet no proposal to set up any Heavy Industry in North Bihar in the next few years.

दार्जिलिंग में सीसे के निक्षेप

4678. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में गुरुमात्र क्षेत्र में सीसे के अयस्कों के विशाल निक्षेपों का पता लगाया है ;

(ख) क्या यह सीसे के निक्षेप सिक्किम और भूटान तक फैले हैं ;

(ग) क्या यह नया अयस्क उच्च धातु गुणों से परिपूर्ण है तथा श्रेष्ठ किस्म का है; और

(घ) क्या इस नये मिले सीसा-अयस्क के निक्षेपों से हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जायेंगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के गेरूबाथन इलाके में सीसा जस्ता खनिज होने का पता चला है। तलीय और भूगर्भीय जांच-पड़ताल से पता चला है कि 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में तीन पर्तें हैं। परतों की मोटाई 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक है और इन पर्तों की कुल लम्बाई 3.5 किलो मीटर है। क्रोड नमूनों की जांच से 3 से 10 प्रतिशत सम्मिलित सीसे-जस्ते का अनुमान है।

(ख) यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह खनिज क्षेत्र सिक्किम-भूटान तक गया है। तथापि, सिक्किम के रंगपो स्थान में तांबा-सीसा-जस्ता खनिज तथा भूटान के गोनेखा स्थान पर (दो प्रतिशत से अधिक सम्मिलित सीसा-जस्ता वाले) सीसा जस्ते खनिजों का पता चला है।

(ग) और (घ) अंतिम परिणाम चालू खोजकार्य के पूरा हो जाने के बाद ज्ञात हो सकेगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र की पहली धमन भट्टी का उत्पादन

4680. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की पहली धमन भट्टी ने अक्तूबर, 1972 में आरंभ होने से अब तक 5 लाख टन के अपने उत्पादन लक्ष्य से भी अधिक उत्पादन कर लिया है ;

(ख) क्या बोकारो ने अब तक 14.50 करोड़ रुपये के मूल्य का 4.53 लाख टन ढलवां लोहा बेचा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह संयंत्र अब अपने प्रारम्भिक संकट की स्थिति से मुक्त हो गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, हां। नवम्बर, 1973 के अन्त तक कच्चे लोहे का उत्पादन 7 लाख टन से बढ़ गया था।

(ख) जी, हां। नवम्बर, 1973 के अन्त तक बोकारो इस्पात कारखाने ने 753,968 टन कच्चा लोहा बेचा था जिसका मूल्य 32.69 करोड़ रुपये था।

(ग) अब तक धमन भट्टी संतोषजनक ढंग से कार्य करती रही है और परिचालन में कोई गंभीर कठिनाई नहीं आई है। ऐसी आशा है कि यह धमन भट्टी इस्पात कारखाने के सर्वतोमुखी परिचालन में भी इसी प्रकार अच्छी तरह से कार्य करती रहेगी।

देहरादून स्थित इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा प्रोटोटाइप उपकरण का विकास

4681. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित इन्स्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डिवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा एक उपकरण का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है जिससे रक्षा सेवाओं के कर्मचारी रात को स्पष्ट रूप से देख सकगे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बिम्ब को बडा करने वाले यंत्र का कोई नाम रखा गया है; और

(ग) क्या यह नया विकसित यंत्र रक्षा सेवाओं के लिए एक अतिरिक्त यंत्र होगा अथवा इसका केवल मात्र आयातित उपकरण के स्थान पर उपयोग किया जा सकेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) प्रोटोटाइप विकासात्मक चरण में हैं।

(ख) जी नहीं श्रीमन्।

(ग) इस यंत्र का सफलतापूर्वक विकास हो जाने के पश्चात यह रक्षा सेवा यन्त्रों में एक वृद्धि होगी।

इस्पात तथा अलौह उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

4682. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे इस्पात तथा अलौह उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है जिनमें 10 करोड रुपये से अधिक की पूंजी लगी है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय इस प्रकार का कदम उठान की आवश्यकता नही है।

बड़े औद्योगिक गृहों में कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

4683. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बडे औद्योगिक गृहों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये एक नया मजूरी बोर्ड बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एल्यूमिनियम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

4684. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एल्यूमिनियम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है, और

( ) यदि नहीं, तो इसक क्या कारण है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) एल्यमिनियम उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । एल्यूमिनियम का उत्पादन औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 की अनुसूची 'ख' में सम्मिलित है । तदनुसार इस उद्योग के लिए गर-सरकारी क्षेत्र को भूमिका सोपी गई है।

मालंगतोली लौह अयस्क परियोजना

4685. **श्री अर्जून सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मालंगतोली लौह अयस्क परियोजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगती हुई है और तत्संबंधी भावी योजनायें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मालंगतोली लौह अयस्क निक्षपों के तीन क्षेत्रों में लौह अयस्क के भण्डारों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग और दूसरा पूर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

औद्योगिक सम्बन्ध परिषदों के गठन तथा मजदूर यूनियनों को मान्यता के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें

4686. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय श्रम आयोग के प्रतिवेदन विशेषरूप से केन्द्रीय तथा राज्य औद्योगिक सम्बन्ध परिषदों के गठन और निर्धारित शर्तें पूरी करनें वाली मजदूर यूनियनों को अनिवार्य मान्यता देने सम्बन्धी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बार में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इन विषयों पर विभिन्न राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो चुके है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) राष्ट्रीय श्रम आयोग की 300 सिफारिशों में से अब तक 219 के बारे में कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । जहां तक केन्द्र में और राज्यों में औद्योगिक सम्पर्क आयोगों को स्थापित करने और यूनियनों की अनिवार्य मान्यता से संबंधित सिफारिशों का सम्बन्ध है, इन सिफारिशों तथा अन्य सिफारिशों के सम्बन्ध में अब तक हुये विचार-विमर्शों और व्यक्त किए गए मतों को दृष्टि में रखत हुए, सरकार इस समय औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में एक व्यापक कानून सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे रही है ।

(ख) कई एक बैठकों में राज्य सरकारों के विचारों का पता लगाया गया है। स्थायी श्रम समिति के 29वें सत्र, जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, के अतिरिक्त मई, 1972 में हुए राज्य श्रम मंत्री सम्मेलन में भी इन सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था।

छोटे ट्रैक्टर तथा 'टिलर' बनाने के लिये कारखाने लगाने हेतु लाइसेंस देना

4687. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे ट्रैक्टर तथा पावर टिलर बनाने हेतु कारखाने लगाने के लिये कितनी फर्मों को लाइसेंस दिये गये है और इस समय उनके कारखानों के विकास की क्या स्थिति है, और

(ख) चौथी योजना के अन्त तक छोटे ट्रैक्टरों तथा शक्तिचालित 'टिलरों' की कितनी उत्पादन क्षमता का विचार बनाया गया था और प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता कितनी है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पांच पार्टियों को प्रतिवर्ष 56,000 की कुल क्षमता से छोटे ट्रैक्टरों (25 अ० श० तक) के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये गये है और 6 एककों को प्रतिवर्ष 40,000 की कुल क्षमता से विद्युत चालित हलों का निर्माण करने के लिए लाइसेन्स दिये गये है।

जहां तक ट्रैक्टरों का संबंध है, इस समय केवल एक एकक में उत्पादन हो रहा है । आगामी तीन वर्षों में शेष चार एककों में उत्पादन आरंभ हो जाने की सम्भावना है । जहां तक विद्युत चालित हलों का संबंध है, तीन एककों में उत्पादन हो रहा है और आगामी 2/3 वर्षों में शेष तीन एककों में भी उत्पादन आरंभ होने की आशा है । छोटे ट्रैक्टरों या विद्युत चालित हलों क लिए अतिरिक्त क्षमता हेतु लाइसेंस देने का कोई विचार नहीं है ।

Temporary Employees in the Ministry External Affairs

4688. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of employees working in his Ministry; and

(b) the number of temporary employees out of them?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b) The information is given in the attached statement.

STATEMENT

	Total number of employees	Number of temporary employees
Ministry of External Affairs (Including Indian Missions/Posts Abroad)	5296 (Including 1569 local-based employees in Indian Missions/Posts abroad)	2701 (Including local based employees in Indian Missions/Posts abroad)
Central Passport & Emigration Organisation	442	151

Stainless Steel Stolen from Bokaro Steel Plant Godown

4689. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whe ther a part of the large quantity of stainless steel worth Rupees 1½ lakh which was st en from a godown of Bokaro Steel Plant was recovered from the house of a business-man in September, 1973; and

(b) the action taken by Government in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) There was no theft of stainless steel from godowns of Bokaro Steel Plant in September, 1973.

(b) Does not arise.

Indian and Foreign Nationals Working in Indian Embassy in Australia

4690. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian and foreign nationals working in the Indian Embassy in Australia at present separately;

(b) whether the Indian and the foreign nationals working on the same posts are given different scales of pay; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) 10 Home-based and 9 foreign nationals are working in the Indian H Commission in Australia.

(b) Each local post has the same pay scale whether it is filled by an Indian national or a foreign national.

(c) Does not arise.

Number of Indian and Foreign Nationals in Indian High Commission, U.K.

4691. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Indian and foreign nationals working in the Indian High Commission, U.K. separately;

(b) whether there are separate pay-scales for Indian and foreign nationals working on the same posts; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) The number of Indian and foreign nationals working in the High Commission, of India, U. K. on 1st Dec. 1973, was as under:

Indian nationals	363
Foreign nationals	53
	416

(b) Each Local post has the same pay scale whether it is filled by an Indian national or a foreign national,

(c) Does not arise.

Running Commentary by Radio Pakistan about Student Agitation in Jammu

4693. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether a running commentary on the student agitation in Jammu was broadcasted by Radio Pakistan;

(b) if so, whether the student leaders in Jammu and Kashmir have started receiving money from Rawalpindi to gear up the agitation; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Radio Pakistan had given an exaggerated and fanciful account of a small incident involving some college students.

(b) and (c) Government have no information in this regard. However, utmost vigilance is maintained by the security agencies to thwart any such attempt.

इस्पात की री-रोलरों के लिये स्क्रैप की अनुपलब्धता

4694. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक इस्पात री–रोलर मिल, विशेषकर लघु क्षेत्र में स्क्रैप की अनुपलब्धता के कारण संकट में है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका मुख्य कारण यह है कि एस० आर० एम० ए० के 96 स्क्रैप री-रोलर मिल अन्य 1000 री-रोलरों की कीमत पर अधिकांश स्क्रैप प्राप्त करते है, और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस समय पुनर्वेलन योग्य स्क्रैप की उपलब्धि मांग से कम है और हो सकता है इस्पात पुनर्वेलकों पर इसका प्रभाव पड रहा हो।

(ख) और (ग) यह कहना ठीक न होगा कि ऐसा मुख्यता एस० आर० एम० ए० के स्क्रैप पुनर्वेलकों को स्क्रैप की अधिक मात्रा मिलने के कारण है।

मध्यपूर्व स्थित शान्ति सेना पर व्यय में भारत का अंशदान

4695. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व स्थित शांति सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी व्यय के प्राक्कलन तयार कर लिये गये है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये भारत को अनुमानत: कितना अंशदान देना होगा तथा उसके भुगतान का ढंग क्या होगा; और

(ग) भारत इस व्यय पर किस सीमा तक निगाह रखने की स्थिति में होगा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। महासचिव ने 25 अक्तूबर, 1973 से 24 अप्रैल, 1974 तक मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना के संचालन के लिए 3 करोड डालर का प्राक्कलन प्रस्तुत किया है । इस आंकडे का अनुमोदन अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा होना है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महा सभा की वित्तीय समिति द्वारा पारित प्राक्कलन के अनुसार भारत का अंशदान 72,144 अमरीकी डालर होगा। यह अदायगी अमरीकी डालर में अथवा ऐसी किसी मुद्रा में होगी जो संयुक्त राष्ट्र को इस प्रयोजन के लिए स्वीकार्य होगी।

(ग) संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना के वित्त प्रबंध रंम्बधी विचार विमर्शों में भाग लेने का अधिकारी है । इस प्रकार भारत वित्त प्रबन्ध संबंधी सभी निर्णयों में भाग ले सकेगा और इस सेना पर किए गए व्ययों पर बराबर दृष्टि रख सकता है।

Production of Bharat Electronics Ltd.

4696. Shri Shrikrishna Aggarwal : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the present 60 per cent production of the Bharat Electronics Limited is not sufficient to meet the needs of countries Defence Department;

(b) if so, whether Government fully hope that the Ghaziabad Branch of this Institution will start production within the stipulated period with a view to meet the defence requirements; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidy Charan Shukla): (a) Bharat Electronics Ltd. is producing electronic equipment for the Defence Services against specific orders or the firm requirements indicated by the latter. The requirements of Defence for some items of electronic equipments are also met by some of the other units in the country, such as Hyderabad Division of Hindustan Aeronautics Ltd.; the Electronic Corporation of India Ltd. and the Indian Telephone Industries etc. The production potential available or being established in Bharat Electronics Ltd. at its Bangalore and Ghaziabad units is, by and large, adequate to meet the Defence requirements, as at present foreseen, for the types of equipment coming within the range of Bharat Electronics Ltd.

(b) The factory construction of the Ghaziabad unit of Bharat Electronics Ltd. is in progress. This unit has, however, already started production on a limited scale from September 1973.

(c) Does not arise.

आपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त श्री अशोक सोलोमन को पासपोर्ट देना

4698. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में गांझे के मामले में गिरफ्तार किये गये श्री अशोक सोलोमन ने वर्ष 1968 से अब तक विदेश जाने के लिये चार बार पासपोर्ट प्राप्त कर लिया है हालांकि उसके विरुद्ध कुछ अपराधिक मामले निर्णयाधीन थे और वह जमानत पर था, और

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध चल रही जांच के पूरा होने से पूर्व ही उसे भारत छोडने की अनमति देने के क्या कारण थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) यह सच नही है कि 15-11-73 को दिल्ली पुलिस अधिकारियों द्वारा हमें यह सूचना दिये जाने के बाद कि श्री अशोक सोलोमन एक फौजदारी के मामले से सम्बद्ध है, उसे विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट सुविधाएं दी गई हैं।

मामले के तथ्य इस प्रकार है कि श्री सोलोमन के पासपोर्ट संबंधी आवेदन पर उन्हें जुलाई, 1968 में एक भारतीय पासपोर्ट दिया गया था। उसका आवेदन पत्र सम्यक रूप से जांच लिया गया था और हर तरह से पूर्ण था। इसके बाद श्री सोलोमन ने जुलाई 1971 में अपने पासपोर्ट के करण के लिए प्रार्थना पत्र भेजा और चूंकि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं था, इसलिए जुलाई 1974 (अन्तिम) तक उसके पासपोर्ट का नवीकरण कर दिया गया।

अब जब कि दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने यह सूचित किया है कि श्री सोलोमन एक फौजदारी के मामले से सम्बद्ध है, हमने सभी सम्बद्ध अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें दे दी हैं कि इस मंत्रालय की पूर्व अनुमति क बिना उन्हें कोई पासपोर्ट सुविधा न दी जाये।

Prices of Coal of Various Grades of Raniganj and Jharia Coal Mines

4699. Shri Awdhesh Chandra Singh : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the prices per ton at present of various grades of slack coal of Raniganj and Jharia Coal Mines used by brick kilns and those prevalent before their take-over; and

(b) the quantity of production and loading during 1972-73 and that during the year preceding the take-over?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) The pit-head prices of different grades of slack coal of Bengal-Bihar coalfiled prior to and after take over of non-coking coal mines are given below:

Selected 'A'	Rs. 47·00 per tonne
Selected 'B'	Rs. 42·00 per tonne
Grade I	Rs. 39·00 per tonne
Grade II	Rs. 35·00 per tonne
Grade III-A	Rs. 32·62 per tonne
Grade III-B	Rs. 31·45 per tonne

(b) The non-coking coal mines were taken over in January, 1973, The total quantity of non-coking coal produced and despatched in Bengal and Bihar during the first ten months of each of the years 1973 and 1972 is given below:

	Production		Despatches	
	1972 (In	1973 first	1972 ten	1973 months)
	In million tonnes			
Bengal	14·70	15·85	13·95	15·00
Bihar	14·16	15·00	11·00	10·07

Issue of Orders in Hindi and English Languages

4700. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Defence** be pleased to state

(a) the arrangements made in his Ministry and subordinate offices to see that all general orders are issued in both Hindi and English simultaneously in pursuance of the provisions of the Official Language Act;

(b) the number of cases brought to notice during the last quarter in which the letters, circulars and memoranda falling under the category of 'General order' were issued by the Officers of the Ministry or subordinate offices in English only and their Hindi version was not issued simultaneously; and

(c) the action taken or porposed to be taken against the officers concerned?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) to (c) The general order in Defence Organisation are being issued both in Hindi and English to the extent possible within the existing resources. However, efforts are being made to provide adequate translation staff and printing facilities for ensuring compliance with the provisions of the Official languages Act, as amended.

Meetings of Official Language Implementation Committee

4701. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the quarterly meetings of the Official Languages Implementation Committees constituted in the various subordinate offices of his Ministry are being held regularly;

(b) if not, the action being taken in this regard; and

(c) the reasons for delay in constituting such Committees in the subrodinate offices?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) The committees meet as regulary as possible in the offices in which they have already been set-up.

(c) Some of the offices in which such committees have not been set up are temporary while others are very small and do quasi-judicial work; in 2 offices action is being taken to constitute committees.

Issue of 'General Orders' in Hindi and English Simultaneously in Ministry of External Affiairs

4702. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the arrangements made in his Ministry and subordinate offices for issue of all general orders in Hindi and English simultaneously in pursuance of the Official Language Act?

(b) whether the persons entrusted with the work in this regard are discharging their duties properly;

(c) the number of cases brought to the notice during the last quarter in which the letters, circulars and memoranda falling under the category of 'general orders' were issued by the Ministry or Subordinate Offices in English only and their Hindi version was not issued is simultaneously; and

(d) the action taken or proposed to be taken against the Officers concerned?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Arrangements exist and necessary instructions have already been issued to all Sections and regional passport offices to issue all 'General orders' in Hindi and English

simultaneously and the Sections which do the cyclostyling and issue work, have been asked to return any such orders to the Section concerned, for the Hindi version, if it is not accompanied therewith.

(b) Yes, Sir, These instructions are being carried out satisfactorily.

(c) In the last quarterly report sent to the Ministry of Home Affairs, no 'general order' was issued in English only.

(d) Does not arise.

जस्ता आयस्क खानों का विकास तथा विस्तार किया जाना

4703. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री वी० मायावन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न स्थानों पर नयी जस्ता अयस्क खानों के विकास के लिए भारी धनराशि की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या है, और

(ग) कौन कौन सी नयी परियोजनाओं के स्थापित किए जाने और कौन कौन सी वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार किए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपूर को 11.61 करोड रूपये की अनुमानित लागत से अयस्क परिष्करण की समान सुविधाओं के साथ बलारिया (राजस्थान के जवार क्षेत्र) म एक नई सीसा-जस्ता खान खोलने की स्वीकृति दी गई है । कम्पनी के देबरी (उदयपुर के पास) स्थित जस्ता प्रदावक का 18,000 टन से 45,000 टन की वाषिक क्षमता तक विस्तार किया जा रहा है। खान से उत्पन्न होने वाले जस्ता सांदों से विस्तृत प्रद्रावक की अधिकांश जरूरते पूरी हो जाएंगी ।

कम्पनी को राजपुरा – दरीबा (राजस्थान) स्थित सीसा-जस्ता अयस्क निक्षेपों के प्रारंभिक विकास हेतु 1.98 करोड रुपये के व्यय की भी मंजूरी दी गई है । इस खनिज क्षेत्र से लगभग 3000 टन दैनिक अयस्क उत्पादन की संभावना है ।

उसके अतिरिक्त बरोई और जवारमाला (राजस्तान की जवार क्षेत्र) में सीसा-जस्ता अयस्क निक्षेपों के लिए विकास के लिए भी यह कम्पनी प्रोद्योगिक आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार कर रही है । इस रिपोर्ट के 1974 के शुरू के महीनों में ही तयार हो जाने की संभावना है ।

यह कम्पनी राजपुरा दरीबा बरोई जवारमाला आदि अयस्क निक्षेपों पर आधारित नरा जस्ता प्रद्रावक तथा अन्य सहायक क्रियाएं चालू करने के संभावना का भी पता लगान को उत्सुक है ।

भारत-फ्रांस सम्बन्ध

4704. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस और भारत के सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो फ्रांस भारत को किस प्रकार की सहायता देने के लिए सहमत हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत और फ्रांस के बीच बडे मैत्रीपर्ण सम्बन्ध बने हुए है और इन्हे बढावा देने तथा मजबूत करने के लिए दोनों देशों की और से लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक सहकारिता एवं सहयोग में नियमित रूप से वृद्धि हुई है । हाल ही में फ्रांस के वित्त मंत्री, श्री बेलरी गिसकार्ड डी ऐसटेग की 16 से 19 नवम्बर 1973 तक की सरकारी तौर पर भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की विकास परियोजनाओं में, विशेष रूप से समुद्र तट से दूर तेल की खोज करने और उर्वरक उत्पादन में फ्रांस अधिकाधिक भाग लेगा।

फ्रांस द्वारा भारत को रक्षा उपकरण की सप्लाई

4705. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह की बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रक्षा उपकरण की सप्लाई करने के बारे में फ्रांस से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो वे कितनी सहायता देने में सहमत हो गए है, और

(ग) क्या किसी समझोते पर हस्ताक्षर हुए है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) फ्रांस से कुछ प्रकार के रक्षा उपस्करों के प्राप्त करने तथा फ्रांस के सहयोग से कुछ रक्षा उपस्करों के निर्माण करने का मामला सरकार के विचाराधीन है तथा इन मदों के सम्बन्ध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं किया गया है, तथा उसके ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

सेना अधिकारियों को दिल के दौरों का पड़ना

4706. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि "सेना अधिकारियों" पर दिल के दौरे अधिक पडने लगे है,

(ख) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक सच है, और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) ऐसा कोई समाचार ध्यान में नहीं आया है । तथापि यह ठीक है कि इसकिएमिक हृदय रोग (दिल का दौरा) जूनियर कमी शन्ड अफसरों तथा अन्य रेंकों की तुलना में अफसरों में अधिक है ।

(ग) उपयुक्त उपाय किए जा रहे है, उदाहरणत: समुचित व्यायाम पर बल, नियमित अन्तर पर स्वास्थ्य परीक्षा, और हृदय रोग के निरोधी उपायों के संबंध में सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा ।

लंदन में भारत-ब्रिटिश वार्ता

4707. **श्री पो० ए० सामिनाथन :**

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर 1973 में लन्दन में हुई भारत ब्रिटिश वार्ता अन्तिम दौर में पहुंच गई थी; और

(ख) जिन विषयों पर चर्चा की गयी उनका विस्तृत विवरण क्या है और कौन कौन से निर्णय किए गए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत ब्रिटिश उभयपक्षीय वार्षिक वार्ता 20 से 22 नवम्बर 1973 तक लंदन में हुई । ये वार्ताएं सरकारी स्तर पर लगभग एक वर्ष पर और एकान्तर से लंदन और दिल्ली में हुआ करती है।

(ख) इस वार्ता में विश्व की हाल की मुख्य घटनाओं की सामान्य समीक्षा और उप महाद्वीप तथा पडोसी क्षेत्रों की स्थितियों तथा आपसी मामलों पर चर्चा हुई । अधिक ध्यान तथा समय उभयपक्षीय मामलों विशेषत: यू० के० में यात्रियों के प्रवेश तथा आप्रवास पर दिया गया । ब्रिटिश सरकार इसके लिए सहमत हुई कि वह प्रवेश-प्रमाणपत्र देने की कार्याविधि को युक्तिसंगत बनान पर ध्यान देगी। उन्होंने भारत की आर्थिक समस्याओं के प्रति गहरी सूझबूझ का परिचय दिया—विशेषतया यूरोपीय साझा बजार से व्यापार के संबंध में और भारत ब्रिटिश आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में रुचि प्रदर्शित की । वार्ता की समाप्ति पर जो प्रेस-प्रकाशनी जारी की गई उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6003/73 ।**]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE : ADJOURNMENT MOTION

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने अल्पसंख्यांकों को संरक्षण देने में सरकार की विफलता के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । इस कारण सात व्यक्तियों की जानें गई ह और सैंकडों व्यक्तियों के छुरे धोये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है । यह विधि तथा व्यवस्था का विषय है । म किसी भी सदस्य को इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हम मानते हैं कि कानून और व्यवस्था का प्रश्न राज्य का विषय है, परन्तु सांप्रदायिक दंगों के कारण राष्ट्रीय एकता को जो आघात पहुंचता है, उस बारे में चर्चा करना तो निश्चय ही इस सभा के क्षेत्राधिकार की बात है। अत: इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिये ।

श्री विक्रम महाराज (कांगड़ा) : कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सांप्रदायिक दंगें पैदा करने में रूचि रखती ह । यह तो विधि और व्यवस्था की समस्या है जो पूरी तरह राज्य का विषय है । इसे सांप्रदायिक रंग दकर राष्ट्रीय एकता की समस्या नही बनाया जा सकता । इस बारे में इस सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Communal riots of Ahmedabad and Bhiwandi were discussed in this house by way of Calling Attention, motions and discussions under Rule 193.

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है । सांप्रदायिक दंगों पर चर्चा का मैं विरोध नहीं करता । सांप्रादायिक दंगों की स्थिति पर वक्तव्य देने के लिये मैं गृह मंत्री से कहूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अधीन सप्ताह में दो बार चर्चा नहीं हो सकती । मैं आश्वासन तो नहीं दे सकता , परन्तु मैं विचार करूंगा ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): One political party has a hand in all this. Therefore, first the Home Minister should make a statement and thereafter a discussion should be allowed.

Mr. Speaker : If you raise such points, it may become difficult for me to function in this House.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : Before the hon. Minister makes a statement, full facts should be laid on the Table of the House.

Mr. Speaker : I have to see that things may not spread.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पत्र

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेद व्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के कार्यकरण पर वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन ।

(दो) एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के कार्यकरण और प्रशासन पर प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5982/73 ।]

कोयला खान श्रम कल्याण निधि (तीसरा संशोधन) नियम, 1973 और एक विवरण

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तगत कोयला खान श्रम कल्याण निधि (तीसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1180 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5981/73 ।]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महा सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा 11 दिसम्बर, 1973 की अपनी बैठक में एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) विधेयक, 1973 से, जो लोकसभा द्वारा 6 दिसम्बर, 1973 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन से सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 12 दिसम्बर, 1973 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिसके द्वारा बालक-दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने की अवधि को राज्य सभा के 89वें सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाया गया है ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

42 वां प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं भारतीय खाद्य निगम पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 42 वा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं है । ऐसे मामले निदेश 115 के अधीन मंत्री महोदय को भेज दिये जाते है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे आपके सचिवालय ने सूचित किया है कि मैं मद 6-क के लि जाने के समय अपनी बात कह सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को वक्तव्य देने दीजिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके निदेश के अनुसार विशेषाधिकार का प्रश्न ...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं मानता ।

सीएट टायर फैक्टरी, बंबई में हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : STRIKE IN CEAT TYRE FACTORY, BOMBAY

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : उपलब्ध सूचना के अनुसार...

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख दें ।

श्री दीनन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले का निपटारा करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है ।

श्री बाल गोविद वर्मा : दिसम्बर, 3, 1973 को श्री दीनेन भट्टाचार्य ने सीट टायर फैक्ट्री, बम्बई में हुई हड़ताल की ओर ध्यान आकर्षित किया । मैंने कहा था कि मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा । महाराष्ट्र सरकार द्वारा, जो कि इस मामले में समुचित सरकार है, उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, इस एकक में नवम्बर 12, 1973 से पुर्ण हड़ताल है, जिसमें 1200 श्रमिक अन्तर्ग्रस्त हैं । हड़ताल का तात्कालिक कारण प्रबन्ध-तन्त्र द्वारा श्री भारूचा जो कि युनियन के एक पदाधिकारी हैं, के विरुद्ध प्रबंध-तंत्र द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का किया जाना था । प्रबंध-तंत्र के अनुसार श्री भारूचा अनुशासन हीनता की कार्रवाइयों के लिए उत्तरदायी थे और उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को 14 अक्तूबर, 1973 को गालियां दीं । लगभग 100 श्रमिकों को नियोजित करने वाले कम्पनी के ट्रक-टायर बिल्डिग विभाग में विगत कुछ समय से अभिकथित 'धीरे काम करो' और अनुशासनहीनता की कार्यवाहियां भी हुई थीं । नवम्बर, 12, 1973 से हुई हड़ताल से पहले श्री भारुचा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने संबंधी अपनी मांग के समर्थन में, ट्रक-टायर विभाग में श्रमिकों ने 25 अक्तूबर, 1973 को 'बैठे रहो हड़ताल' और 29 अक्तूबर, 1973 को कारखाने के सभी श्रमिकों ने सांकेतिक हड़ताल की थी । राज्य औद्योगिक संबंध-तंत्र इस मामले की जांच कर रहा है ।

मंत्री द्वारा दी गई जानकारी में कथित गलती के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER *RE* : ALLEGED INACCURACY IN THE INFORMATION GIVEN BY THE MINISTER

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : प्रक्रिया नियमों के नियम 222/223 के अन्तर्गत मैं सभा के विशेषाधिकार-भंग के मामले को उठाने हेतु अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहता हूं । तथ्य इस प्रकार हैं :

8 दिसम्बर, 1972 को आयकर अधिकारियों के दो वर्गों के वेतन-मानों और सेवा की शर्तों से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 370 का उत्तर देते हुए श्री के० आर० गणेश ने बताया था :

"माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न किए हैं। पहले उन्होंने यह पूछा था कि क्या लोक लेखा समिति ने आयकर विभाग के श्रेणी 2 के अधिकारियों के केडर को समाप्त करने की सिफारिश की थी, मुझे सूचित किया गया है कि लोक लेखा समिति ने यह सिफारिश की थी, परन्तु बाद में आयकर विभाग ने लोक लेखा समिति से इस संबंध में चर्चा की और इसे इस सिफारिश को वापिस लेने के लिये मना लिया।"

परन्तु लोक लेखा समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी और न ही उसे वापिस लेने के लिये मनाया गया क्योंकि इसका प्रश्न ही नहीं उठता। इस संबंध में, लोक लेखा-समिति ने अपने 29वें प्रतिवेदन (1967-68) में कहा था :

"समिति यह अनुभव करती है कि विभाग के कार्य के स्तर में गिरावट आने का एक कारण आयकर विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में असंतुलन है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष ने एक टिप्पणी भेजी है तथा उसे प्रतिवेदन में परिशिष्ट (परिशिष्ट 5) के रूप में दिया गया है। समिति को विश्वास है कि सरकार सुझावों की जांच करेगी और उस पर समुचित कार्रवाई करेगी"।

इस से यह स्पष्ट है कि मंत्री महोदय ने सभा को गुमराह किया है तथा अपने कथन से लोक लेखा समिति को भी लोगों की दृष्टि में गिराया है। यह विशेषाधिकार भंग का स्पष्ट मामला है। अध्यक्ष महोदय को इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपना चाहिये जिससे कि इसकी पूरी तरह जांच हो सके।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : लोक लेखा समिति ने अपने 29वें प्रतिवेदन (1967-68) में प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गए नोट पर, जिस में आयकर अधिकारी श्रेणी II सेवा को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था, विचार किया और यह इच्छा व्यक्त की कि सरकार इस सुझाव पर विचार करके समुचित कार्यवाही करें।

बोर्ड द्वारा भेजा गया अन्तरिम उत्तर लोक लेखा समिति के 76वें प्रतिवेदन (1968-69) के पृष्ठ 87 पर नोट किया हुआ है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस मामले की और आगे जांच की तथा 26 मार्च, 1970 को लोक लेखा समिति को विस्तृत उत्तर भेज दिया गया। इस विस्तृत उत्तर में आयकर अधिकारी श्रेणी II सेवा को समाप्त करने से संबंधित मामले पर कुछ टिप्पणियां की गई थीं। 8 दिसम्बर, 1972 को पूरक प्रश्नों के उत्तर में मैं केवल इसी स्थिति का उल्लेख कर रहा था। लोक लेखा समिति के 29वें प्रतिवेदन में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत नोट का उल्लेख है, जिसमें आयकर अधिकारी श्रेणी II सेवा को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। समिति चाहती थी कि सरकार इस सुझाव की जांच करे और समुचित कार्यवाही करे। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उक्त स्थिति की जांच की और 26 मार्च, 1970 को विस्तृत उत्तर भेज दिया। समिति ने आगे और कार्यवाही नहीं की।

एक सीधे प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि "मुझे यह जानकारी दी गई है कि लोक लेखा समिति ने इसकी सिफारिश की थी, परन्तु बाद में विभाग ने लोक लेखा समिति के साथ इस पर चर्चा की थी और इस स्थिति से वापस हटने के लिये लोक लखा समिति को मना लिया गया था।"

[के० आर० गणेश]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि "वापस हटने के लिये मना लिया गया था ।" शब्दावली बहुत उपयुक्त नहीं है । अब मैं इस प्रश्न को आप पर और सदन पर छोड़ता हूं कि वह इस बात का निर्णय करे कि क्या उक्त शब्दावली के प्रयोग करने से विशेषाधिकार का हनन होता है और क्या इसका अभिप्राय सदन को गुमराह करना है ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : पहले तो कोई चर्चा ही नहीं हुई और "वापस हटने के लिये मनाने" का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । पत्र तो भेजे गये, लेकिन कभी भी कोई चर्चा नहीं हुई ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि गलत शब्दावली का प्रयोग किया गया ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, it is a grave matter that he had misguided the House. There is every possibility of the House having been misguided by his statement that the Committee was persuaded to withdraw from the position. I request that this matter may be referred to the Privileges Committee.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : जहां तक मैं समझता हूँ मन्त्री महोदय 'समिति को मना लिया गया था' शब्दावली के प्रयोग से प्रसन्न नहीं हैं । हम कभी कभी सदन में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसका हमारा तात्पर्य नहीं होता । में चाहता हूं कि मंत्री महोदय गलत शब्द के प्रयोग के लिये क्षमायाचना करें । उन्हें यह भी बताना चाहिये कि उनका ऐसा इरादा नहीं था । इस प्रकार इस मामले को समाप्त किया जाय ।

श्री सेझियान (कुंबकोणम) : अगर मत्री महोदय क्षमायाचना नहीं करते, तो यह मामला लोक लेखा समिति को भेजा जाय और वह इस बारे में सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मामला इतना आसान नहीं है, जितना मंत्री महोदय इसे समझते हैं । अगर लोक लेखा समिति के समक्ष इसे एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो बहुमत से सदन में निर्णय करना कठिन हो जायेगा । अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय से बिना शर्त क्षमायाचना करने के लिये कहें । इस स्थिति में यही एक समाधान हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस फाइल के लिये काफी समय से प्रतीक्षा कर रहा था । इस विशिष्ट स्थिति में श्री ज्योतिर्मय बसु प्रस्तावक हैं और वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं ।

समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि समिति यह अनुभव करती है कि आयकर विभाग में कार्य-निष्पादन के गिरते हुए स्तर का एक कारण उक्त विभाग में कर्मचारियों क बीच असन्तुलन है ।

इसमें यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष ने एक नोट प्रस्तुत की है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

समिति विश्वास करती है कि सरकार इस सुझाव की जांच करेगी और समुचित कार्यवाही करेगी ।

इस प्रकार यह न तो सिफारिश ही है और न निवेदन ही । आगे यह भी कहा गया है कि समिति की इच्छानुसार सरकार उक्त सुझाव की समुचित जांच करेगी । और उसक

बाद "इन सिफारिशों की वितृत जांच करने का प्रस्ताव है ।" कार्यवाही तो सदैव सिफारिशों पर की जाती है । यहां सिर्फ सुझाव है, सिफारिश नहीं । मंत्री महोदय अपने उत्तर देते समय सावधान रहा करें । दोनों ही पक्षों में इस बारे में गलतफहमी है कि यह एक सिफारिश थी ।

मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि आप इसके लिये खेद व्यक्त करें और भविष्य में ऐसा न करें ।

श्री एच० एम० पटेल : अगर सिफारिश के स्थान पर 'सुझाव' शब्द का प्रयोग किया जाय तो भी यह गलत है कि समिति को सुझाव वापस लेने के लिए मना लिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : सम्बद्ध विभागों के बीच चर्चा हुई—लोक सभा सचिवालय, सम्बद्ध सचिवों, लेखा परीक्षा और अध्यक्ष आदि—जैसा कि सभी समितियों में होता है । लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि बाहर की किसी एजेंसी ने उक्त समिति को मना लिया था ।

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि आपने स्वयं कहा है "सुझाव" और "सिफारिश" के बारे में गलतफहमी है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड लोक लेखा समिति क साथ पत्र-व्यहार करता रहा है । पहले अन्तरिम उत्तर भेजा गया और बाद में अन्तिम उत्तर भेजा गया ।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थिति गलत शब्द "समिति को मना लिया गया था" कहने के कारण उत्पन्न हुई है । अत: आप गलत शब्द के प्रयोग के लिये खेद प्रकट कर दीजिए ।

श्री के० आर० गणेश : मैं यह पहले ही कह चुका हूं । मैं अब भी यह कह रहा हूं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आखिरकार सब आदमी हैं और किसी से भी गलती हो सकती है ।

श्री के० आर० गणेश : अगर आप और सदन दोनों ही चाहते ह कि उन शब्दों के प्रयोग के लिये मैं खेद प्रकट करूं, तो अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग के लिये मुझे खेद प्रकट करने में कोई भी झिझक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समिति को अपने अभिमत भेज रहा हूं । अगर भविष्य में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो मंत्री महोदय मुझे लिख सकते हैं । मैं उसे आगे प्रेषित कर दूंगा ।

मैंने फाइल का अच्छी तरह अध्ययन किया है । उससे भी पता चलता है कि किसी ने अच्छी तरह से इस बारे में विचार नहीं किया । सुझाव भेजा गया था परन्तु 'की गई कार्यवाही' में इसे सिफारिश कहा गया है । मैं इस बारे में समिति को लिखने जा रहा हूं कि मंत्रालय या सरकार क्या करें जबकि "की गई कार्यवाही प्रतिवेदन" में इसे सिफारिश कहा जाये ।

श्री के० आर० गणेश : मैं इस बारे में आपको लिखूंगा ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

रेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना और अनेक रेल गाड़ियां रद्द किया जाना

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) : Under Rule 377, I would like to draw the attention of the House and of the Government to the fact that more than 200 trains have been cancelled and nearly ninety per cent of the trains are running late.

[Shri Shanker Dayal Singh]

The following statement would show the trains, which have arrived at New Delhi and Delhi in time and late:

Month	Trains arrived in time	Trains arrived late
New Delhi Station		
August, '73	579	827
Sept., '73	990	684
Oct., '73	1,091	668
Old Delhi Station		
August, '73	668	1,115
Sept. '73	1,059	1,297
Oct., '73	1,127	1,255

There is no Railway station in the country where hundreds of passengers have not to wait for eight to ten hours to catch trains.

A committee should be appointed to see that the trains run according to the schedule and efficiently. The honourable Minister should explain as to how long such a situation would prevail in Railways. (*Interruptions*) I would urge the Railway Minister to give a statement regarding indiscipline, corruption and carelessness in Railway administration.

Shri Buta Singh (Rupar): Seven millions of people daily travel on Railway trains. The trains are generally late by five to seven hours.

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है । मैं उनसे इस बारे में वक्तव्य देने के लिये कहूंगा ।

एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड की सम्पत्तियों की नीलामी

Shri Madhu Limaye (Banka) : The Secretary-General had just now referred to the message regarding Alcock Ashdown. Yesterday, I had received a trunk call that the Alcock Ashdown Company Limited (Acquisition of Undertaking) Bill which was passed by the House, had been nullified as the Court Receiver of Bombay had auctioned all the property of the Company. The Government sent their representative and the matter was placed before the division bench also, but the Court said that there was no such law and the Government had no *locus standi*. It was because of all this that we had said that the acquisition of the undertaking should have been done by issuing an ordinance before the session. Now, the Government should come forward with a new Bill today itself which should have some provision to get back the property which has been auctioned.

The Minister has gone out.

अध्यक्ष महोदय : यह नोटिस मुझे कल भेजा गया था । आज फिर यह भेजा गया । मंत्री महोदय को यह नोटिस काफी विलम्ब से भेजा गया । आखिरकार उन्हें भी तो कुछ समय दिया जाना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : The honourable Minister should be asked to make a statement. That is my only demand.

संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (THIRTY-SECOND AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 60 सदस्य हों, इस सभा से 40, अर्थात् :—

(1) डा० हेनरी आस्टिन
(2) श्री एच० के० एल० भगत
(3) श्री सोमनाथ चटर्जी
(4) श्री मूल चन्द डागा
(5) श्री मधु दण्डवते
(6) श्री दरबारा सिंह
(7) श्री के० जी० देशमुख
(8) श्री पी० गंगादेव
(9) श्री एच० आर० गोखले
(10) श्री एम० एम० हाशिम
(11) श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
(12) श्री भोगेन्द्र झा
(13) श्री पोपट लाल एम० जोशी
(14) श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे
(15) श्री जुल्फिकार अली खां
(16) श्री सी० एच० मोहम्मद कोया
(17) श्री के० लकप्पा
(18) श्री निहार लास्कर
(19) श्री वी० पी० मौर्य
(20) श्री पी० जी० मावलंकर
(21) श्री नाथूराम मिर्धा
(22) श्री जी० एस० मिश्र
(23) श्री श्यामनन्दन मिश्र
(24) श्री पीलु मोदी
(25) श्री एफ० एच० मोहसिन
(26) श्री समर मुखर्जी

[श्री उमा शंकर दिक्षित]

(27) श्री पाओकाई हाओकिप
(28) श्री धन शाह प्रधान
(29) श्रीमती माया राय
(30) मौलाना इसहाक सम्भली
(31) श्री पी० एम० सईद
(32) डा० शंकर दयाल शर्मा
(33) श्री नवल किशोर सिंह
(34) श्री एस० एस० तिवारी
(35) श्री तुला राम
(36) श्री तुलमोहन राम
(37) श्री अटल बिहारी बाजपेयी
(38) श्री पी० वेंकटासुब्बया
(39) श्री जी० विश्वनाथन
(40) श्री चन्द्रजीत यादव

और राज्य सभा से 20;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में, संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 20 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha than adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

श्री उमा शंकर दीक्षित : महोदय ! संविधान (32वां संशोधन) विधेयक मत मई मास में इस सभा में पुरःस्थापित किया गया था । सभा को याद होगा कि दल बदलने की घटनाओं में वृद्धि के बारे में विपक्षी दलों द्वारा सभा में आवाज उठाई गई थी ।

दलबदल को समाप्त करने के लिये प्रभावकारी सवैधनिक व्यवस्था किये जाने की एकमत से मांग की गई है किन्तु इस विषय में किये जाने वाले उपायों के स्वरूप पर मतभेद हैं। सरकार इस मतभेद को दूर करने के लिये प्रयत्नशील है। दलबदल की परिभाषा पर मतभेद है। क्या विचारधारा में परिवर्तन के कारण दल को छोड़ने वाले व्यक्ति को दलबदलू कहा जा सकता है ? इस प्रश्न पर सरकार सभी माननीय सदस्यों के विचार जानना चाहेगी ।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उस स्थिति में जब बहुमत से विधायक एकसाथ किसी दल से त्यागपत्र देना चाहे तो तब क्या उस स्थिति को दल विभाजन माना जाए तथा उन विधायकों पर वह प्रस्तावित कार्यवाही नहीं की जाए जो दलबदलने पर की जा सके ? इन समस्याओं को सुलझाने के लिये सरकार सम्मत सिद्धांतों के आधार पर कानून बनाना चाहती है तथा इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपना चाहती है ।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि दलबदल संबंधी समिति की सभी सिफारिशों को क्यों स्वीकार नहीं किया गया । इस समिति की जिन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया उनमें से मुख्य सिफारिशों दल बदलने वालों को लाभ के पदों पर नियुक्त किये जाने के अयोग्य ठहराने आदि से संबंधित हैं। पुर:स्थापित किये गये इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि दल बदलने के पश्चात् विधायक को विधान मंडल से अपनी सीट छोड़नी होगी तथा पुन: चुनाव लड़ना होगा । इस प्रकार लाभ के पदों पर रहने या मंत्रिपरिषद में रहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

यह एक जटिल समस्या है तथा इस संबंध में अन्तिम निर्णय करना उतना सरल कार्य नहीं है । हमारा यह प्रयत्न है तथा रहेगा कि इस संबंध में कोई कानून बनाने से पूर्व जनता तथा संसद् से अधिकाधिक समर्थन प्राप्त किया जाय । आशा है संयुक्त समिति विधेयक को ऐसा स्वरूप देगी जिससे सभी माननीय सदस्य संतुष्ट हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की घोषणा करने से पूर्व मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट कर दें कि अनुछेद 103 में 'राजनीतिक दल' शब्द का उल्लेख कहां है क्योंकि इस विधेयक के पृष्ठ 2 पर इस संबंध में उल्लेख किया गया है । क्या यह छपाई सम्बन्धी भल है ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : महोदय ! इस विधेयक में निहित सभी उपबंधों पर सभा में चर्चा की जायेगी। मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा करने की अनुमति दी जाय तथा बाद में इस संबंध में विचार किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर चर्चा रोकने का कोई प्रश्न नहीं है । इसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाये रहा है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 60 सदस्य हों, इस सभा से 40, अर्थात् :—

(1) डा० हेनरी आस्टिन
(2) श्री एच० के० एल० भगत
(3) श्री सोमनाथ चटर्जी
(4) श्री मूल चन्द डागा

[उपाध्यक्ष महोदय]

(5) श्री मधु दण्डवते
(6) श्री दरबारा सिंह
(7) श्री के० जी० देशमुख
(8) श्री पी० गंगादेव
(9) श्री एच० आर० गोखले
(10) श्री एम० एम० हाशिम
(11) श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
(12) श्री भोगेंद्र झा
(13) श्री पोपट लाल एम० जोशी
(14) श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे
(15) श्री जुल्फिकार अली खां
(16) श्री सी० एच० मोहम्मद कोया
(17) श्री के० लकप्पा
(18) श्री निहार लास्कर
(19) श्री वी० पी० मौर्य
(20) श्री पी० जी० मावलंकर
(21) श्री नाथूराम मिर्धा
(22) श्री जी० एस० मिश्र
(23) श्री श्यामनन्दन मिश्र
(24) श्री पीलू मोदी
(25) श्री एफ० एच० मोहसिन
(26) श्री समर मुखर्जी
(27) श्री पाओकाई हाओकिप
(28) श्री धन शाह प्रधान
(29) श्रीमती माया राय
(30) मौलाना इसहाक सम्भली
(31) श्री पी० एम० सईद
(32) डा० शंकर दयाल शर्मा
(33) श्री नवल किशोर सिंह
(34) श्री एस० एस० तिवारी
(35) श्री तुला राम
(36) श्री तुलमोहन राम
(37) श्री अटल बिहारी बाजपेयी
(38) श्री पी० वेंकटासुब्बया

(39) श्री जी० विश्वानाथन

(40) श्री चन्द्रजीत यादव

और राज्य सभा से 20;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 20 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : दल बदलने की समस्या बहुत गम्भीर है तथा इसे दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावकारी विधेयक लाया जाना चाहिये। वास्तविकता यह है कि स्वयं कानून बनाने वाली पार्टी ही दल बदलने के लिए प्रोत्साहन दती है।

इस विधेयक को लाने में भी बहुत विलम्ब किया गया है तथा सरकार को इसका भी औचित्य बताना चाहिये था। वास्तव में दल बदल किसी उपलब्धि के लिये किया जाता है। विशेषकर 1967 के पश्चात् जब कांग्रेस का सत्ता पर सर्वाधिकार डगमगान लगा तो दलबदल के क्षेत्र में बाढ़ सी आ गई। मेरे विचार से कम्युनिस्ट पार्टी तथा जनसंघ ही दलबदल की बीमारी से बचे रहे क्योंकि इनकी विचारधारा मौलिक है। अतः इस बीमारी का अच्छा इलाज यह है कि लोक कार्यों में विचारधारा और सिद्धांतों का अनुसरण किया जाय।

दलबदल के बारें में सर्वदलीय समिति ने 1970 में रिपोर्ट दी थी। जिसमें मुख्यरूप से यह सिफारिश की गई थी की दल बदलने वाले विधायकों से मंत्री बनाने का हक छीन लिया जाए। मंत्री महोदय ने बताया है कि इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे विधायकों को सदस्यता से ही वंचित कर दिया जाएगा। किन्तु मेरे विचार से सर्वदलीय समिति की सिफारिश के मूल आशय को रद्द कर दिया गया है।

अनेक व्यक्तियों को इस बात की सम्भावना है, जो उचित है, कि दल बदलने से निकट भविष्य में कांग्रेस पार्टी को अधिक हानि होगी।

देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक में दलबदल के विरुद्ध व्यापक कानूनी व्यवस्था की गई है। किन्तु वास्तविकता यह है कि इस विधेयक में कुछ त्रुटियां रखी गई हैं। जब किसी पार्टी से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिये जायेंगे तो उसे दलबदल नहीं माना जाएगा तथा उन विधायकों पर इस विधेयक में निहित कानून लागू नहीं होंगे। किसी सरकार को गिराने के लिये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की जाती है तथा हमारे राजनीतिक जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

मुझे जानकारी मिली है कि चौथे आम चुनाव के पश्चात् लगभग 200 दलबदलुओं को मंत्री पद दिये गए हैं तथा लगभग 15 को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस विधेयक में दलबदल करने वालों को मंत्री न बनाये जाने और लाभ के पदों पर नियुक्त न किये जाने की शर्त नहीं लगाई

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

गई, यद्यपि सर्वदलीय समिति ने बहुमत से इसकी सिफारिश की थी। उड़ीसा में घटी अप्रिय घटना को इतनी शीघ्र भुलाया नहीं जा सकता। श्रीमती नन्दिनी सत्पती तभी सरकार बना सकता थी की जब उत्कल कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के सदस्य कांग्रेस में सम्मिलित हो गये। जैसे ही उन्होंने कांग्रस का साथ छोड़ा, उनकी सरकार विफल हो गई। कांग्रेस को छोड़ कर विधायकों ने नया दल बना लिया। वह भी एक दल बदल ही था किन्तु इस विधेयक के अन्तर्गत ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया जा सका। अतः इस रूप में कानून के होत हुए भी भविष्य में एसी अप्रिय घटनाओं को नहीं रोका जा सकता।

तमिलनाडु में भिन्न स्थिति है। वहाँ डी० एम० के० की सरकार है किन्तु अब वहाँ अन्ना डी० एम० के० नामक एक नई पार्टी बन गई है। डी० एम० के० पार्टी के 2 या 3 संसद सदस्य हैं। तथा तमिलनाडु विधान सभा में भी उनकी संख्या कम है। इस स्थिति में डी० एम० के० इस विधेयक का कोई उपयोग नहीं कर सकती।

विधेयक के अनुसार पार्टी के आदेश का उल्लंघन करने वाले को पार्टी की सदस्यता से वंचित किया जाएगा। कुछ ऐसे जागरूक विधायक हो सकते हैं जिनका विवेक उन्हे किसी बात पर विरोध करने को विवश करता हो। ऐसी स्थिति में उनको पार्टी से अलग कर दिया जाएगा।

इस विधेयक में निर्दलीय सदस्यों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। निर्दलीय सदस्यों में भी अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं। निर्दलीय सदस्य कभी सरकार का समर्थन करते हैं तो कभी विपक्षी दलों का। संसद के मामले में राष्ट्रपति तथा राज्य विधान सभाओं के मामले में राज्य-पालों को यह अधिकार दिया गया है कि संकटग्रस्त पार्टी यदि मांग करे तो वे कार्यवाही कर सकते हैं। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि ऐसी पार्टियां दलबदलुओं को खरीद लेती हैं।

इस दूषित कार्य को समूल नष्ट किया जाना चाहिये किन्तु इस विधेयक में निहित उपाय पर्याप्त नहीं है। दलबदल के बारे में सर्वदलीय समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि मंत्रालयों की संख्या सीमित होनी चाहिये तथा मंत्रीपरिषदों में मंत्रियों की संख्या विधान मण्डलों के सदस्यों की संख्या के अनुपात में होनी चाहिये। गत मार्च में मेरे दल के एक सदस्य ने दूसरे सदन में इस बात की मांग की थी की जिसका सभी ओर से समर्थन किया गया था। किन्तु सरकार ने यह आश्वासन दिया कि इस बारे में एक व्यापक विधान लाया जाएगा। किन्तु सरकार ने उस वचन का पालन नहीं किया। सत्तारुढ़ दल असंतुष्ट राजनितिक दलबदलुओं को संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमण्डल में मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर उनको उसमें सम्मिलित कर लेता है। मेरा सुझाव है कि सदस्यों को वापस बुलाए जाने की व्यवस्था कहीं न कहीं अवश्य की जानी चाहिये, चाहे वह संविधान ने अन्तर्गत हो अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत।

इसके अतिरिक्त क्या इस विधेयक में निहित उपबन्ध न्यायिक जांच-पड़ताल में खरे उत्तर सकते हैं। एसोसिएशन के अधिकार के मामले में न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। किसी पार्टी द्वारा किसी सदस्य को दलबदलू करार देकर पार्टी से निराले हो जाने पर वह सदस्य न्यायालय में जा सकता है तथा इस प्रकार अनावश्यक मुकदमेबाजी आरम्भ हो सकती है।

मैं जानता हूँ कि सभी दलबदलुओं पर इस विधेयक के उपबन्धों को लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी यह प्रयत्न अवश्य किया जाना चाहिये कि ऐसे अधिकाधिक व्यक्तियों पर यह कानन लागू हो सके। आशा है संयुक्त समिति इन सभी समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करेगी तथा ऐसे उपाय खोज निकालेगी जिनसे यह निंदनीय मनोवृत्ति दूर की जा सके।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : This measure has already been delayed. Now, it is going to be referred to the Joint Select Committee. The Committee would submit its Report by the first week of the next session. It shows that Government wants to hold election in U.P. and Orissa during this period. Democracy cannot exist without adopting certain healthy principles and conventions. The cases of defection were recorded in the past also. But now the dimension of this disease has widened. Members leave their parties very often only to seek material gain and not on the basis of ideological differences.

In the name of progressive ideology, they divided the Congress party in 1970 but we have not seen any radical changes so far. Prime Minister has admitted that "we have not moved even a m.m."

If Government is really interested in eradicating this disease, they should have referred this Bill to the Select Committee much earlier.

It has been provided in this Bill that Prime Minister would be elected from the Lok Sabha and Chief Minister would be elected from the respective Assemblies. If it was the firm intention of the Government to do so, what were the reasons for appointing Chief Minister in Bihar from the Legislative Council? Similarly, Shri Rajgopalachari, who was Governor-General, was appointed Chief Minister of Madras in 1952 to exercise a check on the Communists. These things prove that Government's intention is *mala fide*. They have no faith in democratic norms.

Besides, what is the justification for appointing Shri Bahuguna as Chief Minister in U.P. when elections are going to be held in the next two months?

According to the newspaper report, the Chief Minister of Madhya Pradesh is reported to have utilised a helicopter for reaching a place where by-election was to be held. In view of the present petrol crisis, how this action can be justified. We are interested in exercising economy in the elections, but they have been misusing the limited resources of the Country.

Now we are about to start implementation of our Fifth Five Year Plan. When people know what our achievements have been, what was the need of going there by a helicopter for misleading them?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसका विधेयक के साथ क्या संबंध है।

Shri Jagannathrao Joshi : If the Government is honest, only then the real purpose behind the Bill would be achieved.

हमें लोकतांत्रिक ढांचे के अन्तर्गत मानको को स्थापित करने के लिए ही लाया गया है। यदि सरकार ही उनका उल्लंघन करती है, तो क्या किया जाये।

'दलबदलु' की परिभाषा कैसे की जा सकती है? स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम इस संबंध में कुछ भी नहीं कर पाये हैं। मंत्री महोदय स्वयं इस की परिभाषा नहीं कर पा रहे है। मैं ने स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए यह बात कही है।

श्री उमा शंकर दीक्षित : मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह संयुक्त समिति के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाये। यदि वह मुख्यमंत्री, हेलीकाप्टर आदि के बारे में कहते हैं, तो इस से समिति का क्या मार्गदर्शन होगा? माननीय सदस्य को सरकार के विरुद्ध बोलने के लिये अनेक अवसर मिलेंगे।

श्री जनन्नाथ राव जोशी : मैं तो केवल इसका एक उदाहरण ही दे रहा हूँ कि सरकार किस ढंग से सोचती है।

[श्री जगन्नाथराव जोशी]

This Bill was brought on 16th May. It could have been sent to the Select Committee then. I want to know the reason for waiting for so long. No action was taken by the Government on the report of the Committee which was constituted after defections in 1967. Now this Bill would be sent to the Select Committee. It would require so much time because the Committee would have to deliberate before submitting its report. Democracy can function not only by enacting laws, but on healthy conventions also..

It is not the role of the opposition to oppose the Government on each and every issue.

It is proposed that Prime Minister would be elected from amongst the members of the Lok Sabha and the Chief Ministers from amongst the members of the Legislative Assemblies of the states. Why the Government have made so much delay in bringing this Bill here? It should have been brought earlier.

श्री दिनेश चंद्र गोस्वामी (गौहाटी) : इस विधेयक पर बोलने से पूर्व मैं इस तथ्य के बारे में कही गयी बात का उल्लख करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 103 में 'राजनितिक दल' शब्द नहीं ह। इस विधेयक द्वारा उसी अनुच्छेद में संशोधन किया जाना है और अब संशोधित अनच्छेद में 'राजनीतिक दल' शब्द रख दिय गये हैं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्यों कि दल बदलने से गत अनेक वर्षों से हमारे लोकतंत्र का ही विनाश हो रहा है। आंकड़े एकत्र करने वाले कुछ विशेषज्ञों ने इस बात का उल्लेख किया है कि 1967-72 के बीच इस देश में 40 सरकारों को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। 2417 विधायकों ने दल बदले। कुछ मामलों में तो एक विधायक ने चार या पांच बार दल बदला। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता। इस संबंध में कुछ गम्भीर प्रयास अवश्य किया जाना चाहिये। इस लिए मैं इस संविधान (संशोधन) विधयक का समर्थन करता हू।

किन्तु इस विधेयक के प्रति मेरी एक गम्भीर आपत्ति यह है कि यह "निर्दलीय" उम्मीदवारों पर लागू नहीं होता। 'निर्दलीय' सदस्यों को भी किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की अनमति नहीं होनी चाहिये। संवैधानिक उपबन्ध के अनसार "यदि राजनीतिक दल का कोई सदस्य चुनाव में जीतने के पश्चात् दल की सदस्यता त्याग देता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।" किन्तु यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जायेगा। इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिये।

'फूट पड़ जाना' शब्द की परिभाषा नहीं की गयी है। विधेयक में इस विषय में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। ऐतिहासिक अथवा सैद्धान्तिक स्थिति के कारण फूट पड़ सकती है। किन्तु हमें यह मालम नहीं है जब फूट के नाम पर कूछ विधायकों ने केवल सरकार को गिराने हेतु षड़यंत्र करने के लिये ग्रुप बना लिया है। यदि दल से अलग हो जाने के नाम से ही ऐसी स्थिति बनी रही, तो इस विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः, इस संबंध में कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये।

इस विधयक में दो परस्पर विरोधी उपबन्ध किये गये हैं। खण्ड 4 के अनुसार दल में यदि किसी व्यक्ति के सैधान्तिक मतभद ह, तो भी वह दल के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकता। किन्तु, खण्ड 4(3) के अन्तर्गत यदि कोई विधायक ग्रप के साथ मिलकर दल से अलग हो जाता है, तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। मंत्री महोदय को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिय।

एक अन्य आपत्ति यह भी है कि दल छोड़ कर सदस्यता नहीं रहेगी किन्तु मत्री पद पर बने रहने के लिये अयोग्य नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति बिना सदस्य बने छः महीने तक मंत्री

बना रह सकता है। इसके साथ-साथ यदि कोई व्यक्ति अपना दल छोड़ देता है तो वह अपने आप सदस्य बने रहने के अयोग्य नहीं हो जाता है, अपितु उस के मूल दल को राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को इस बारे में लिखना होगा। यदि ऐसा न किया जाये तो सदस्य के विरुद्ध राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकते। अतः इस मामले में भी सदस्य को उसी प्रकार अयोग्य घोषित किया जाये जसे लाभ का पद ग्रहण करने पर उसे अयोग्य ठहरा दिया जाता है।

अन्त में, मुझे यह नहीं मालूम है कि क्या अंग्रेजी के शब्द 'एबस्टेशन' (मतदान न करना) और 'इन एबसेंस (अनुपस्थिति में) के शब्द कोष में अलग अलग अर्थ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस का अर्थ स्पष्ट है। जब आप उपस्थित हैं तो आप ने 'एबस्टेन' किया है। यदि आप उपस्थित नहीं है तो 'एबस्टेशन' का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसका प्रश्न केवल तभी उठता है जब आप सभा के अन्दर हों। चाहे आप मतदान करें अथवा मतदान न करे।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : किन्तु वास्तविक अर्थ क्या है, मैं नहीं जानता। यह भी नहीं बताया गया है कि यदि उचित कारण से कोई सदस्य मतदान नहीं कर पाता है, तो कानून के उपबन्धों के अनुसार वह अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इसपर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करेगी और देश के राजनीतिक वातावरण में व्याप्त इस बुराई को दूर कर दिया जायेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा चाहे इसके उपबंध कुछ ही क्यों न हों दलबदल को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि यह एक राजनीतिक मामला है। जब तक इस प्रकार की सरकार विद्यमान है, एक दल से दूसरे दल में जाने की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। क्या सरकार यह बता सकती है कि इस विधेयक को लाने में विलम्ब क्यों किया गया है? दल बदलन का कार्य तो काफी समय से होता आ रहा है। इस संशोधी विधेयक में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक प्रधानमंत्री अथवा मुख्य मंत्री नहीं बन सकता जब तक वह क्रमशः लोक सभा या राज्य विधान सभा का सदस्य न हो। मंत्रियों की संख्या भी किसी भी स्थिति में सभा के कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक हो जायेगी और दल बदलने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, शब्द 'स्पलिट' अथवा दल से ग्रुप के अलग होने को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये। यदि दल के कम से कम एक चौथाई सदस्य अलग हो जाय तो इसें 'स्पलिट' माना जाना चाहिये और उन सदस्यों को दल बनाने के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिये। अतः, 'स्पलिट' शब्द की परिभाषा आवश्यक है। संविधान में 'राजनीतिक दल' भी परिभाषित किया जाना चाहिये। एक राजनीतिक दल के अनिवार्य रूप से अपने राजनीतिक कार्यक्रम और सिद्धान्त होने चाहिये।

इस विधेयक में यह बताया गया है कि जिस बात के बारे में कोई विवाद हो उसके बारे में राष्ट्रपति अपना निर्णय देंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस के बीच नहीं लाया जाना चाहिय। उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को विवाद के मामले में निर्णय देने का अधिकार होना चाहिये। इस आशय के उपबंध रखे गये हैं कि किसे अयोग्य घोषित किया जायेगा। यह उपबन्ध किया गया है कि यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जायेगा,। किन्तु, यदि कोई निर्दलीय सदस्य भी ऐसा करता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये।

[श्री दिनेन भट्टाचार्य]

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को भूतलक्ष्मी प्रयास से लागू क्यों नहीं किया गया। उडीसा' उत्तर प्रदेश या बिहार में दल बदलने वालों को आप न अयोग्य क्यों नहीं घोषित किया? उन्हें अयोग्य ठहराने की बजाय व उन्हें मुख्य मंत्रियों अथवा मंत्रियों के रूप में पदोन्नति द रहे ह। इससे मालूम होता है कि वें इस बारे में गम्भीर नहीं हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजपुर) : सरकार ने दल बदलने वालों को भूतलक्षी प्रभाव से 8.33 प्रतिशत का बोनस दिया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाये। इससे मेरा अभिप्राय यह है कि राजनितिक दल सदस्यों की एक सूची देंगे और मतदाता सूची के नामों के अनुसार राजनीतिक दलों को मत देंगे। इस प्रकार मतदाता कार्यक्रम के आधार पर मतदान करेंगे और तब अनुभूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान आरक्षित रखने का प्रश्न ही नहीं होगा, क्योंकि उसी सूची में एक निश्चित संख्या इन जातियों एवं जनजातियों के लिये भी रखी जायेगी। चूंकि किसी सदस्य को सूची और विशेष कार्यक्रम के आधार पर चुना जायेगा, इसलिए उस के द्वारा दल बदलने की स्थिति में उसकी सदस्यता एवं उस दल की सदस्यता, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है अपने आप ही समाप्त हो जायेगी। तब तक कोई भी मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिये, जब तक वह मतदाताओं द्वारा चुना नहीं जाता है। यदि आप इन वल बदल को रोकना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए ईमानदार होना पड़ेगा। तभी इस देश में वास्तविक लोकतंत्र और समाजवाद आयेगा।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहरोईच) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, हालांकि यह विलम्ब से लाया गया है। इस विधेयक से सबसे अधिक चिन्तित निर्दलीय सदस्य हैं। यह सोचा गया था कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो गई हैं और यहां स्वस्थ्य लोकतांत्रिक परम्पराएं बनेंगी किन्तु दल–बदल की प्रवृत्ति से स्वस्थ परम्परा नहीं बनी। आचार्य नरेन्द्र देव ने 1948 में कांग्रेस के साथ मतभेद होने पर उत्तर प्रदेश की विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। वह उसके लिए पुनः चुनाव लड़ना चाहते थे। यह देश का दुर्भाग्य रहा कि वह निर्वाचन में सफल न हो सके। यह स्वस्थ परम्परा थी। आज सदस्य अन्य दलों द्वारा खरीद लिए जाते हैं और वे दल-बदल जाते है। यह परम्परा लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसके लिए विरोधी दल भी वैयक्तिक और सामूहिक रूप से बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। सदस्य प्रायः अपने दल की नीतियों और आदेशों की अवहेलना करते हैं।

ब्रिटेन में यह एक स्वस्थ परम्परा है कि वहां का प्रधान मंत्री हाउस आफ कामन्स का सदस्य होता है। भारत में भी अभी तक यही परम्परा रही है कि यहां का प्रधान मंत्री लोक सभा का सदस्य रहा है। किन्तु दल–बदलूओ ने देश के राजनीतिक और संसदीय जीवन पर एक धब्बा लगा दिया है। राजनितिक शब्दकोष में "आया राम और गया राम" का नवा शब्द जुड़ गया है। दल–बद लु वास्तव में दोषी हैं। वे अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने मतदाताओं को धोखा देते हैं और अपने दल को धोखा देते हैं। अभी तक हमारे देश में ऐसे लोगों को अनर्ह घोषित नहीं किया जाता। इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति अपने दल की इच्छा के विरुद्ध अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जा मिलेगा, वह स्वयं ही अनर्ह हो जायेगा। इस विधेयक में एक कमी यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे नये दल से सम्मिलित होता है, जो उस व्यक्ति द्वारा दल बदले जाने के बाद अस्तित्व में आया हो, तो उसकी अर्हता बनी रहेगी। यहां मेरा सुझाव है कि नया दल संविधान (संशोधन) विधेयक के उपबन्धों के अनुसार एक अलग दल होना चाहिए जिसमें मूल दल के कम से कम 35 प्रतिशत सदस्य हों। इस व्यवस्था से वैयक्तिक और सामूहिक आधार पर दल–बदल को रोका जा सकता है। जहां तक निर्दलीय सदस्यों का संबंध है, वे अपने

प्रति स्वयं उत्तरदायी हैं। किन्तु किसी भी संगठित राजनीतिक दल का सदस्य यदि अपना दल बदल लेता है तो वह तत्काल अनर्ह हो जाना चाहिए। चाहे उसका मुलतः संबंध दल मामले को उठाये या न उठाये। यह एक अच्छा विधेयक है और मैं एक बार फिर इसका स्वागत और समर्थन करता हूं।

*श्री ई० आर० कृष्णन (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (32वां संशोधन) विधेयक 1973 के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं खंड 6 के उन उपबन्धों का स्वागत करता हूं जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि प्रधान मंत्री लोक सभा का और मुख्य मंत्री राज्य की विधान सभा का सदस्य होगा। इस विधेयक का खंड 4 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा एक नयी व्यवस्था की जा रही है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति उस दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है जिसके उम्मीदवार के रुप में वह चुनाव में जीतकर आया है या जो अपने राजनीतिक दल के निदेशों के विरुद्ध सभा में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहने के लिए अनर्ह समझा जायेगा। मैं इस व्यवस्था का समर्थन करता हूं, हालांकि इसमें कुछ कमियां है। खंड 4 में दल के 'विघटन' या 'विभाजन' की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है और इसकी व्याख्या दल-बदलु अपने पक्ष में करेगा। यदि दो राजनीतिक दलों का परस्पर विलय होता है तो क्या स्थिति होगी और यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनितिक दल में शामिल हो जाता है तो क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि मतदाताओं ने सभी राजनीतिक दलों का विरोध कर के उसे चूना है। इस प्रकार निर्दलीय सदस्य भी किसी दल में मिलकर अपने मतदाताओं को धोखा देता है। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति इन बातों पर गम्भीरता से विचार करेगी।

दल बदलने का खेल हमारे देश में पिछले कई वर्षों से खेला जा रहा है। 1966 से 1972 के बीच दल–बदलने के कारण 40 सरकारों का पतन हुआ और 2470 विधायकों ने अपने दल बदले। इसका सबसे अधिक लाभ शासक दल ने ही उठाया। इस विधेयक के पारित हो जाने पर लोकतंत्र की जड़ें और अधिक गहरी होंगी। लोकतंत्र की सफलता के लिए शक्तिशाली विरोधी पक्षका होना कितना अनिवार्य है, इस पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। अतः शासक दल को ऐसे कार्य नहीं करने चाहियें जिससे विरोधी दल अस्तित्व में ही न रहे या कमजोर हो जायें। दल बदलने का हथियार भी शासक दल ने अपने को सत्ता में बनाये रखने के लिए अपनाया। यदि कोई दल सत्ता में रहना चाहता है तो उसे जनता की इच्छाओं और आकाक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए यदि जनता किसी दल के कार्यों से संतुष्ट है तो उसे सत्ता से कौन उखाड़ सकता है? उड़ीसा विधानसभा का निलम्बन शासक दल का बहुमत होते हुए भी कर दिया गया था, क्योंकि वहां गैर कांग्रेसी सरकार थी। ऐसे और भी उदाहरण हैं। ऐसा करके कांग्रेस शासक दल ने अपना हित साधन किया। अतः केन्द्रीय सरकार की अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उन शक्तियों पर भी रोक लगनी चाहिए, जिससे वह अपने हित साधन के लिए विधान सभाओं को भंग न कर सके। अन्त में, मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति, जिसे यह विधेयक सौंपा जा रहा है, इसके दोषों को दूर करेगी जिससे दल-बदल पर पूर्णतः रोक लग जाये। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारे देश में लोकतंत्र की परम्परा सदृढ़ हो।

श्री विक्रम महाजन (कांगडा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक स्वागत योग्य है क्योंकि इसमें लोकतंत्र में एक स्वस्थ परम्परा डालने की व्यवस्था की गई है। दलबदलुओं ने हमारे देश में लोकतंत्र को पिछले कुछ समय से मजाक बना रखा है।

---

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री विक्रम महाजन]

इस विधेयक में कुछ त्रुटियां हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दल छोड़कर जाने वालों के लिए इसमें दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। एक राजनीतिक दल से यदि कुछ सदस्य उप-दल के रूप में बाहर चले जाते हैं तो वे मंत्री आदि के पदों का लाभ उठा सकते हैं। उन पर बने रह सकते हैं। मेरे विचार से ऐसे लोगों को उसी संसद या विधान सभा में मंत्री आदि बनने का हक नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग अनर्ह नहीं समझे जायेंगे। इस आशय की व्यवस्था विधेयक में की जानी चाहिए। जहां तक निर्दलीय सदस्यों का संबंध है, मेरा यह सुझाव है कि वे निर्दलीय चुने जाने के बाद उस अवधि के लिए किसी भी दल में न मिले और इन्हें मंत्री आदि के पद न दिये जाये। हां, उन्हें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि कोई निर्दलीय किसी दल में उसी अवधि में मिलता है, तो उस पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाया जाये जिससे वह संसद् या विधान सभा का सदस्य न हो सके।

इसमें केवल राष्ट्रपति को यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया है कि क्या दल बदलने वाले ने अपने दल की आज्ञा का उल्लंघन किया है अथवा नहीं। मेरा निवेदन यह है कि इसके लिए एक समिति होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और एक-दो सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। इस मामले में न्यायालय को बीच में नहीं लाना चाहिए। ऐसी समिति ही न्यायालय का काम करे। एक और सझाव है कि एक स्थिति में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से दल बदलता है और दूसरी स्थिति में यह हो सकता है कि उसे दल छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया जाये या दल से निकाल दिया जाये। दोनों स्थितियों में अन्तर किया जाना चाहिए।

यह एक सामयिक विधेयक है। यह बात और है कि यह देर से लाया गया है। इसके लिए गृह मंत्रालय बधाई का पात्र है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसमें संसदीय संस्थाओं के प्रति निरादर का भाव है। संसदीय संस्थाएं इस सिद्धान्त पर आधारीत होती है कि संसद सदस्य और विधायक ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति होते हैं। वे अपने कार्यों के आधार पर निर्वाचित होते है। क्या किसी व्यक्ति के कार्यों और दष्कार्यों पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है? इस विधेयक से जो कार्य आप रोकना चाहते हैं वह न रुक सकेगा। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि व्यक्ति दल की नीतियों, कार्यक्रमों और दर्शन के आधार पर निर्वाचित होते हैं। हमारे देश में लोग अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर निर्वाचित होते हैं। कई मामलों में निर्वाचित उम्मीदवार को कम मत मिलते है और उन उम्मीदवारों को कुल मिलाकर अधिक जो निर्वाचन में हार जाते हैं लगभग 80 प्रतिशत मामलों में मतदान व्यक्ति-विशेष के गुणों के आधार पर उसे चुनते हैं, दल के कार्यक्रमों और नीतियों के आधार पर नहीं। उदाहरण के लिए 1969 में विधान सभा के चुनाव के समय मेरा कोई दर्शन या विचारधारा नहीं थी और मैंने कांग्रेसी उम्मीदवार श्री बक्शी गुलाम मोहम्मद को केवल इस आधार पर हराया था कि वह एक भ्रष्ट व्यक्ती थे।

वर्ष 1967 से 1971 तक दल-बदल के बहुत से उदाहरण हैं जब कि आज दल-बदल नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? मेरे विचार से राजनीतिक अस्थिरता में दल-बदल की घटनाएं अधिक होती हैं। इस दृष्टि से इस विधेयक से समस्या का समाधान नहीं होगा। इस विधेयक से राजनीतिक अस्थिरता समाप्त नहीं होगी और जब तक यह अस्थिरता रहेगी तब तक दल-बदल होता रहेगा। बजाए इसके कि इस बुराई की जड़ पर आघात किया जाये हम बेईमानी को बढ़ावा दे रहे हैं, यहां मेरे जैसे व्यक्ति किसी कार्यवाही का अपने अन्तःकरण की आवाज पर समर्थन करेंगे, आप संसदीय अधिकार के द्वारा संसदीय व्यवस्था के आधार को क्यों नष्ट कर रहे हैं? संसदीय व्यवस्था बुरी नहीं होती है, यह उन लोगों पर निर्भर करती है जो इसको चला रहे हैं।

यदि कोई ईमानदार सदस्य अपने अन्तःकरण की आवाज पर वोट देता है तो उसे पुनः चुनाव लड़ने के लिए क्यों कहा जाता है? यदि आज चुनाव लड़ना सस्ता होता तो मुझे इसमें कोई आपत्ति न थी। हमारी निर्वाचन पद्धति अमरीकी निर्वाचन पद्धति पर आधारित है जहां केवल अमीर व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि उसके पास अपेक्षित धन नहीं होता।

यदि कोई ईमानदार सदस्य अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अपने दल की कार्यवाही का समर्थन नहीं करता तो उसे क्यों दंड दिया जाता है? यह आश्चर्य की बात है कि सत्तारूढ़ दल इस प्रकार का विधेयक ला रहा है जिसमें किसी भी सदस्य को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

हमने ब्रिटेन की संसदीय लोकतन्त्र पद्धति को अपनाया है। वहां संसदीय व्यवस्था का इस प्रकार का दुरुपयोग नहीं होता है। हमारी आगे आने वाली पीढियां जब सांविधिक ग्रंथ को देखेंगी तब वे कहेंगी कि हमारे पूर्वज पदों की खातिर किस प्रकार दल बदलते थे। इसलिए सांविधिक ग्रंथ में इस प्रकार कानून लाने के बजाए राजनीतिक दलों को स्वयं आचार संहिता बनानी चाहिए। नहीं तो दुनिया कहेगी कि भारत में संसद सदस्य तथा विधायक किस प्रकार पदों की खातिर एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, इस प्रकार कानून पास करके हम सदन की गरिमा को नहीं बढ़ा पायेंगे।

यह दलबदल लोक विधेयक दलबदलु सदस्यों को अपने कारनामों से रोकने में सफल नहीं हो सकेगा, वे दलबदलने के लिए कोई और मार्ग खोज निकालेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाये क्योंकि यह हमारी संसदीय व्यवस्था की गरिमा पर आघात करता है। केवल कुछ ही दलबदलुओं की खातिर हमें आने वाली पीढ़ियों पर अपने अंतकरण की आवाज पर चलने के लिए रोक नहीं लगानी चाहिए। इस विधेयक को लाकर हम संसदीय विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं, विपक्षी दलों को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। चुंकि यह कहा गया है कि परंपरा के अनुसार संयुक्त समिति के सदस्यों को विधेयक पर नहीं बोलना चाहिए इसलिए मैं विधेयक के बारे में नहीं बोलुंगा।

परन्तु मैं एक खास प्रश्न के बारे में आपसे परामर्श लेना चाहूँगा। इस विधेयक के द्वारा संविधान के अनच्छेद 102 और 103 का संशोधन किया जा रहा है, परन्तु संविधान में कहीं भी 'राजनीतिक दल' शब्दों का उल्लेख नहीं है। संविधान के मूलभूत अधिकारों के अध्याय में सभी नागरिकों को संगठन बताने का अधिकार दिया गया है जिससे वे जनता के वोट मांग सके। यदि कोई राजनीतिक दल असंवैधानिक कार्य करता है तो यह विधेयक कानूनी तथा संवैधानिक आधारों पर वैध कैसे हो सकता है। संविधान में राजनीतिक दलों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और यहाँ हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जो संविधान की भावना के विरुद्ध है यही, मेरी कठिनाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसको व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानता हुं। पीठासीन अधिकारी को इस पर राय देने का अधिकार नहीं है। इन सब प्रश्नों पर संयुक्त समिति विचार करेगी। तब तक हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, श्री इसहाक।

श्री ए० के०एम० इसहाक (बसिरहाट) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मुझे संदेह है कि यह विधेयक अपने उद्दृश को प्राप्त करेगा।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

[श्री ए० के० एम० इसहाक]

इस विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य दल बदलता हैं तो उसे सदस्यता से अनर्ह घोषित किया जाये, परन्तु कोई भी सदस्य दल बदलते समय अपनी सदस्यता स्वयं समाप्त करने की नहीं सोचेगा । वह सदस्य बना रहेगा । ऐसी स्थिति में संसद को न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा, इस प्रकार यह विधेयक अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा । प्रवर समिति को इस अनुच्छेद में उचित शब्दावली देखनी चाहिए ।

मैं प्रवर समिति को विचार करने के लिए एक सुझाव देना चाहुंगा । हमने यह प्रावधान रखा है कि प्रधान मंत्री को लोक सभा से चुनकर आना चाहिए । यह भी व्यवस्था है कि अन्य मंत्री दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं । संविधान की प्रस्तावना की मर्यादा बनाये रखने तथा संविधान के अनुसरणके लिये यह आवश्यक है कि केवल लोकसभा के सदस्य को ही मंत्री बनने के लिये कहा जाये और राज्य सभा के किसि सदस्य को मंत्री नहीं होना चाहिये । ऐसा अनुमान लगाना कि सुयोग्य व्यक्ति लोकसभा के लिये निर्वाचित नहीं किये जायेंगे राष्ट्र का अपमान है । हमारा चुनाव भारत के लोग करते हैं । कुछ चुने हुए लोग नहीं करते मैं प्रवर समिति से भी इस समस्या पर विचार करने के लिये कहूंगा ।

यह एक राजनैतिक समस्या है । जब तक हम राजनैतिक समस्या को राजनैतिक दृष्टि से हल नहीं करेंगे तब तक कोई समाधान नही निकला जा सकता । राजनैतिक दल देश में ऐसी परिस्थितियां और ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं जिसमें किसी भी दल के टिकट से निर्वाचित किसी भी व्यक्ति के लिए दल बदलना संभव नही होगा । यह समस्या तभी हल होगी ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : I do not subscribe to the views of Shri Shamim. People have been returning the Congress to power on the basis of policies like Bank nationalisation and Abolition of Privy Purses, adopted by this party.

The Congress wants to check the defection and do not want the support of defectors. There should be no right of recall as suggested by some hon. members because there is every likelihood of its being misused.

It is good that an amendment has been added to the bill under which disqualification will not apply in cases of a split.

The independent members of legislatures should have no right of vote in electing members of Rajya Sabha.

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : There should be stringent provisions to check the evil of defection. Provisions of this Bill should be made stringent.

It is said that if ten persons together changed party affiliation and formed a new party, it should not be treated as a defection. This is wrong. It should be incumbent on a legislator to resign his membership if he changed his party affiliation.

There is no need to refer the Bill to the Joint Committee. This matter should be considered and decided by the House iteself.

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

जनता कांग्रेस को इसके कार्यक्रम के आधार पर वोट देती आ रही है । दलीय कार्यक्रम तथा चुनाव के समय किये गय वायदों के आधार पर हम इस सदन में आये है । यदि कोई इनके विपरित चलकर

दल बदलता है तो इसे रोकने के लिये कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। इसके लिये एक कानून का होना जरुरी है।

अत: यह विधेयक बहुत अनिवार्य है तथा सही दिशा में एक कदम है।

निर्दलीय सदस्य को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिये क्योंकि उसका कोई भी सिद्धान्त नहीं होता।

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar) : I support this Bill. Candidates seeking election to Lok Sabha or State Legislatures contest elections on the basis of party programmes. If after being elected, they want to change their party affiliations, they should seek the opinion of their voters and should change sides only with their approval. A Member of Parliament or State Legislature should resign his seat i he wants to join another party and seek re-election.

Shri Madhu Limaye (Banka) : This Bill has created certain fundamental issues to which the Government has not given a serious thought.

In our Constitution, nowhere reference has been made to political parties. Members of Lok Sabha or Legislative Assemblies are representatives of the people and they have to act according to the wishes of the people. If the Government wants to change this pattern and bring in political parties, then a new structure will have to be there.

Article 105 contains the right of freedom of speech in Parliament. Our other privileges are the same as those of Members of the House of Commons of the U.K. In England, Members have a right to vote according to their conscience. The provisions of this Bill will take away the right of freedom of speech and free vote according to conscience. The Government has not given thought to this aspect.

I should vote only on the basis of party manifesto and not on the directions of ruling clique (*interruptions*). I am talking about principles.

Besides this, have not their own party revolted against bossism?..... (*Interruptions*) Was the revolt staged by Smt. Indira Gandhi split or defection?

Has the ruling party not initiated the process of defection during the last 26 years which was followed by the opposition parties after 1967.....(*Interruptions*).

There was unanimity in the Defections Committee about certain matters but even those points have not been incorporated in this Bill. Certain matters on which there was diffrence of opinion, have been incorporated in this Bill.

The Joint Committee should be given time for considering this matter. Its time limi should be extended.

If they want to maintain representative democracy, they should not bring th party above it. If a party gets 40 per cent votes it should have seats accordingly If they want to replace the representative democracy with the party system, then this Bill is against that priniciple entirely.

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने सभी भाषणों पर ध्यान दिया है। प्रमुख बात यह है कि दल बदलने की प्रवृत्ति की घोर निन्दा की गई है। परन्तु एक भी सदस्य ने इस बारे में कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया है। यह कोई दलगत मामला नहीं है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि हमने इसे पार्टी के उद्देश्यों से पेश किया है। जब यह विधेयक कानून बन जायेगा तो यह संसदीय कानून होगा। हर समय के लिये और सभी दलों के हित में यह सांविधानिक व्यवस्था उपयुक्त रहेगी।

[श्री उमा शंकर दिक्षित]

यदि आवश्यक होगा तो समिति अतिरिक्त समय मांग लेगी। प्रो० हीरेन मुकर्जी ने उड़ीसा तथा अन्य स्थानों की निराशापूर्ण स्थिति को आंका है। परन्तु उन्हें इस समस्या के बारे में कोई रचनात्मक सुझाव देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि सदस्यों को वापस बुलाये जाने के सिद्धान्त को विधेयक में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसपर समिति में विचार हुआ था तथा विभिन्न पार्टियों द्वारा भी विचार किया गया था और यह मत व्यक्त किया गया है कि इसके स्वीकार करने में कई मूलभूत समस्याएं सम्मुख जायेगी। मैं श्री शमीम के इस मत से तो सहमत हूँ कि विधायक गण श्रेष्ट और ईमानदार व्यक्ति होते है। वे उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते है जिनके वे सदस्य हैं। आप उनसे किसी असाधारण नैतिकता की आशा नहीं कर सकते।

श्री जगन्नाथराव ज़ोशी ने पूछा है कि यह कार्य पहले क्यों नहीं किया गया, परन्तु अभी भी इस बारे में पूर्णतः निश्चिय नहीं हो पाया। अतएव मामले पर विचार करने हेतु इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है। निर्दलीय सदस्यों के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। जब एक बार कोई निर्दलीय सदस्य किसी भी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है तब उस पर सभी उपबन्ध पूर्णतया लागू हो जायेंगे। परन्तु यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय बन जाते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है। कोई भी व्यक्ति 200—100 के दल से पृथक मत रख सकता है परन्तु यदि 50 सदस्य भिन्न विचार रखते है तो यह प्रकट करता है कि पार्टी में व्यापक असंतोष विद्यमान है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKAR *in the Chair*]

चिरकाल से जब मैं संसद सदस्य बना भी नहीं था, तब से ही मैं विचार स्वातन्त्र्य के सिद्धान्त पर विचार करता रहा हूँ। सभी पार्टियों के प्रायः शत प्रतिशत सदस्य 'पार्टि व्हिप' का पालन करते हैं।

जहां तक आत्मा की स्वतंत्रता का प्रश्न है, सेठ गोविन्द दास तथा कई अन्य सदस्य स्वतंत्रता-पूर्वक कार्य करते रहे हैं।

यदि कोई एक दल दूसरे दल में पूर्णतः मिल जाता है तो उसमें शिकायत का कोई कारण नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार के बन्धनकारी कानून के स्थान पर यदि विभिन्न पार्टियों की चरित्र संहिता द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त हो जाये तो अधिक अच्छा है। परन्तु ऐसी कोई चरित्र संहिता कारगर नहीं होती क्योंकि यह व्यक्तिगत इच्छा पर ही अधिक निर्भर करती है। मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि सभा में रखा गया विधेयक समस्या का अन्तिम समाधान है। इसमें जो कोई भी कमियां हैं उन पर संयुक्त प्रवर समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : If there is a difference of opinion between a political party and the leader of the same party in Parliament, whose decision would prevail ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर भी समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

प्रश्न यह है कि :

भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 60 सदस्य हों, इस सभा से 40, अर्थात्—

(1) डा० हेनरी आस्टिन

(2) श्री एच० के० एल० भगत

(3) श्री सोमनाथ चटर्जी
(4) श्री मूलचन्द डागा
(5) श्री मधु दण्डवते
(6) श्री दरबारा सिंह
(7) श्री के० जी० देशमुख
(8) श्री पी० गंगादेव
(9) श्री एच० आर० गोखले
(10) श्री एम० एम० हाशिम
(11) श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
(12) श्री भोगेन्द्र झा
(13) श्री पोपट लाल एम० जोशी
(14) श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे
(15) श्री जुल्फिकार अली खां
(16) श्री सी० एच० मोहम्मद कोया
(17) श्री के० लकप्पा
(18) श्री निहार लास्कल
(19) श्री बी० पी० मौर्य
(20) श्री पी० जी० मावलंकर
(21) श्री नाथूराम मिर्धा
(22) श्री जी० एस० मिश्र
(23) श्री श्यामनन्दन मिश्र
(24) श्री पीलू मोदी
(25) श्री एफ० एच० मोहसिन
(26) श्री समर मुखर्जी
(27) श्री पाओकाई हाओकिप
(28) श्री धन शाह प्रधान
(29) श्रीमती माया राय
(30) मौलाना इसहाक सम्भली
(31) श्री पी० एम० सईद
(32) डा० शंकर दयाल शर्मा
(33) श्री नवल किशोर सिंह
(34) श्री एस० एस० तिवारी
(35) श्री तुला राम
(36) श्री तुलमोहन राम
(37) श्री अटल बिहारी बाजपेयी
(38) श्री पी० वेंकटासुब्बया

[श्री अध्यक्ष महोदय]

(39) श्री जी० विश्वनाथन

(40) श्री चन्द्रजीत यादव

और राज्य सभा से 20;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 20 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

भारत में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के जमा रुपयों के निपटारे के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: DISPOSITION OF RUPEE ACCUMULATION IN INDIA BY THE U.S. GOVERNMENT

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार का जो रुपया भारत में जमा है उस के निपटारे के संबंध में एक करार पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं ।

संयुक्त राज्य अमेरिका का यह रुपया जो भारी मात्रा में इकट्ठा हो गया है वह निम्नलिखित दो किस्म के करारों के परिणामस्वरुप बैंक में जमा धन पर लगे व्याज से जमा हुआ :

1. 1954–61 के दौरान अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और उसके पूर्ववर्ती अभिकरणों के अधीन विकास कार्यों के लिए भारत सरकार और निजी क्षेत्रों को डालर मुद्रा में कर्ज़ दिये गये थ; इन कर्ज़ों को रुपयों में चुकाया जाना था ।

2. खेती की उपज की बिक्री वाले विभिन्न करारों के अधीन जिन्हें आमतौर पर पी० एल० 480 कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 1956 से 1972 तक खेती की लगभग 6 करोड़ टन उपज सामग्री (खास तौर से गेहूं, मोटे अनाज, चावल, रूई, और बनस्पति तेल) बेची थी । इस सामग्री की यहां पर कीमत 4.8 अरब डालर (3600 करोड़ रुपये) थी और इसे पूरी तरह या आंशिक रूप में रुपयों में चुकाया जाना था ।

इन दो श्रेणियों के अंतर्गत चुकाये जाने वाले रुपयों को क्रमश: पी० एल० 480 से भिन्न तथा पी० एल० 480 का रुपया कहा जाता है । आज के करार द्वारा दोनों को निपटाने की व्यवस्था की गई है ।

पी० एल० 480 के रूपयों के बारे में यह व्यवस्था की गयी है कि भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को वापस की जाने वाली बाकी सारी रकम जो लगभग 1514 करोड़ रुपए है, चुका देगी। दूसरे, 187 करोड़ रुपये की सिक्यूरिटियों को अमेरिका भुना लेगा। 1,701 करोड़ रुपये की राशि में से अमेरिका 1,664 करोड़ रुपए भारत सरकार को देगा।

जहां तक पी० एल० 480 से भिन्न राशियों का संबन्ध है, भारत सरकार 209 करोड़ रुपए की सारी राशि अमेरिका की सरकार को अदा करेगी। अमेरिका, भारत में अपनी 472 करोड़ रुपए की सिक्युरिटियों को भुनाएगा। 374 करोड़ रुपया की रकम अमेरिका भारत में अपने उपयोग के लिये रखेगा। अमेरिका इस कुल 833 करोड़ रुपए की राशि को भारत सरकार के खाते में रखेगा, जिसपर ब्याज नहीं लगेगा और इस राशि में प्रति वर्ष 1/10 की दर से कमी की जायेगी।

इस करार में यह भी व्यवस्था की गई है कि अमेरिका अपने पास रखे गये रूपयों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए एवं उसी मात्रा में कर सकता है जिन प्रयोजनों के लिये तथा जिस मात्रा में जून, 1972 से पूर्व किया जाता था।

इस समय अमेरिका का 712 करोड़ रुपया जमा है। यदि यह करार न किया जाता तो 2,012 ई० तक यह राशि बढ़कर 3,000 करोड़ रुपए हो जाती। सच तो यह है कि भविष्य में अमेरिका के जमा रूपयों पर इतना ब्याज बनेगा कि वह अमेरिकी खर्चों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा। इस करार से इस स्थिति का एक युक्ति संगत अवधि के अन्दर निराकरण हो जायगा।

यह करार दोनों सरकारों के बीच कई महीनों की बातचीत का परिणाम है।

अमेरिका की विधान निर्माण संबन्धी प्रक्रिया कि अनुसार, यह जरूरी है कि यह करार अमेरिका की कांग्रेस की कृषि और विदेशी सम्बन्ध विषयक समितियों, को प्रस्तुत किया जाये। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, अमेरीकी प्रशासन को यह करार करने का प्राधिकार प्राप्त हो जायेगा। यह सूचना प्राप्त होने पर कि समीक्षा का यह कार्य पूरा हो चुका है, इस करार को सम्पन्न करेंगे।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सत्रावसान से पूर्व इस विषय पर बहस होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में देखूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस महत्वपूर्ण विषय पर सभा में बहस होनी चाहिए। मंत्री महोदय बतायें कि इस पर बहस कब होगी। क्या इस सरकार का इरादा यह है कि इस देश को साम्राज्यवादी देश के पास गिरवी रख दिया जाय ?

Shri Madhu Limaye (Banka) : We have been giving notices for Calling Attention Motions on this subject and to-day when the hon. Minister has made a statement suddenly on this subject, will you not allow us to discuss this subject ?

Mr. Speaker : We shall see.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I oppose to what Shri Jyotirmoy Bosu has said about mortgaging this country to an imperialist country.

Mr. Speaker : It is difficult to have discussion in this week. Next week is left. I shall ask the hon. Minister to give time to it.

श्री जोतिर्मय बसु : सभा स्थगित होने से पूर्व समय देने के लिये धन्यवाद।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हमें बताया गया है कि यह प्रारूप अमेरीका की पुनर्विलोकन समिति के समक्ष 20 तारीख को रखा जायेगा । क्या यही प्रारुप हमारी संसद के समक्ष भी रखा जायेगा ?

Mr. Speaker : It depends upon the rules of your country. It is not there in your rules.

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : KARNATAKA-MAHARASHTRA BORDER DISPUTE

Mr. Speaker : Does the hon. Minister want to say something ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के बीच सीमा विवाद का प्रश्न उठाया गया है ।

मुझे पता चला है कि इस मामले को उठाने का उद्देश्य संसद तथा सरकार का ध्यान दिलाकर इसका हल ढुंढना है । मैं इस मामले के पीछे संसद सदस्यों की जो भावना है, विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के सदस्यों की, उसे पूर्णतया समझता हूं ।

इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान उन दु:खद घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में घटित हुई है ।

मेरा निवेदन है कि वर्तमान वातावरण और घट रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा करना लाभप्रद नहीं होगा ।

यदि विचार यह है कि हम इस विषय पर निष्ठापूर्वक और निरन्तर विचार करें तो मैं यह आश्वासन देता हूं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं । मैंने हाल ही में इस प्रश्न के प्रत्येक पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार करना आरंभ किया है । मेरा निवदन है कि हम पूरे परिश्रम तथा निष्ठा से इसके समाधान के लिये प्रयास करेंगे ।

यह कहना कठिन है कि अमुक तारीख तक इसका हल ढूंढ़ लिया जायेगा परन्तु हम शीघ्र ही निर्णय करने का प्रयास करेंगे ।

मेरी सभा से अपील है कि वह इस विषय पर चर्चा न करें । मैं आशा करता हूं कि सभा के प्रत्येक वर्ग के सदस्य मरी इस अपील में मेरे साथ हैं । सभी सम्बन्धीत राज्यों के लोगों से मेरी अपील है कि वे ऐसे हिंसक आन्दोलन को न चलने दे जो इस समय चल रहा है । जो ऐसा कर रहे हैं उन्हे ऐसा करने से रोका जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इसका क्या कारण है कि सरकार ने अनुच्छेद 273 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय परिषद् गठित नहीं की है, महाजन आयोग का प्रतिवेदन 1967 में आ गया था । सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : This issue has been hanging fire since 1956. Such tragic incidents have occurred a number of times. Will the hon. Minister give assurance to the House that the solution of this dispute would be found out before the 26th January ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : चूंकि प्रस्ताव मेरे नाम से है अत: मुझे कुछ कहने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को अनुमति दे रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस मामले का शीघ्र समाधान करने के लिये समय दिया जाना चाहिए।

मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि मैं जिस राज्य का हूं वहां, भाषाई अल्पसंख्यकों पर आक्रमण किया जाता है और उन पर अन्य राज्य में भी इसी प्रकार आक्रमण किया जाता है। जब महाराष्ट्र में भाषाई अल्पसंख्यकों पर आक्रमण हो रहा हो तो मराठी होने के नाते मुझे शर्म आती है और जब कर्नाटक के भाषाई अल्पसंख्यको पर आक्रमण होता है तो भारतीय होने के नात मुझे शर्म आती है। हममें से जो लोग महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के हैं वे चाहते हैं कि इन दोनों समुदायों के बीच कोई झगड़ा नहीं हो। गृह मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है। आशा है कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी और केन्द्रीय सरकार ऐसा हल निकालेगी जिससे दोनों राज्यों के बीच विवाद का अन्त होगा।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : This matter has been hanging fire for long. People have lost patience now. The Government should fix a time-limit for finding a solution to this issue.

Shrj Sarjoo Pandey (Gaazipur) : As the hon. Minister has given assurance, the solution to this issue will be found out soon and I hope, that solution will be implemented and thereby all the boundary disputes would come to an end.

I appeal the people belonging to these areas to stop such violent agitations so that peace could be restored and solution found out.

Kumari Maniben Vallabhbhai Patel (Sabarkantha): I do not know why so much delay is done in deciding such matters. People lose patience and resort to violence.

This issue should be settled soon.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : ऐसी समस्याओं का हल निकालने के लिये हिंसा को रोकना होगा और शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करना होगा। सरकार हमेशा उसी समय स्थिति पर विचार क्यों करती है जब हिंसक घटनाएं घटित हो जाती ह, सम्पत्तियों को नष्ट किया जाता है और लोगों के प्राण चले जाते हैं। गृह मंत्री ने विलम्ब से इस मामले पर विचार किया है। इस समस्या का स्थायी आधार पर समाधान करने के लिये संवैधानिक व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि वही देश के दीर्घकालिक हित में होगा।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं गृह मंत्री की अपील का समर्थन करता हूं परन्तु सरकार को राष्ट्रीय मामलों को इतनी लम्बी अवधि तक अनिर्णीत नहीं पड़े रहने देना चाहिये जिससे कि लोग हिंसक हो जायें जिसके लिये उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता बल्कि सरकार द्वारा विलम्ब किये जाने के कारण सरकार को ही दोषी ठहराया जायेगा।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने जो अपील की है उसे सर्वसम्मति से जो समर्थन मिला है उसके लिये मैं आभारी हूं। अतीत में घटी घटनाओं पर किसी प्रकार की बहस करना मैं उचित नहीं समझता। मैं समझ सकता हूं कि जब विलम्ब होता रहता है तो शीघ्र कार्यवाही के लिये दबाव डाला जाता है। हम किसी भी प्रकार से उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हट रहे हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : चूंकि ऐसे मामले अन्त में फिर प्रधान मंत्री के पास आते हैं अतः वह इस बारे में अपील करें।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): श्री दीक्षीत ने जो कुछ कहा है मैं उसके साथ स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अन्तर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में मैं गृह मंत्री से विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह व्यापक प्रश्न है। सभा के समक्ष जो प्रश्न है उसका क्षेत्र सीमित है। यह अलग मामला है। इस पर अलग से विचार किया जायगा। मैं उससे इन्कार नहीं करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : 15 मिनट रहे हैं। अब हम क्या करें ?

कुछ माननीय सदस्य : सभा को स्थगित कर दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : अगला विधेयक श्री शिन्दे के नाम से है। वह राज्य सभा में व्यस्त हैं। उनके विधेयक के बाद श्री मोहसिन के नाम से विधेयक हैं। वह यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा स्थगित करते हैं।

तत्पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 1973/23 अग्रहायण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, December 14, 1973/ Agrahayana 23, 1895 (Saka)

भा० स० मु० ना०-वि०-4-34 लोक सभा/73-26-3-74--490